छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा **षष्ठम् सत्र**

शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी, 2020

(फाल्गुन 09, शक सम्वत् 1941)

[अंक 05]

Website copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी, 2020

(फाल्गुन 9, शक संवत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत् हुई

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

राष्ट्रीय निःशक्त पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत ग्रामीण विकलांग मितान एवं बहुउद्देशीय पुनर्वास कार्यकर्त्ता को प्रदत्त मानदेय

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

1. (*क्र. 238) श्री अजीत जोगी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ के तीन जिलों बिलासपुर, कोरिया एवं राजनांदगांव में राष्ट्रीय निःशक्त पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत कितने ग्रामीण विकलांग मितान एवं कितने बहुउद्देशीय पुनर्वास कार्यकर्त्ता कार्यरत हैं ? (ख) इन ग्रामीण विकलांग मितान एवं बहुउद्देशीय पुनर्वास कार्यकर्त्ता को कितना मानदेय दिया जाता है ? (ग) क्या मानदेय में वृद्धि हेतु शासन के समक्ष आवेदन लंबित हैं ? यदि हां, तो उनके मानदेय वृद्धि के संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) : (क) छत्तीसगढ़ के जिला बिलासपुर, कोरिया एवं राजनांदगांव में राष्ट्रीय निशक्तः पुनर्वास कार्यक्रम अंतर्गत कार्यरत ग्रामीण विकलांग मितान एवं बहुउद्देशीय पुनर्वास कार्यकर्त्ताओं की संख्या निम्नानुसार है :-

क्रमांक	जिला का नाम	ग्रामीण विकलांग मितान	बहुउद्देशीय पुनर्वास कार्यकर्त्ता
1.	बिलासपुर	733	12
2.	कोरिया	428	09
3.	राजनांदगांव	358	07
	कुल	1519	28

(ख) ग्रामीण विकलांग मितान को रुपये 400/- मानदेय एवं बहुउद्देशीय पुनर्वास कार्यकर्त्ताओं को रुपये 3000/- मानदेय दिया जाता है. (ग) हॉ. प्रकरण विचाराधीन है.

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहला पूरक प्रश्न बड़ी पीड़ा और वेदना के साथ पूछ रहा हूं । मैं स्वत: दिव्यांग हूं और मैंने यह प्रश्न दिव्यांगों के लिये पूछा है । केंद्र सरकार ने विकलांग शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है और इस प्रश्न में, इस प्रश्न के उत्तर में विकलांग शब्द का प्रयोग बार-बार किया गया है। यह दिव्यांग व्यक्तियों के लिये अवमानना है, अपमान है तो मैं सबसे पहले यह पूछना चाहता हूं कि क्या हमारा समाज कल्याण मंत्रालय मेरे जैसे दिव्यांगों के प्रति कोई सहानुभूति रखते हुए आज के बाद से हम लोगों को विकलांग कहना बंद करेगा?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य के मन में जो पीड़ा है वही पीड़ा हम सबके मन में है तो आप सबकी इस समय अगर केंद्र सरकार की मंशा है कि विकलांग को हटाकर दिव्यांग शब्द दिया जाये तो हमारे मंत्रालय से भी हमें कोई आपत्ति नहीं होगी कि हम इस शब्द को यहां से हटा देंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- मुझे यह जानना है कि केंद्र सरकार से ऐसे कुछ निर्देश आये हैं कि आपके विभाग में विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द का उपयोग करना है?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- जी, ऐसा निर्देश आया है ।

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा । जोगी जी ।

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले यह जानना चाहता हूं कि आपने अपने जनघोषणा पत्र में लिखा है, मैं उसे पढ़कर सुना रहा हूं - अनियमित संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को नियमित किया जायेगा तो क्या आपने जन घोषणा पत्र का पालन करते हुए आप इन दिव्यांग मितानों और बहुउद्देशीय पुनर्वास कार्यकर्ताओं को नियमित करेंगी? ये ऐसी सेवा दे रहे हैं जो और कोई नहीं दे सकता । विकलांगों की सेवा कर रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं, पूरे साल उनको ले जाकर पेंशन दिलाना, उनको अस्पतालों में ले जाना इस प्रकार के कठिन काम कर रहे हैं तो बाकी को आप नियमित करें या नहीं करें, चूंकि इनकी संख्या तो बहुत कम है । आपने स्वयं जो संख्या बतायी है वह बहुत कम है तो जब इतने कम लोग हैं तो क्या समाज कल्याण मंत्रालय इनको नियमित करने का काम करेगा ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारे जनघोषणा पत्र में है लेकिन अभी विचाराधीन है और यह पूर्णकालीन कार्य भी नहीं है इसलिए अभी इस पर विचार कर रहे हैं ।

श्री अजीत जोगी :- माननीय मंत्री जी, लेकिन आपने जन घोषणा पत्र में लिखा है कि अनियमित संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मी ये तीनों में आते हैं, ये अनियमित भी हैं, ये संविदा भी हैं, ये दैनिक वेतन कर्मी भी हैं । आपने कहा कि इस पर विचार चल रहा है तो बताईए कि कब तक हमारी आदरणीय महिला मंत्री विचार करती रहेंगी और इसको कार्य में परिणित करेंगी ? कोई समय सीमा आप बता सकती हैं ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती अनिला भेंडिया :- यह पूरा राज्य स्तर का मामला है और सभी विभागों का मामला है, केवल मेरे ही विभाग का नहीं है । इसलिए इस पर विचार चल रहा है और इसकी समय सीमा बताना असंभव है ।

श्री अजीत जोगी :- आप राज्य सरकार हैं । राज्य सरकार का मामला यानी आप स्वत: राज्य सरकार हैं । मैं जब आपसे प्रश्न कर रहा हूं तो मैं राज्य सरकार से प्रश्न कर रहा हूं । राज्य सरकार का मामला है कहकर आप नहीं टाल सकतीं । आप बताइए, आप यह करने वाली हैं या नहीं ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अगर हमारे जन-घोषणा पत्र में ऐसा है तो सब विचार करके ही इस पर निर्णय लिया जाएगा, इसलिए अभी समय सीमा बताना संभव नहीं है ।

श्री अजीत जोगी :- आदरणीय, जब आपने जन-घोषणा पत्र बनाया तब तो विचार किया था ना या बिना विचार किये ही जन-घोषणा पत्र में लिख दिया था ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- विचार करके ही जन-घोषणा पत्र बनाया गया था । उस प्रक्रिया में आने के लिए भी तो समय लगेगा ।

श्री अजीत जोगी :- कितना समय लगेगा ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- सभी विभागों को एक साथ बैठकर ही विचार करना होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री शिवरतन शर्मा ।

श्री अजीत जोगी :- आदरणीय, मेरा प्रश्न अभी खत्म नहीं हुआ है । पहला प्रश्न है । मैं आज 15 मिनट पहले ही आ गया क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है तो कृपया मुझे सप्लीमेंट्री पूछने दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- पूछिये । मेरे विचार से जन-घोषणा पत्र बनाने वाले भी यहां नहीं है और उत्तर देने वाले भी अंतिम रूप से नहीं है । यह संयुक्त जवाबदारी है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपकी उपस्थिति को आसंदी काउंटिंग में लेती ही नहीं, यह जान लीजिए । बाकी मंत्रियों का कोई अस्तित्व नहीं है । यह है आसंदी की टिप्पणी । अब सोच लीजिए आप ।

अध्यक्ष महोदय :- आप बीच में न टोकें । माननीय जोगी जी, आप स्वयं मुख्यमंत्री रह चुके हैं । अंतिम निर्णय कौन लेता है यह पता है । वे अभी नई-नई मंत्री बनी हैं, उनको चमकाइए मत (हंसी)।

श्री अजीत जोगी :- वे मेरी रिश्तेदार हैं और इसलिए उनको मैं कभी चमका नहीं सकता, लेकिन मुझसे छोटी हैं इसलिए थोड़ा ज़ोर से बोल सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए ।

श्री अजीत जोगी :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह योजना 2002 में चालू हुई थी और 2004 में समाप्त हुई । भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कृपापूर्वक इसको राज्य सरकार की योजना बनाकर

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

चालू रखा । यह सुनकर सबको दर्द होगा कि इनको 400 रूपया दिन नहीं, 400 रूपया महीना मिलता है और जब से मेरे शासन काल से 400 रूपया मिल रहा है, आज श्री भूपेश बघेल के शासनकाल तक 400 रूपया महीना ही मिल रहा है । ये कितनी शर्मनाक बात है, चपरासी भी, घर काम करने वाले भी, जो आजकल रोजी लेते हैं, एक मिस्त्री भी 400-500 रूपया दिन कमाता है । यह सरकार, 2002 में उसमें मेरी सरकार भी शामिल थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अब श्री भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार इतना अरसा हो गया, 20 साल हो गए लेकिन इनको 400 का 400 ही मिल रहा है। कम से कम इसको तो बढ़ाने के बारे में आप आश्‍वासन दीजिए । 400 रूपया मिलना सचमुच में निन्दनीय है, घृणास्पद है । किसी को 400 रूपया महीना दे रहे हैं, यह कितनी खराब बात है । आप कम से कम यह बात तो कहिए कि इसको बढ़ाएंगी । यह आश्‍वासन तो दीजिए।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी 2013-14 से शायद 100 रूपया यात्रा भत्ता में जोड़ दिया गया है तो 400 से बढ़कर 500 हो गया है ।

श्री अजीत जोगी :- नहीं, 100 रूपये शुरू से है। वह यात्रा भत्ता शुरू से है। मुझे पूरी जानकारी है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- हां, तो वह 500 रूपये हो गया है।

श्री अजीत जोगी :- मंत्री जी, आप मुझे घुमा नहीं सकतीं।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- वह 500 रूपये हो गया है।

श्री अजीत जोगी :- 100 रूपया यात्रा भत्ता है और उन्हें महीने में 4 बार बुलाया जाता है। यात्रा भत्ता में ही उनका 200-300 रूपया खर्च होता है। उस 100 रूपये का कोई मतलब नहीं है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय वरिष्ठ सदस्य जी की जो चिंता है, वह हम सबकी चिंता है। तो आगे हम ध्यान रखेंगे और यह पूरी बात हम अपने शासन के साथ बैठकर केबिनेट में बात रखेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, 400 रूपया महीना मतलब 10 रूपया या 11 रूपया प्रति दिन। यह लेबर एक्ट का उल्लंघन है। अगर कोई भी काम हो रहा है तो उसमें लेबर एक्ट लगेगा। श्रमिक शोषण का नियम-अधिनियम लगेगा और उसमें कार्रवाई होगी और सरकार के ऊपर होगी। आप 400 रूपये दे रहे हैं। यह कोई तरीका है क्या? बोल दीजिए न कि हजार-दो हजार देंगे, उसमें बोलें।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- ठीक है न, हम बोल तो दिए हैं कि ध्यान रखेंगे। आने वाले समय में पूरा ध्यान रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, इसे सहानुभूतिपूर्वक नहीं, बल्कि गंभीरतापूर्वक लेते हुए आने वाले समय में अपने अधिकारियों को निर्देश दें कि इनका जो भी मानदेय है, उसे बढ़ाने के बारे में शीघ्र निर्णय लें और अच्छा मानदेय मिले, आप यह सुनिश्‍चित करें। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- श्री शिवरतन शर्मा।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजीत जोगी :- अध्यक्ष जी, एक आखिरी प्रश्न। इसके बाद नहीं पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- हां, ठीक है।

श्री अजीत जोगी :- इसका संबंध आपसे भी है, इसलिए पूछ रहा हूं। वर्ष 2016 में द्विव्यांगों को संरक्षण देने के लिए अधिनियम बनाया गया और जो उसका पालन नहीं करता है, उसे 6 माह से 5 साल की सजा देने का प्रावधान है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि जो व्हील चेयर पर चलता है, उसे किसी भी सार्वजनिक स्थल तक पहुंचने की सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिए। मैं अगर आज अपने Secretary General से मिलना चाहूं तो नहीं मिल सकता हूं, क्योंकि इन सीढ़ियों में वह सुविधा नहीं है और मैं अगर इसमें केस दायर कर दूं तो 6 महीने से 5 साल की सजा हो सकती है, क्योंकि यह सार्वजनिक स्थल है। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि क्या आप सख्त निर्देश देंगी कि इस अधिनियम का पालन हो और जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, जितनी भी सार्वजनिक बिल्डिंग्स हैं, उनमें हमारे द्विव्यांगजनों को व्हील चेयर में आसानी से जाने की सुविधा हो, जिसमें यह विधान सभा भी शामिल हो।

अध्यक्ष महोदय :- मेरे हिसाब से विधान सभा के अंदर शायद सार्वजनिक स्थान नहीं माना जायेगा।

श्री अजीत जोगी :- यह सार्वजनिक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जवाबदारी से बोलिए।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, मैं बोल रहा हूं न।

श्री अजीत जोगी :- यह सार्वजनिक नहीं है, तब तो फिर कुछ भी सार्वजनिक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, मैं उस दिशा में नहीं बोल रहा हूं।

श्री अजीत जोगी :- यह सरकारी बिल्डिंग है और यह जनता के लिए बनायी गयी है, जनता के प्रतिनिधियों के लिए बनायी गयी है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं इस कक्ष की बात कर रहा हूं। शायद, नहीं माना जाना चाहिए। फिर भी आपके विचारों को ख्याल में रखते हुए हम इसमें कोई नया विचार शुरू करेंगे, ताकि आप हमारे प्रमुख सचिव से मिल सकें।

श्री अजीत जोगी :- इसमें 6 महीने से 5 साल की जेल की सजा है (हंसी) और इसमें वर्ष 2016 में मैं जब सांसद था तो मैंने आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल गांधी जी से लड़कर इस अधिनियम को मैंने खुद ड्राफ्ट किया है। यह मेरे द्वारा बनाया गया अधिनियम है। इसलिए मैं जानता हूं कि इस प्रावधान का पालन नहीं किया जा रहा है और इसका पालन किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी, आप जवाब दीजिए। मैं अध्यक्ष जी से नहीं पूछ रहा हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती अनिला भेंडिया :- सुगम्य भारत के अभियान के तहत हर सरकारी भवनों में यह व्यवस्था करायी जा रहा है और धारा-40 का भी पालन किया जा रहा है और जहां नहीं होगा, वहां भी हम दिखवा लेंगे।

श्री अजीत जोगी :- मैं Secretariat में नहीं चढ़ पाता हूं। कहां कराया जा रहा है ? आपकी बिल्डिंग में नहीं कराया जा रहा है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- वह भी दिखवा लेंगे।

श्री अजीत जोगी :- दिखवाएंगी या बनवा लेंगी ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- करवाएंगे। मैं आपकी व्यवस्था करवा दूंगी।

श्री अजीत जोगी :- मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से चाहूंगा कि कुछ दखल दें।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष जी, सचमुच बहुत महत्वपूर्ण और गम्भीर मसला है। दोनों पक्षों से, आदरणीया मंत्री जी उत्तर दे रही हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा आदेश है और सरकार ने भी आदेश दिया हुआ है कि जिन-जिन सार्वजनिक कार्यालयों में, शासकीय कार्यालयों में ऐसी व्यवस्था नहीं है, उसको किया जाये। लेकिन जिन स्थानों का जिक्र माननीय जोगी जी कर रहे हैं, उसको भी दिखवायेंगे। दिव्यांगों का सम्पूर्ण सम्मान होगा। जिस तरीके से केन्द्र सरकार के निर्देश हैं, उसका पालन होना ही चाहिए। मैं आदरणीय जोगी जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- दिव्यांगों का पूर्ण सम्मान करते हुए मैंने इस पर पूरा 16 मिनट दिये हैं।

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष जी, आपने समय दिया, धन्यवाद।

<u>प्रदेश में समर्थन मूल्य में धान खरीदी</u>

2. (*क्र. 987) श्री शिवरतन शर्मा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 6 फरवरी तक समर्थन मूल्य पर किस किस जिले में कितनी-कितनी मात्रा में धान खरीदी की गयी है तथा प्रत्येक जिले में कितने पंजीकृत किसान हैं ? (ख) 6 फरवरी, 2020 की स्थिति में किस-किस जिले में कितने पंजीकृत किसानों की धान खरीदी शेष है ? (ग) कितने किसानों ने अपने पूर्ण रकबे के हिसाब से धान बेच दिया है ? जिलेवार जानकारी प्रदान करें ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) खरीफ वर्ष 2019-20 में प्रश्नांकित अवधि तक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी एवं जिलेवार पंजीकृत किसानों की जानकारी †[1] संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ग) प्रश्नांकित अवधि तक 33,146 किसानों ने पंजीकृत रकबे के हिसाब से पूर्ण रकबा का धान बेच दिया है. जिलेवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

---

[1]† परिशिष्ट-"एक"

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछा था कि प्रश्न लगाने की दिनांक तक कितने किसानों का पूरे रकबे का धान खरीदा गया ? माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि 19 लाख 55 हजार 465 किसानों का पंजीयन हुआ और 33,146 किसानों का पूरा धान खरीदा गया। 20 फरवरी तक धान खरीदी हुई है। 6 फरवरी के बाद 4 दिन शनिवार और रविार की छुट्टी रही है और 5 दिन मौसम खराब रहा है। 6+5=11+4=15, कुल 5 दिनों का समय किसानों को धान बेचने के लिए मिला है। आप मुझे बता दीजिये कि पूरे धान खरीदी के दौरान 19 लाख 55 हजार 465 किसानों का कुल कितने रकबे का पंजीयन हुआ था ? जितने रकबे का पंजीयन हुआ था उसके हिसाब से किसानों का कुल कितना धान सरकार को खरीदने की पात्रता थी या किसान को कितना धान बेचने की पात्रता थी ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानना चाहा था कि प्रदेश में 6 फरवरी तक समर्थन मूल्य पर किस जिले में कितनी मात्रा में धान खरीदा गया है ? हमने आपको प्रत्येक जिले की जानकारी दी है। आप देखेंगे तो 19 लाख 55 हजार 465 किसानों का पंजीयन हुआ।

श्री शिवरतन शर्मा :- वह जानकारी तो है। मैंने पूरक प्रश्न किया है।

श्री अमरजीत भगत :- आप 6 फरवरी तक का पूछे हैं तो 71 लाख 30 हजार 577 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। इसमें बेचने के लिए जो शेष है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय...।

श्री अमरजीत भगत :- एक मिनट सुन तो लीजिये। इतनी जल्दी क्या है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने स्पेसीफिक प्रश्न किया है।

श्री अमरजीत भगत :- हां, उसका भी जवाब दे रहा हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप जो बता रहे हैं, वह सब हमको उत्तर में मिल गया है।

श्री अमरजीत भगत :- हां, उसका भी जवाब दे रहा हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप जो बता रहे हो, वह सब हमको उत्तर में मिल गया है।

श्री अमरजीत भगत :- पूरी तैयारी करके आया हूं। आपके एक-एक सवाल का जवाब मिलेगा। आप चिंता मत करिये।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष जी, निवेदन है, आप समय देंगे। मंत्री जी बोल रहे हैं, पूरा जवाब देंगे।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक):- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह धान खरीदी का मामला है और मंत्री जी तैयारी करके आये हैं तो जो पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका उत्तर दें।

श्री अमरजीत भगत :- हां-हां, उसका जवाब दे रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपने प्रश्नोत्तरी में जो दिया है, वह हमने पढ़ लिया है। पढ़ने के बाद

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

आप इसको पढ़ते रहेंगे, तो प्रश्नकाल में समय खराब क्यों कर रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने बहुत स्पेसीफिक प्रश्न किया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- जो पूरक प्रश्न है,आपको उसका जवाब देना चाहिए।

श्री अमरजीत भगत :- एक साथ पूछ ही लीजिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपने जो जवाब दिया है, उसको मंत्री जी को पढ़ने की जरूरत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। आपने स्पेसीफिक प्रश्न पूछा है कि कितने रकबे का पंजीयन हुआ ? तो कुछ ऐसे पूरक प्रश्न होते हैं, जिसका जवाब बाद में मिलता है। चलने दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह भूमिका चल रही है। यह मंत्री जी की भूमिका है।

अध्यक्ष महोदय :- हां, जब तक उत्तर आयेगा तब तक भूमिका नहीं बांधेंगे ?

श्री अमरजीत भगत :- जो 6 फरवरी की स्थिति में जो धान बेचने के लिए शेष कृषक है, वह 3 लाख 8 हजार 145 कृषक हैं और जो किसान शत-प्रतिशत धान बेचे हैं , उनकी संख्या है 33,146 है। (शेम-शेम की आवाजें) इसमें आप रकबा पूछ रहे हैं, तो कुल रकबा 18 लाख 20 हजार किसानों से धान खरीदे हैं उसमें 82 लाख 83 हजार हैक्टेयर रकबा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरा प्रश्न समझा ही नहीं। ये तो जितना खरीदी किए हैं, उसकी जानकारी दे रहे हैं। मैंने बहुत स्पेसीफिक प्रश्न किया था कि 19 लाख 55 हजार 465 किसान जो पंजीकृत हैं, इनके कुल कितने रकबे का पंजीयन हुआ है ? दूसरा, जितना पंजीयन हुआ है, उसके हिसाब से सरकार को कितना धान खरीदना था या 19 लाख 55 हजार 465 किसानों को प्रति एकड 15 क्विंटल के हिसाब से कितना बेचने की पात्रता थी ? आप यह बता दीजिये।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल 25 लाख, 28 हजार हेक्टेयर का पंजीयन हुआ था और 85 लाख मेट्रिक टन उपार्जित धान को खरीदने का अनुमान किया गया था ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अनुमान करने का प्रश्न नहीं किया है । आप बता रहे हैं कि 25 लाख, 28 हजार हेक्टेयर का पंजीयन हुआ, उसके हिसाब से, 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से कितना धान खरीदना था, आप यह बताईए न ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए, कभी भी शत-प्रतिशत धान न तो आपके समय खरीदा गया है, न कभी खरीदा जाता है । प्रश्न का उत्तर पहले पूरा सुन लीजिए । हमने 85 लाख मेट्रिक टन धान खरीदने की तैयारी की थी और उसके लिए बारदाना, परिवहन, रख-रखाव की पूरी तैयारी की गई थी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 19 लाख, 55 हजार, 465 किसान थे । इनका पंजीकृत रकबा 25 लाख, 28 हजार हेक्टेयर था । मैंने प्रश्न किया है कि

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

25 लाख, 28 हजार हेक्टेयर में 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार को कुल कितना धान खरीदना था ? सरकार की घोषणा तो 85 लाख मेट्रिक टन धान खरीदने की थी, पर 15 क्विंटल के हिसाब से आपको कितना धान खरीदना था या किसान को कुल धान बेचने की पात्रता कितनी थी, आप यह बताईए, बहुत स्पेशिफिक प्रश्न है ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्वान सदस्य ने प्रश्न किया है । हमने समाचार-पत्रों में पूरा आदेश, निर्देश प्रकाशित किया था कि एक एकड़ में 15 क्विंटल धान खरीदने की पात्रता तय की गई थी और पूरे प्रदेश की धान खरीदी का जो अनुमान लगाया गया था, वह 85 लाख मेट्रिक टन का था ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि स्पेशिफिक प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है । आपने 25 लाख, 28 हजार हेक्टेयर का पंजीयन किया तो मोटा-मोटा हम यह मानकर चलते हैं कि लगभग 64 लाख एकड़ का पंजीयन हुआ और 15 क्विंटल के हिसाब से सरकार को करीब 105 लाख मेट्रिक टन धान खरीदना था और आपने तो खरीदी का टारगेट पहले ही कम फिक्स किया था, 85 लाख मेट्रिक टन धान खरीदना निर्धारित किया था । जब आपको धान ज्यादा खरीदना था तो आपने टारगेट कम फिक्स क्यों किया ? एक कारण यह बताईए । और दूसरा कारण यह बता दीजिए कि 20 फरवरी तक कुल ऐसे कितने किसानों की संख्या है, जिसने अपने पंजीकरण के हिसाब से पूरे रकबे का धान बेच दिया ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि माननीय सदस्य ने 6 फरवरी तक प्रश्न लगाया और अभी 20 फरवरी तक की जानकारी पूछ रहे हैं तो मैं 20 फरवरी तक की जानकारी भी बता देता हूं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन प्रश्न लगाने की तारीख थी, उस दिन तक मैंने प्रश्न लगाया है, पर पूरक प्रश्न तो बनता है । मैं पूरक प्रश्न तो पूछ सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- आपका पूरक प्रश्न बनता है तो मंत्री जी पूरक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, शांति से सुनिए ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 20 फरवरी तक की स्थिति में पूछा है तो 19 लाख, 55 हजार किसानों ने पंजीकृत कराया और हमने 82 लाख, 80 हजार मेट्रिक टन धान खरीदा है । और क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पेशिफिक प्रश्न पूछा है । मैंने पूछा है कि 20 फरवरी तक 19 लाख, 55 हजार 465 किसानों में ऐसे कितने किसान थे, जिन्होंने 15 क्विंटल के हिसाब से अपने पंजीकृत रकबे का पूरा धान बेचा ?

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न तो अभी पूछ रहे हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है, आप रिकार्ड निकलवा कर देख लीजिए ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो प्रश्न पूछा है, हम उसको बता रहे हैं । आपने पूछा है तो उसकी संख्या 33,146 किसानों ने पंजीकृत रकबे के हिसाब से धान बेचा है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो 6 फरवरी तक की जानकारी है, लिखित उत्तर में यह आंकड़ा आ चुका है । मैं पूछ रहा हूं कि 19 लाख, 55 हजार, 465 किसान, जो पंजीकृत हुए, उन किसानों में ऐसे कितने किसान हैं, जिन्होंने 20 फरवरी तक अपने पंजीकरण के हिसाब से पूरे रकबे का धान बेचा या आपने खरीदा ? ये किसानों की संख्या आप बताईए ।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, 20 फरवरी तक की स्थिति में बेचने वाले पूर्व किसानों में 45,733 ।

श्री शिवरतन शर्मा :- लीजिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, 20 फरवरी तक जिन किसानों ने अपने पूरे रकबे का धान बेचा, वह संख्या है 45637 और पंजीकृत किसानों की संख्या है, 19 लाख 55 हजार 465 यानी कि स्वयं मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि 19 लाख किसान ऐसे हैं, जिन्होंने अपने पंजीकरण के हिसाब से धान नहीं बेच पाये । आज समाचार पत्रों में बड़ी जोरदार घोषणा छपी है, 4 मंत्रियों के प्रयास से सरकार ने टोकन बेचने वाले धान खरीदने की घोषणा की । खुद मंत्री जी बोल रहे हैं कि 19 लाख किसानों ने धान नहीं बेच पाये ।
आप इनका धान खरीदेंगे क्या, बताईये ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय,

ताउम्र गालिब अक्सर यही गलती करता रहा,
धूल उसके चेहरे पर थे, और आईना पोंछता रहा । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी सरकारों ने 15 सालों में उस समय कितना धान खरीदा, उसको आपने नहीं देखा, उसको बता देता हूँ । माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2019-2020 में 55 हजार 554 किसानों में से 18 लाख 20 हजार 934 इसमें 93 परशेंट है और वर्ष 2018-2019 में 52 प्रतिशत खरीदा है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, या तो मंत्री जी मेरे प्रश्न को समझकर, न समझने का नाटक कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सीधा-सीधा प्रश्न किया है, आपने 19 लाख 55 हजार 465 किसानों का पंजीयन किया । 20 फरवरी तक आपने धान की खरीदी की । 15 क्विंटल के हिसाब से ऐसे कितने किसान थे, जिन्होंने अपने पंजीकरण के पूरे रकबे का धान बेचा । आप वह संख्या बताईये ।

अध्यक्ष महोदय :- आप मुझे सुनिये ना ? आप इतना क्लिस्ट प्रश्न पूछ रहे हैं...।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- क्लिस्ट नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सामान्य किसान है ...(व्यवधान)

श्रीमती रश्मि आशीष सिंह :- आप लोग धान के चर्चा से क्यों भाग रहे थे ?जब धान की चर्चा हो रही थी तो चर्चा में शामिल होना था । इस मुद्दे को धान में चर्चा के समय क्यों नहीं उठाये ? उस समय इस बारे में चर्चा करना था । (व्यवधान) धान में चर्चा से आप लोग क्यों पलायन किये थे ?

अध्यक्ष महोदय :- आप रूकिये, रूकिये । आप लोग क्यों इतना उत्तेजित हो रहे हैं ? धान का मामला है, किसान का मामला है, इसमें उत्तेजना का सवाल नहीं है, पूछने दीजिए । जितना क्लिस्ट वह प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका जवाब जब तक आता है, तब तक चन्द्राकर जी अपना सवाल करें । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा । मेरे एक भी प्रश्न का, स्पेसिफिक प्रश्न का उत्तर नहीं आया है है । व्यवधान

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष जी, ...भारतीय जनता पार्टी ...(व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- यह बहुत आपत्तिजनक है, अध्यक्ष महोदय । बहुत आपत्तिजनक है ।

श्री देवेन्द्र यादव :- सम्मानित सदस्यों के द्वारा प्रश्नकाल बाधित करने की साजिश की जा रही है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मंत्री जी, जवाब नहीं दे पा रहे हैं । ऐसा मोहन मरकाम जी यहां पर साबित कर रहे हैं । मोहन मरकाम जी जिस दिन आप मंत्री बन जायेंगे, उस दिन जवाब देंगे । अभी मत दे। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- 15 लाख किसानों का पंजीयन होता है, आपकी सरकार 12 लाख किसानों के धान की खरीदी की थी । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- प्रश्नकाल को सत्तारूढ़ दल बाधित कर रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मरकाम जी, आज जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसका उत्तर माननीय मंत्री जी देंगे । आप उसे उत्तर मत दीजिए । (मेजों की थपथपाहट)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बहुत सामान्य सा स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है । आपका संरक्षण चाहूंगा । मेरे स्पेसिफिक प्रश्न का स्पेसिफिक उत्तर मिले । माननीय मंत्री जी ने कहा कि 25 लाख 28 हजार हेक्टेअर रकबे का पंजीयन 19 लाख 55 हजार 465 किसानों ने कराया । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि यह 19 लाख 55 हजार 465 किसान थे, उसमें कितने ऐसे किसान है, जिनने अपने पूरे रकबे का पंजीकरण के हिसाब से धान बेचा ? मेरे को यही जानकारी चाहिये ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी ने कहा है कि आप आराम से प्रश्न पूछें, आपका सभी उत्तर उनके पास है । उनको उत्तर खोजने दीजिए ना, काहे को परेशान हो रहे हैं। वह उत्तर दे रहे हैं ना, उन्होंने कहा ना कि वह पूरी तैयारी से आये हैं आपको सब उत्तर देंगे।

श्री अमरजीत भगत:- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र उधर से जो पूछ रहे हैं उसका हम जवाब दे रहे हैं। वह जवाब ले नहीं पा रहे हैं। जो जवाब देते हैं फिर घुमाकर दूसरा पूछते हैं।

अध्यक्ष महोदय:- आप दोनों की जो मित्रता है न वह आज प्रगट हो रही है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस स्थिति की आप बात कर रहे हैं उसमें से 33146 किसानों की संख्या ऐसी है जिन्होंने अपना शत-प्रतिशत धान बेचा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 33146 किसानों की जो संख्या है ये 06 फरवरी की तारीख की है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में इसे लिखा है और परिशिष्ट में यह हमें मिल चुका है। क्या 6 फरवरी के बाद बाकी किसानों ने धान नहीं बेचा? अब मंत्री जी कहते हैं कि 33146 किसानों ने अगर अपना पूरा धान बेचा है तो इनके हिसाब से 19 लाख से ज्यादा किसान बाकी हैं जिनका पूरा धान नहीं खरीदा गया है। सरकार इन किसानों के पूरे धान को खरीदने की व्यवस्था करेगी क्या? आप ये बता दें।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप एक साथ उत्तर देंगे। माननीय चन्द्राकर जी आप खड़े हों।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं।

अध्यक्ष महोदय :- या तो इनको प्रश्न करने से रूकवाईये। आप मुझको नहीं बोल सकते। मैंने कहा न कि मंत्री जी एक साथ उत्तर देंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पेशिफिक प्रश्न कर रहा हूं उसका उत्तर माननीय मंत्री जी नहीं दे पा रहे हैं तो वह चार प्रश्नों का एक साथ उत्तर कैसे देंगे? ये तो सुझाव हो जायेगा।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं कोई ऐसा नहीं है कि वह जैसा चाह रहे हैं वैसा ही हम उत्तर देंगे। जो शासन का उत्तर है, जो प्रश्न का जवाब है हम वैसा ही देंगे। हमने जितना पंजीयन कराया है, कितना धान खरीदा, कितना भुगतान किया, शत-प्रतिशत खरीदी का हमने बीड़ा उठाया है।

डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशिष सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन विधायकों के प्रश्न लगे हैं वह सब अपने प्रश्न का इंतजार कर रहे हैं और दूसरे प्रश्न का 16वां मिनट समाप्त हो चुका है।

श्री देवेन्द्र यादव :- यह प्रश्नकाल को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं यह ठीक नहीं है।

श्री विकास उपाध्याय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश की अवहेलना कर रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधानसभा में आपको एक जानकारी भर दे देता हूं एक प्रश्न एक घंटे चला था और उसका उत्तर नहीं मिला था, ये तो आज 32 मिनट हुआ है और किसान के मुद्दे पर हो रहा है।

डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशिष सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय वही तो बोल रहे हैं, जिस दिन चर्चा कराये हैं उस दिन चर्चा में रहना चाहिए था, भागना नहीं चाहिए था।

श्री विकास उपाध्याय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी चार सदस्य मिलकर पूरा समय खराब कर रहे हैं। उससे पूरा राज्य भी प्रभावित होता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप किसानी को नहीं समझोगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 6 फरवरी तक की बात करता हूं कि 33146 किसानों ने धान बेचा, पंजीकरण की संख्या भी परिशिष्ट में लिखी हुई है, 20 फरवरी तक जो खरीदी हुई, ये किसान अपना पूरा धान किन-किन कारणों से नहीं बेच पाये उसके लिए दोषी कौन है और उन दोषियों के ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे और यदि उनको अवसर नहीं मिला तो क्या फिर से उनको धान बेचने का अवसर प्रदान करेंगे?

अध्यक्ष महोदय:- सीधा-सीधा उत्तर है बता दीजिए।

श्री अमरजीत भगत:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसका उत्तर दे चुका हूं और हमारा फिर वही कहना है कि 19 लाख 55 हजार किसानों ने अपना पंजीकरण कराया, हमने इनसे 82 लाख 20 हजार मीट्रिक टन धान खरीदा और जो शत- प्रतिशत के लिए बोल रहे हैं उनका 30 हजार।

अध्यक्ष महोदय:- किन कारणों से नहीं बेच पाये उसके लिए जो दोषी हैं उन पर आप कुछ कार्रवाई करेंगे क्या?

श्री अमरजीत भगत:- इसमें हमारी तरफ से जो व्यवस्था की गई थी, असामयिक वर्षा होने के कारण बीच में जो मौसम ने साथ नहीं दिया उन्हीं सब कारणों से लोगों को दिक्कतें आई, उनकी दिक्कत को देखते हुए 15 फरवरी से बढ़ाकर 20 फरवरी तक डेट बढ़ाई गई।

श्री अजय चन्द्राकर:- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप संतुष्ट हैं तो मैं प्रश्न नहीं करूंगा। आपने काफी समय दिया लेकिन यह बोलिए कि 19 लाख किसान पंजीकृत हुए 33 हजार लोग भर बेच पाये, मौसम के कारण ही धान खरीदी 1 दिसंबर से हुई ये कहा, बीच में मौसम खराब हुआ, कुछ दिन के लिए यह बात है लेकिन ठीक है लेकिन सिर्फ मौसम के कारण खरीदी नहीं हो पाई क्या? ये भर कारण नहीं है। इसके लिए दोषी कौन-कौन हैं ये बताने का जरूर कष्ट करें और बाकी किसान जो पंजीकृत हैं ठीक है मान लो आप 93 प्रतिशत का खरीदे हैं, लेकिन 93 प्रतिशत का नहीं बाकी को धान बेचने का अवसर देंगे क्या?

अध्यक्ष महोदय :- आप जांच करा लीजिए ना क्या दिक्कत है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 18 लाख 20 हजार किसानों ने धान बेचा है। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- पूरे किसानों ने 35 हजार किसानों ने (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- पंजीकृत भगवा किसानों ने कितना किसानों का धान बेचा है। इसमें आप एक्सन नहीं लिये...(व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- बता रहे हैं। जिन किसानों का, हमने जो...।

अध्यक्ष महोदय :- मेरे ख्याल से माननीय मंत्री जी ये मौसम और ओले के अलावा कोई दोषी अधिकारी मान लो हैं, तो उसमें जांच कराने की क्या दिक्कत है। बोल दीजिए जांच करायेंगे। जांच करा लीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- जी-जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट तौर पर यह निर्देश दिया गया था।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक प्रश्न है।

श्री अमरजीत भगत :- आप सुन तो लीजिए, और निर्धारित समय में जो धान ले करके किसान आये उनका धान खरीदा गया और शेष..।

श्री अजय चंद्राकर :- सिर्फ 33 हजार, सिर्फ 33 हजार किसान (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, ये क्या उत्तर है ? (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- कल मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी कर दी है कि जिनका टोकन कटा है, उनका हम सचिव स्तर के अधिकारी से सत्यापन करा करके उनका धान खरीदेंगे। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- कल ये बोले हैं कि जिनके पास टोकन है उनका धान खरीदा जायेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सुन लीजिए, मान लीजिए मंत्री जी की पूरी तैयारी अगर जवाब देने के लिये नहीं है, तो इसको अगली तारीख पर रख लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- आप उनसे कक्ष में जाकर बात कर लीजिए ना।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, नहीं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। प्रदेश के लाखों लोगों से जुड़ा हुआ मामला है।

श्री अजय चंद्राकर :- पूरे प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि लाखों लोगों को (व्यवधान) अवसर मिला।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, धर्मजीत सिंह जी।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष जी, 1.7 प्रतिशत सिर्फ 1.7 प्रतिशत पंजीकृत किसानों का (व्यवधान) पूरी खरीदी की गयी है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिवरतन शर्मा जी ने जो प्रश्न किया उसका जवाब नहीं आया। माननीय अजय चंद्राकर जी ने जो प्रश्न किया वह जवाब नहीं आया। मंत्री जी ने यह कहा कि 33,34 हजार किसानों ने पूरा धान बेचा। 19 लाख 55 हजार किसानों का पंजीयन है। मंत्री जी खुद बोल रहे हैं कि वर्षा के कारण प्रभावित हुई तो इसके कारण किसान धान नहीं बेच पाये। शासकीय अवकाश है उसके कारण धान नहीं बेच पाये। तो ये बचे हुए जो किसान हैं, जो मौसम की खराबी के कारण धान नहीं बेच पाये और उनका जो एक आयात है कि 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से जो धान की बिक्री होनी चाहिए, जो इनके घोषणा पत्र में है, जो 15 साल तक डॉ. रमन सिंह की सरकार ने 15 क्विंटल प्रति एकड़ उनके हिसाब से खरीदी की गयी।

श्री अमरजीत भगत :- उसका भी लिस्ट है।

श्री धरमलाल कौशिक :- उसके हिसाब से वे यदि धान खरीदेंगे तो सौ लाख से ऊपर है। इन्होंने जानबूझकर पहले कम किया। 105 लाख मीट्रिक टन है। इन्होंने पहले जानबूझकर 85 लाख का लक्ष्य रखा। इसी कारण नवंबर से बढ़ा करके इन्होंने दिसंबर रखा। एक दिन के बारिश में एक सप्ताह और चार दिन तक की धान खरीदी इन्होंने जानबूझकर बंद रखा। उसके बाद में बोरे का अभाव था। मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि प्रदेश के किसान के हितों को ध्यान में रख करके जो किसान सरकार की अव्यवस्था के कारण धान नहीं बेच पाए हैं, ऐसे किसानों का धान मंत्री जी खरीदेंगे, क्या इस बात की घोषणा करेंगे ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय..।

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा मेरी बात सुन लीजिए। प्लीज बैठ जाएं। इसमें 20 मिनट से ज्यादा चर्चा हो चुकी है। आप पहले मेरी बात सुन लें।

श्री धरमलाल कौशिक :- समय बढ़ा दीजिएगा।

अध्यक्ष महोदय :- बढ़ा नहीं सकता। प्रश्नोत्तर काल में जरूरी प्रश्न पर चर्चा होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या धान के संबंध में चर्चा करने के लिए आपके पास और समय नहीं आयेगा ?

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, यही सबसे महत्वपूर्ण अवसर है। प्रश्नकाल ही सबसे महत्वपूर्ण अवसर है।

अध्यक्ष महोदय :- समय नहीं आयेगा। क्या बजट पेश नहीं होंगे ? क्या फिर से ध्यानाकर्षण नहीं आयेगा ? क्या आप फिर से कोई प्रस्ताव नहीं दे सकते ? क्या 139 की चर्चा नहीं हो सकती। नहीं-नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या आज के बाद से आप धान पर बात नहीं करेंगे। उनके पास जो बातें नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही स्पेशिफिक प्रश्न है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। सत्ता पक्ष भी बैठे हैं, प्रतिपक्ष भी बैठे हैं। एक बार एक प्रश्न आया था, चौबे जी को याद होगा।

श्री अमरजीत भगत :- क्या उसी का बदला ले रहे हैं ?

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं, बदला नहीं ले रहा हूं। (हंसी) सत्तू भैया, मंत्री थे उसका जवाब दिये थे।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भाषण चल रहा है पर...।

अध्यक्ष महोदय :- बैठो, उलझाइये मत।

श्री धरमलाल कौशिक :- सत्यनारायण शर्मा जी, यहां मंत्री थे। सत्यनारायण शर्मा जी जवाब दे रहे थे, हम लोग पूछ रहे थे। सत्यनारायण शर्मा जी का बदला ले रहे हो, क्या ऐसा सोच रहे हो।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं नही। ऐसा नहीं है।

श्री धरमलाल कौशिक :- प्रश्नकाल पूरा एक घंटा चला। बिजली के मामले को ले करके एक प्रश्न आया था। जब डॉ. साहब ने जवाब दिया। एक घंटा पूरा एक प्रश्न में चला है। माननीय चौबे जी मंत्री हैं, बैठे हुए हैं। मेरा यह कहना नहीं है कि कितना समय लगा। यदि प्रदेश का सबसे ज्यादा, आज भी मैं कह सकता हूँ कि जिसके ऊपर हम निर्भर हैं, वह किसान है। प्रदेश के अन्नदाता हैं और यदि उनके अन्नदाता के धान को ये सरकार अपमान करे, अन्नदाता का अपमान करे तो मुझे नहीं लगता कि इससे और कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है इसलिये मंत्री जी का जवाब आना चाहिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो हम सब के लिए पूरे प्रदेश के लिए धान का मुद्दा है और हम लोग चर्चा चाहते भी हैं। माननीय मंत्री जी बहुत अच्छे उत्तर दे रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- वाह।

श्री रविन्द्र चौबे :- इसमें वाह की क्या बात हो गई ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आपका उत्तर, मैं आपका किसानों के प्रति समर्पण को वाहवाही दे रहा हूँ।

श्री रविन्द्र चौबे :- धन्यवाद्। एक मिनट।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आप इस सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं और सबसे लम्बे समय तक संसदीय कार्यमंत्री रहने का आपका अनुभव है। एक भी प्रश्न का उत्तर आया है क्या ? आप ईमानदारी से बोल दीजिए कि एक भी प्रश्न का उत्तर आया है तो आप बता दीजिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- दो अलग-अलग प्रश्न कर रहे हैं। आपने पहले की डेट में प्रश्न लगाया और उसका उत्तर आ रहा है, लेकिन माननीय मंत्री जी ने कहा कि 18 लाख, 20 हजार किसानों के धान खरीदे।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 33 हजार किसानों के ही 15 क्विंटल धान खरीदे गये।(व्यवधान)ये पहले स्वीकार कीजिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने बहुत स्पेशिफिक प्रश्न किया है कि कितने किसानों ने अपने पूर्ण रकबे के हिसाब से धान बेचा?

श्री अजय चन्द्राकर :- उसके बाद बाकी आप जो बोल रहे हैं कि केवल 33 हजार किसानों के ही 15 क्विंटल धान खरीदे गये। ये पहले स्वीकार कीजिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने बहुत स्पेशिफिक प्रश्न किया है कि कितने किसानों ने अपने पूर्ण रकबे के हिसाब से धान बेचा? (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- उनका जवाब नहीं आ रहा है।

श्री विकास उपाध्याय :- माननीय नेता जी आप बता दीजिए कि आपने पूरा धान बेचा है या नहीं बेचा है?

श्री अजय चन्द्राकर :- वाह किसान नेता।

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- माननीय अजय भईया, शिवरतन भईया ये बताईये (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- आप कब से सक्षम हैं ?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है कि मैंने धान बेचा या नहीं बेचा। मैं अपने हित की लड़ाई करने के लिए विधायक नहीं बना हूँ। इस प्रदेश की जनता का अहित नहीं होना चाहिए। इस प्रदेश के किसानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं उसके लिए विधायक बना हूँ। मैं केवल अपने हित के संरक्षण के लिए, आप लोगों का विचार हो सकता है। हम अपने हित की लड़ाई के लिए विधान सभा में नहीं आये हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय नेता जी। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- आप ऐसा आरोप हमारे सदस्यों के ऊपर नहीं लगा सकते।

श्रीमति रश्मि आशिष सिंह :- हम सब भी चाहते थे कि आप उस दिन चर्चा में भाग लेते।

श्री देवेन्द्र यादव :- हम आपकी नियत को पहचानते हैं। आप अपनी नियत जानें।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको किसानों की चिंता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- ये तो ऐसे में आधे घण्टे की चर्चा हो जाएगी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरी चर्चा, पूरा प्रश्नकाल...।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। आप सुन तो लीजिये। तीसरा प्रश्न उनका है, वह भी धान पर ही है। धान पर उनका भी प्रश्न है जो चुपचाप बैठे हुए हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल एक पर जवाब आ जाये।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- मैं कोई उत्तर नहीं दे रहा हूँ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं।

श्री मोहम्मद अकबर :- केवल जानकारी दे चाह रहा हूँ कि इनके समय वर्ष 2017-18 में 23 हजार, 445 किसानों ने धान बेचा है। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी आप सभी का उत्तर दीजिये। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय मंत्री जी जवाब नहीं देना चाह रहे हैं और ये किसानों का मामला है। हम इस पर पीछे नहीं हटेंगे। (व्यवधान)

(पक्ष-प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में आये)

समय :
11:43 बजे **गर्भगृह में प्रवेश पर स्वयमेव निलम्बन**

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उप नियम (1) के तहत निम्न सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वयमेव निलंबत हो गये हैं :-

भारतीय जनता पार्टी

01. श्री धरमलाल कौशिक
02. डॉ. रमन सिंह
03. श्री ननकीराम कंवर
04. श्री पुन्नूलाल मोहले
05. श्री अजय चन्द्राकर
06. श्री नारायण चंदेल
07. श्री शिवरतन शर्मा
09. श्री डमरूधर पुजारी
10. श्री रजनीश कुमार सिंह
11. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू

कृपया निलंबित सदस्य सदन से बाहर जायें। मैं निलंबन की अवधि पश्चात् निर्धारित करूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(11.45 से 11.52 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

11:52 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमश:)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न क्रमांक-3 श्री धर्मजीत सिंह जी। आप समय को देखते हुए प्वाईन्टेड प्रश्न पूछ लीजिए।

प्रदेश में खेती का रकबा और औसत धान उत्पादन

3. (*क्र. 837) श्री धर्मजीत सिंह : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरीफ वर्ष 2017-2018 एवं 2019 में प्रदेश के किसानों में कुल कितनी रकबा में धान की खेती की इसमें कितना सिंचित/असिंचित रकबा दर्ज किया गया ? जिलेवार ब्यौरा दें ? (ख) कंडिका "क" के वर्षों में धान उत्पादन की मात्रा प्रति हेक्टेयर औसत क्या रहा इसका आंकलन का आधार क्या है ? (ग) कंडिका "क" के किसानों को क्या उत्पादन बढ़ाने/प्रोत्साहित करने के लिए प्रमाणिक बीज का वितरण भी किया गया ? यदि हां, तो कितनी-कितनी मात्रा में कितने किसानों को?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जानकारी †[2] संलग्न प्रपत्र "अ" पर है. (ख) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत फसल कटाई प्रयोग के आधार पर उत्पादन का आंकलन किया गया है, जिलेवार प्रति हेक्टेयर औसत उपज की जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" पर है. (ग) जी हां, प्रमाणित धान बीज वितरण एवं कृषक संख्या का विवरण निम्नानुसार है :—

वर्ष	वितरित प्रमाणित धान बीज मात्रा (क्वि.)	लाभान्वित कृषक संख्या
खरीफ वर्ष 2017	647770.12	531947
खरीफ वर्ष 2018	695339.83	467258

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न भी संक्षिप्त है और उत्तर भी बहुत व्यापक है। माननीय मंत्री जी आपने पूरा रकबा बताया है, आपका संशोधन ''अ'' मिला है, मैं ''ब'' के बारे में पूछना चाहता हूं। प्रपत्र '''ब'' में आपने 4 जिले रायगढ़, जांजगीर-चांपा, बालोद, बलरामपुर में असिंचित क्षेत्र में जो धान की पैदावार हुई है, उसकी पैदावार आपने सिंचित क्षेत्र से ज्यादा दर्शाया है। या तो ये आंकड़ा सही नहीं होगा, या यहां पर अगर कोई खास किस्म के बीज का प्रयोग हुआ हो ताकि उस बीज

[2] परिशिष्ट ''दो''

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

का नाम, पता चले तो उसे अन्य असिंचित क्षेत्र में भी भेजकर धान की पैदावार बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। कृपा करके इसको मुझे स्पष्ट कर दें।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, ये आंकड़ें राजस्व विभाग के क्राफ्ट कटिंग के आधार पर बनाये जाते हैं, उसी के आधार पर आपको आंकड़े दिये गये हैं। धान के अलग बीज का सवाल नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में जो बीज का उपयोग किया जाता है, वही बीज का उपयोग किया जाता है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अगर असिंचित क्षेत्र के लिए किसी नये बीज का ईजाद हो तो उसके बारे में बताने का कष्ट करें।

श्री रविन्द्र चौबे :- संभव है। ऐसा होता है। अगर कभी ज्यादा बारिश हो गई, अगर किसानों ने इस तरीके से फसल लिया तो असिंचित क्षेत्र में उत्पादन ज्यादा हो जाता है।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं आपसे दूसरा निवेदन कर रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस प्रदेश में बहुत सा एरिया ऐसा है, जहां असिंचित क्षेत्र है, जहां सिंचाई की पूरी व्यवस्था नहीं है फिर भी लोग धान बोते हैं। हमारे पास इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, क्या आप असिंचित क्षेत्र में कोई ऐसे बीज के बारे में उनसे बोलकर कुछ व्यवस्था कराने का प्रयास करेंगे जिसमें फसल ज्यादा हो सके और वह भी बिना पानी के हो सके? इस दिशा में मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में सिंचित क्षेत्र का रकबा ही कितना है, करीब 13 लाख हेक्टेयर है। धान की फसल कितने रकबे में बोई जाती है, छत्तीसगढ़ में असिंचित रकबा ही ज्यादा है। अगर आप का सुझाव है कि यूनिवर्सिटी से और कुछ ऐसा करा लिया जाये तो उसको कर लेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा निवेदन यह है कि आपने अपनी जानकारी में बताया है कि धान प्रमाणित बीज बहुत कम मात्रा में किसान उठा रहे हैं । माननीय मंत्री जी, 18-19 लाख किसान धान की पैदावार कर रहे हैं और केवल 4 लाख 62,000 किसान प्रमाणित बीज का उपयोग कर पा रहे हैं तो मेरा इस संबंध में यह निवेदन है कि कई बार हम सुनते हैं कि प्रमाणित बीज नहीं होने के कारण या अच्छा बीज उपलब्ध नहीं होने के कारण बहुत बवाल मचता है तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं और यह पूछना भी चाहता हूं कि क्या आप प्रमाणित बीज ज्यादा से ज्यादा देने के लिये उपलब्ध करायेंगे और क्या उन्हें किसानों को ज्यादा से ज्यादा उठाने के लिये आप अपने विभाग के अधिकारियों से प्रेरित कराने का काम करेंगे ? चूंकि हर साल प्रमाणित बीज के लाभांवित किसान कम हुए हैं । यह आपके ही जवाब में है कि पिछले साल ज्यादा थे तो इस साल कम हो गये हैं तो यदि हम प्रमाणित बीज दे सकते हैं तो क्या उसके लिये आपके विभाग की तरफ से कोई पहल करायेंगे ? किसान प्रमाणित बीज ज्यादा से ज्यादा उठायें । 19 लाख किसानों में से केवल 4 लाख किसानों ने प्रमाणित बीज का उपयोग किया है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, खरीफ वर्ष 2017 में आधार बीज इसके पूरे आंकड़े मैं आपको बता देता हूं कि किसानों ने कितना उपयोग किया । यह सही है कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से बीज निगम द्वारा फाउंडेशन सीड और सर्टिफिकेशन का सीड दिया जाता है उसके आंकड़े बढ़ने चाहिए । पिछले वर्षों की तुलना में निश्चित रूप से थोड़ी कमी आयी है लेकिन इस दिशा में लगातार विभाग का प्रयास रहता है और हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा किसान फाउंडेशन बीज और सर्टिफिकेट बीज का उपयोग करें ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आखिरी प्रश्न । सरकार ने 2500 रूपए क्विंटल में धान खरीदने का निर्णय लिया । स्वाभाविक रूप से सरकार की इस बहुत ही किसानों के हित में लिये गये निर्णयों से किसानों का रूझान भी धान की ओर बढ़ा इसके फलस्वरूप यह हो रहा है कि हमारे गन्ने का रकबा बहुत घट गया है, सोयाबीन का रकबा घट गया है और हमारे पुरातन ग्रामीण अंचल में आजकल कोदो वगैरह को तो कई लोगों ने यानी आजकल के नये लड़कों ने देखा भी नहीं होगा । माननीय मंत्री जी, कल ही आपने कोदो का व्यंजन खिलाया था तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि गन्ने का रकबा बढ़ाने के लिये और उसको प्रोत्साहन देने के लिये क्या आप कोई विचार करेंगे ? कोदो-कुटकी और सोयाबीन जैसी फसल को बढ़ाईये ताकि किसान उस दिशा में भी आगे बढ़ें अन्यथा ऐसा न हो कि अरहर, सोयाबीन, गन्ना, कोदो-कुटकी यह सब धान के चक्कर में विलुप्त हो जाये तो इस दिशा में भी क्या आप किसानों के बीच में कोई प्लान करके जागरूकता और उन्हें प्रोत्साहन देने का काम करेंगे ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका सुझाव अच्छा है । 2500 रूपया प्रतिक्विंटल देने के कारण निश्चित रूप से धान का रकबा बढ़ा है लेकिन विभाग की भी कोशिश है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिये हुए हैं छत्तीसगढ़ में मक्का, छत्तीसगढ़ में दलहन-तिलहन, छत्तीसगढ़ में गन्ना, कोदो-कुटकी, रागी का रकबा बढ़ना चाहिए और आने वाले समय में हम लोग विचार कर रहे हैं जिस प्रकार से पिछले साल से धान की फसल में प्रोत्साहन राशि दी जा रही है उसी प्रकार आने वाले समय में विभाग की यह कोशश है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार कि यहां मक्के का रकबा बढ़ना चाहिए, यहां गन्ने का रकबा बढ़ना चाहिए, यहां दलहन-तिलहन का रकबा बढ़ना चाहिए । हम उसमें किसानों की और क्या मदद कर सकते हैं, किस प्रकार उनको प्रोत्साहन बोनस दे सकते हैं इसमें विभाग विचार कर रहा है ।

<u>रायगढ़ जिले के भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन व्यवस्था</u>

4. (*क्र. 790) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले के विकासखंड रायगढ़, पुसौर एवं बरमकेला में कितने

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं ? भवन विहीन आंगनबाड़ियों हेतु क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ? (ख) उक्त आंगनबाड़ियों में भवन निर्माण की स्वीकृति कब तक प्रदान की जावेगी ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेड़िया) : (क) रायगढ़ जिले के विकासखण्ड रायगढ़, पुसौर एवं बरमकेला में 258 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं के भवन विहीन है. स्वयं के भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में, अन्य शासकीय भवनों में, एवं सामुदायिक भवनों में संचालित हो रहे है. (ख) स्वयं के भवन विहीन 258 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 112 केन्द्रों के लिए भवन स्वीकृत किये जा चुके हैं, 146 केन्द्रों के लिए भवन स्वीकृत किया जाना शेष है. वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भवन स्वीकृत किये जाते हैं, अतः भवन निर्माण स्वीकृति की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैंने पूछा है कि रायगढ़ जिले के बरमकेला, पुसौर और रायगढ़ ब्लाक में कितने आंगनबाड़ी केंद्र भवन विहीन हैं तो इसमें जवाब आया है कि इसमें 258 आंगनबाड़ी केंद्र भवन विहीन हैं और 112 भवन स्वीकृत किये गये हैं तो यह जो 112 स्वीकृत भवन हैं यह कब तक पूर्ण हो जायेंगे या पूर्ण हो गये हैं ?

श्रीमती अनिला भेड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अपूर्ण हैं वह बहुत जल्दी पूर्ण किया जायेगा और कुछ अप्रारंभ है उसको भी जल्दी प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे ।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 146 केन्द्र भवन विहीन हैं उनको भवन कब मिलेगा ?

श्रीमती अनिला भेड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध होने के बाद वह भवन स्वीकृत होंगे ।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं जो किराये के भवन में चल रहे हैं ?

श्रीमती अनिला भेड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किराये के भवन में 148 आंगनबाड़ी भवन चल रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

12:00 बजे

निलम्बन समाप्ति की घोषणा

अध्यक्ष महोदय :- प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250(1) के तहत माननीय सदस्यगण अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गए थे । मैं उनका निलंबन समाप्त करता हूं ।

पृच्छा

अध्यक्ष महोदय :- शून्यकाल में आज कोई सवाल हो तो, आज कोई पूछने वाला नहीं है । माननीय मरकाम जी आप प्रश्नकाल के दौरान कुछ कह रहे थे ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजैपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिनों पहले जांजगीर-चांपा में इंदौर की इंटेलीजेंस टीम ने बिना जांजगीर की टीम को जानकारी में लिए, उन्होंने गांजा पकड़ा । अध्यक्ष महोदय, यह प्रतिबंधित मादक पदार्थ की पुलिस के संरक्षण में खुले आम बिक्री हो रही है और उसी प्रकार प्रदेश में अवैध शराब भी बिक रही है । इस पर मैंने ध्यानाकर्षण दिया है । कृपया उसको ग्राह्य करके चर्चा कराएंगे ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने सदन में प्रवेश किया)

श्री शिवरतन शर्मा(भाटपारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति समाप्त हो गई है । अपहरण, बलात्कार, लूट की घटनाएं बढ़ी हैं। जनप्रतिनिधियों को धमकाया जा रहा है । यहां तक मुख्यमंत्री और प्रदेश के आबकारी मंत्री जी तक को धमकाने, चमकाने की घटनाएं हुई हैं । विधायक को धमकी देने की बात हुई है । उस पर हमने स्थगन दिया है, आपसे निवेदन हैं कि उस पर चर्चा कराएं ।

अध्यक्ष महोदय :- कल भी इसी प्रकार के प्रश्न आए थे । आज भी हैं, मैं इस पर विचार करूंगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- इसके किसी न किसी रूप में ले सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं लूंगा ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- अध्यक्ष महोदय, हमने स्थगन, ध्यानाकर्षण दोनों दिया है और आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि प्रश्नों के उत्तर में इस बात को कहा गया है कि 6000 से

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

ज्यादा मौतें दो साल से छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटना में हो गईं । आज के अखबारों में भी सड़क दुर्घटना में मृत्यु की ख़बर है । परिवहन विभाग, स्थानीय शासन विभाग, पुलिस विभाग के ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है । कोई को-ऑर्डिनेशन नहीं है । केवल हेलमेट के नाम पर वसूली होगी या थोड़ी बहुत कार्रवाई करके इतिश्री कर दी जाती है और सबसे ज़्यादा दुर्घटना वाला प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रदेश बन गया है । हमने उस पर स्थगन और ध्यानाकर्षण दोनों दिया है । लोक महत्व का विषय है, आपसे आग्रह है कि उसको स्वीकृत करके चर्चा करवाइए ।

अध्यक्ष महोदय :- अवश्य करवाएंगे । आपको चर्चा का अवसर अवश्य देंगे ।

समय :
12:03 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

अध्यक्ष महोदय :- सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाए गए विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138(3) को शिथिल करते हुए, मैंने आज की कार्यसूची में 3 ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किए जाने की अनुज्ञा प्रदान की है । मैं समझता हूं, सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।)

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर में अरपा नदी है, इस नदी में पूरे बिलासपुर के सीवरेज का पानी, नाले का पानी, नाली का पानी और बहुत सारे उद्योगों का पानी छोड़ने के कारण, अरपा का पानी न तो पशुओं के पीने के योग्य है, न निस्तार के योग्य है और यदि उसमें कोई नहा ले तो उसको फोड़ा, फुंसी और विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाए । हमने इस विषय पर ध्यानाकर्षण दिया है, उसको ले लेंगे तो उसको ट्रिटमेंट करके उसका पानी निस्तार योग्य बनाया जाए । इससे पूरे क्षेत्र के लोगों को काफी आक्रोश है ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है । डॉ. रमन सिंह अपनी ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ेंगे।

(1) सिलतरा चौकी में पुलिस अभिरक्षा में एक व्यक्ति की मौत.

डॉ. रमन सिंह (राजनांदगांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :- पुलिस प्रशासन की लापरवाही दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है । एक तो पुलिस अपराध में नियंत्रण नहीं कर रही, वहीं दूसरी ओर पुलिस अभिरक्षा में मौत का सिलसिला जारी है । घटना दिनांक 20.01.2020 के अनुसार चोरी के आरोप में पकड़े गए युवक नरेन्द्र यादव (40 वर्ष) को भट्ठी वालों ने

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया । सिलतरा चौकी में उसके खिलाफ चोरी का माला दर्ज किया गया एवं थाने में उसकी पिटाई की गई, जिससे उसको अंदरूनी चोटें आईं । पिटाई के कारण उसकी हालत खराब हो गई, हालत खराब होने के बावजूद भी धरसीवां पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती नहीं किया, बल्कि उसको मोटर साइकिल से कोर्ट में पेश करने ले गये और इसी दौरान वह गिरकर बेहोश हो गया । अंबेडकर अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया । नरेन्द्र की मृत्यु पुलिस कस्टडी में हुई । पिटाई के कारण हुई मौत का मृतक की पत्नी पुलिस के ऊपर आरोप भी लगाया है । इसके पूर्व भी जिला कोरिया जिला कोरबा में पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु की घटना हो चुकी है । पुलिस के इस लापरवाहीपूर्ण कृत्य से आम नागरिकों में भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, प्राप्त जानकारी के अनुसार यह कहना सही नहीं है कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है या पुलिस अपराध में नियंत्रण नहीं कर रही या पुलिस अभिरक्षा में मौत का सिलसिला जारी है।

ध्यानाकर्षण सूचना में कथित घटना के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 18/01/2020 को सुबह शराब दुकान सिलतरा से डायल 112 को सूचना दिया कि उन्होंने एक व्यक्ति जो शराब दुकान में चोरी करने घुसा था, उसे पकड़कर रखा है। सूचना पर डायल 112 के स्टाफ द्वारा संदेही नरेन्द्र नायक को पुलिस चौकी सिलतरा लाये। प्रार्थी लोकेश्वर साहू की रिपोर्ट पर नरेन्द्र नायक के विरूद्ध थाना धरसींवा में अपराध क्रमांक 30/20 धारा 457, 380 भारतीय दण्ड विधान पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी पुलिस को पूर्व से चोटित अवस्था में मिला था। यह कहना सही नहीं है कि पुलिस के द्वारा उससे कोई मारपीट की गई है। विवेचना के दौरान आरोपी नरेन्द्र नायक को आई चोटों का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 18/01/2020 को कराया गया। डॉक्टर द्वारा परीक्षण में चोटों का उल्लेख किया गया, परन्तु न ही कहीं रिफर किया गया, न ही भर्ती किया गया।

इसी बीच दिनांक 18/01/2020 को दोपहर 12.45 बजे प्रार्थिया श्वेता लक्ष्मी नायक पति नरेन्द्र नायक द्वारा पुलिस सहायता केन्द्र सिलतरा में लिखित आवेदन दिया कि उसके पति नरेन्द्र नायक को सिलतरा शराब दुकान वाले शराब पिलाकर मारपीट किये हैं। रिपोर्ट पर शराब दुकान कर्मियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 32/2020 धारा 341, 294, 506, 323, 34 भारतीय दण्ड विधान पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। यह कहना सही नहीं है कि मृतक की पत्नी के द्वारा पुलिस पर मारपीट का कोई आरोप लगाया गया है।

आरोपी नरेन्द्र नायक को उसके विरूद्ध चोरी के प्रकरण में दिनांक 18/01/2020 को 2.00 बजे गिरफ्तारी दर्ज कर न्यायालय रवाना किया गया। रास्ते में वह बेहोश हो गया, जिस पर उसे तत्काल 108 एम्बुलेंस में उसकी पत्नी के साथ मेकाहारा ले जाया गया, जहां परीक्षण के पश्चात् डॉक्टर ने मृत

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

घोषित कर दिया, जिस पर पुलिस चौकी मेकाहारा थाना मौदहापारा में 0/51/2020, धारा 174 दण्ड प्रक्रिया संहिता कायम किया गया। थाना धरसींवा में असल मर्ग 13/2020 कायम किया गया। शव पंचनामा कार्यवाही न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर द्वारा की गई एवं 03 डॉक्टरों की टीम द्वारा शव परीक्षण किया गया। डॉक्टर द्वारा मृतक की मृत्यु शरीर में आई चोटों से होना लेख किये हैं। सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग की गई है। प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जा रही है।

अपराध क्रमांक 32/2020 की विवेचना के दौरान मृतक को शराब दुकान के बाहर शराब कर्मियों द्वारा मारपीट किये जाने का वीडियो मिला, जिसे विधिवत जब्त किया गया। साथ ही प्रकरण में धारा 304 भारतीय दण्ड विधान जोड़ी गई और घटना में शामिल सभी तीन आरोपियों लोकेश्वर साहू, वैभव लसेल एवं राजेश वर्मा को दिनांक 21/01/2020 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जो वर्तमान में जेल में निरूद्ध है। प्रकरण विवेचना में है।

जिला कोरिया एवं कोरबा में पूर्व में घटित इस प्रकृति के प्रकरणों में नियमानुसार समुचित कार्यवाही की गई है।

पुलिस के द्वारा की गई त्वरित एवं वैधानिक कार्यवाही से क्षेत्र की जनता का विश्वास पुलिस एवं प्रशासन के प्रति बढ़ा है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय डॉ. रमन सिंह जी।

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर विषय है। पूरे प्रदेश में गंभीर हालात है कि पुलिस अभिरक्षा में लगातार मौतें हो रही हैं और यह विभाग के जवाब में ही आया कि दिनांक 07/05/2029 से दिनांक 18/01/2020 के बीच पुलिस अभिरक्षा में गरियाबंद, बालोद, सूरजपुर, सरगुजा, राजनांदगांव, रायपुर और एक घटना और जुड़ गई है, में इतनी मौतें हो चुकी हैं और इसे स्वीकार किया गया है। क्या हालात होते जा रहे हैं? पुलिस अभिरक्षा में सिर्फ 5 महीने के अंदर 6-7 लोगों की मौत हो जाती है। इस प्रकार पुलिस निरंकुश होते जा रही है। ये बोल रहे हैं कि न भय है न आतंक है। जब कोई पुलिस थाने जाता है और जिंदा लौट जाता है तो लोगों को खुशी होती है कि पुलिस अभिरक्षा से जिंदा तो लौट आया। छोटी-मोटी चोरी होती है। इसके बारे में सीधा कहा गया है कि सबेरे 5 बजे वह चोर घुसता है और उसको पकड़कर भट्ठी के कर्मचारी मारते हैं। वह 9 बजे थाने आता है। थाने में लाकर उसको बैठाया जाता है। दोपहर 2 बजे तक इतनी हालत खराब हो जाती है कि उसको हास्पिटल ले जाते-ले जाते उसकी मौत हो जाती है। वहां पर पिटाई से उसकी मौत नहीं हुई, जहां पर भट्ठी के कर्मचारियों ने मारा। 9 बजे से लेकर 2 बजे तक वह सुरक्षित बैठा रहा, सुरक्षित रहा। पुलिस अभिरक्षा में 7 घंटे के अंदर उसके साथ मारपीट किया गया। मंत्री जी ने कि मौत का कारण हेड इन्ज्यूरी बताया है। अंदर में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

क्लाट है। आप एक बार पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट डिटेल बता दीजिये तो पूरा समझ में आ जायेगा कि किस हालात में उसकी मौत हुई। मैं सिर्फ डिटेल पोस्ट मार्टम रिपोर्ट जानना चाहता हूं।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय डाक्टर साहब बहुत वरिष्ठ, तीन-तीन बार मुख्यमंत्री रहे हैं। वह 7 घंटे थाने में नहीं बैठा था। मैंने कहा कि भट्ठी में जो मारपीट की गई, उसका वीडियो क्लिीपिंग बहुत स्पष्ट है। मैं टाईम के हिसाब से भी बता देता हूं कि 5 बजे डायल किया गया। 18.1 को 7.40 बजे शराब दुकान सिलतरा से 112 को डायल किया। 112 ने 8.52 को उसको सिलतरा सहायता केन्द्र लाकर छोड़ दिया। भट्ठी वाले आकर 11 बजे आवेदन दिए और उसके बाद 11.20 जैसा कि डाक्टर साहब ने कहा कि 7 घंटा अस्पताल नहीं ले गये। 11.20 बजे उसको डाक्टरी मुलाहिजा के लिए धरसीवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लाया गया, जहां डाक्टर ने 12 बजे उसका परीक्षण किया। डाक्टर ने परीक्षण करके कुछ चोटों का उल्लेख किया। पुलिस नहीं कहती कि उसको भर्ती करो। वह काम डाक्टर का होता है कि चोट किस प्रकार का है, भर्ती करने लायक है या रेफर करने लायक है।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं टेक्नीकल विषय पर जा ही नहीं रहा हूं। मैं बहुत सीधा सा सिम्पल प्रश्न पूछ रहा हूं डाक्टरी मुलाहिजा कराया गया, पी.एम. रिपोर्ट में क्या कहा गया ? उस रिपोर्ट में मौत का कारण क्या बताया गया है ? आपको एक मिनट की बात बताना है। आप इधर-उधर घुमाने की बात मत करिये। cause of death क्या है ? मौत क्यों हुई ? उसको पुलिस अभिरक्षा में कितना मारा गया ? उसको स्कूटर में बैठाकर ले जाया गया, एम्ब्युलेंस की व्यवस्था नहीं हुई। वह 4 घंटा थाने में तड़फते रहा। उसको first aid नहीं दिया गया, उसको medical aid नहीं दिया गया। उसकी रास्ते में मौत होती है। मेकाहारा ले जाते समय उसकी मौत नहीं होती है। आप उसको मोटर सायकल में बैठाकर ले जा रहे हो। जिस आदमी का ब्रेन हेमरेज हो गया है, cause of death बताने में आपको शर्म आ रही है, दिक्कत आ रही है ? आप cause of death बतायें कि इतना मारा गया, उसके सिर पर लाठी पड़ी है, उसका ब्रेन हेमरेज हुआ, उसका कारण तो बतायें ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉ. साहब मुझे शर्म नहीं आ रहा है। जो जानकारियां हैं, वह पूरी जानकारी दे रहा हूं। आपने ही कहा था, आपने सिर्फ एक बात नहीं पूछी थी, 7 घंटा बैठाने की बात कही, उसका पहले जवाब दिया। आपको पी.एम. रिपोर्ट का भी जवाब देता हूं। डाक्टर का अभिमत है बराबर वीडियो रिकार्डिंग हुई है, उसमें कोई छिपाने की बात नहीं है। 3 डाक्टरों की टीम ने पी.एम. किया है। उसमें लिखा है कि चोटों के आधार पर मृत्यु हुई है।

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, उसकी पिटाई हुई, उसका हेमरेज हुआ। चोट के आधार पर उसका ब्रेन हेमरेज हुआ। ब्लड क्लाटिंग हुई और पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में ब्लड क्लाटिंग का रिपोर्ट आया है। ब्लक क्लाटिंग तब होता है, जब उसके सिर पर या तो डंडे से या लाठी से मारी जाती है तब सिर फूटता है, इतना आसानी से ये चोट नहीं आता है। ब्ल्ड क्लाट होने के बाद वहां 4 घंटे बैठा रहा। ब्लड

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

क्लाट होने के एक घंटे बाद भी medical aid मिल जाता है, जिसे Goldan hour कहा जाता है, यदि उस समय उसको first aid मिल जाता, उसको ईलाज हो जाता। घोर लापरवाही हुई है। उसको थाने में बैठाकर रखा गया। वहां उसकी पिटाई की गई। पिटाई के बाद उसका हेमरेज बढ़ता गया। जब उसको बेहोशी छाने लगा तो स्कूटर में बिठाकर ले जाते हैं। यहां पर डाक्टरों ने जो रिपोर्ट दी है, उसके स्वस्थ होने का। तो पहली कार्रवाई डाक्टरों के ऊपर होनी चाहिए। दूसरा, वहां पर पुलिस के कर्मचारी जो उसको लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके ऊपर जब तक कार्यवाही नहीं होगी, सिर्फ आप शराब भट्ठी के लोगों में आज पांच बजे सबेरे झगड़ा हुआ या शराब पीने या चोरी करने गया था, उसका अपराध ये हो सकता है । चोरी करने का इतना अपराध नहीं है कि उसका इतना मारा जाए कि उसकी मौत हो जाए । ये हक पुलिस को किसी ने नहीं दिया है कि उसकी इतनी ठुकाई हो । माननीय मंत्री जी, उस के खिलाफ जो धारा लगाई गई है, उसको एक बार फिर से बताईए और दूसरा विषय यह है कि वह पुलिस कर्मी और चिकित्सक, जिन्होंने उसको स्वस्थ्य घोषित किया, उनके ऊपर क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि इसमें न्यायिक जांच चल रही है, उसके खिलाफ कार्यवाही करने की घोषणा मैं यहां नहीं कर सकता । मजिस्ट्रेलियल जांच रिपोर्ट में जो तथ्य आएगा, जो कार्यवाही वे लिखेंगे, वह कार्यवाही जरूर की जाएगी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने न्यायिक जांच भी कहा और मजिस्ट्रेलियल जांच भी कहा । यह बताईए कि न्यायिक जांच चल रही है या मजिस्ट्रेलियल जांच चल रही है ?

अध्यक्ष महोदय :- आप स्पीच आफ टंग को क्यों इतना पकड़ते हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- यह विधान सभा है । न्यायिक जांच और मजिस्ट्रेलियल जांच महत्वपूर्ण चीज है । इतने जिम्मेदार आदमी से टंग आफ स्लीप नहीं मानी जा सकती ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- न्यायिक मजिस्ट्रेट ।

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, न्यायिक जांच ही हो जाए तो ये सारे तथ्य और सामने आएंगे । मैंने एक के साथ-साथ जो लिस्ट बतायी है, वह 7 मौतें पुलिस अभिरक्षा में हुई है । यह पाण्डुका, गुरूर, चरौदा, सिटी कोतवाली अंबिकापुर, भूमका, धरसींवा, यहां इतना हौसला बढ़ता जा रहा है कि 6 महीने के अंदर यह घटनाएं बढ़ती जा रही है और पुलिस उस पर कार्यवाही नहीं कर रही है । इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि पिटाई हुई, पुलिस अभिरक्षा में आया और अभिरक्षा में आने के बाद तीन-चार घंटे थाने में बैठा रहा तो पुलिस का पहला कर्तव्य यह नहीं होता कि जो व्यक्ति घायल है, जो व्यक्ति जख्मी है, जिसको इतना मारा गया है कि उसका ब्रेन हैम्ब्रेज हो गया है, उसको तीन-चार घंटे बिठाने के बाद भी पहले पुलिस उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं या उसको कोर्ट में ले जाने की स्थिति है ? ये पुलिस की सबसे बड़ी जवाबदारी है । आज हिन्दुस्तान के अंदर जितने भी न्यायालय हैं, वे यह कहते

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हैं कि स्वस्थ्य अवस्था में ही न्यायालय ले जाया जाए । न्यायालय मे ले जाने के पहले उसको जिस प्रकार से मेडिकल कराया गया, घायल अवस्था में उसको भेजा गया तो पहले उसको हॉस्पिटलाईज़ करना था या उसको न्यायालय ले जाना था ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही कहा है कि पहले अस्पताल ले गए हैं, उसके बाद फिर वापस लाए हैं, उसके बाद फिर ले गए हैं । मैंने पहले ही कहा कि 11 बजकर 20 मिनट में मुलाहिजा के लिए अस्पताल भेजा गया । डॉक्टर ने उसका परीक्षण किया, निरीक्षण किया । डॉक्टर निरीक्षण में क्या पाएगा, वह तो डाक्टर ही समझेगा । पुलिस डाक्टर तो नहीं है । पुलिस के अधिकारियों ने एम.बी.बी.एस. नहीं किया है । अब कितन चोट पाया, क्या दवाई देना है, क्या इंजेक्शन दिया...

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है । कल भी यह बात आ रही थी कि डॉक्टर जानेंगे । अभी भी बात आ रही थी, एक मंत्री महोदया उत्तर दे रही थीं कि वे जानेंगे । कोई भी विभाग हो, हम सरकार से उत्तर मांगते हैं, सरकार के मंत्री उत्तर दे रहे हैं । विभाग के मंत्री बस उत्तर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है । इसलिए यदि डाक्टर ने गलत किया है या किसी ने भी गलत किया है तो वे जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, उनको यह बताना होगा, यह विधान सभा है ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, मैंने उसके लिए कह दिया कि जांच चल रही है । जांच में जिनकी गलती आएगी, अगर डॉक्टर की गलती आएगी, पुलिस की गलती आएगी, वह प्रमाणित होगा, उसके अनुसार कार्यवाही होगी, यह मैं कह रहा हूं ।

(2) नगर पालिका परिषद चांपा क्षेत्र अंतर्गत हसदेव पुल से घटौली चौक तक सड़क चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण के कार्य में अनियमितता किया जाना.

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा), (श्री देवव्रत सिंह) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :- नगरपालिका परिषद चांपा क्षेत्र अंतर्गत हसदेव पुल से घटौली चौक तक डिवाईडर, सड़क चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण के कार्य की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा दिया जाकर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई । इस कार्य हेतु निविदा सिस्टम नंबर 36433 आमंत्रित की गई । स्थल का चयन सही नहीं किया गया है तथा डिवाईडर के लायक स्थान नहीं है । स्वीकृत कार्य के तहत प्राक्कलन में प्रावधानित कार्य के अतिरिक्त बिना लिखित आदेश के कार्य संपादित नहीं किया जाना है तथा सड़क निर्माण कार्य 18 माह में पूर्ण किया जाना है । ठेकेदार को निर्माण कार्य के गुणवत्ता परीक्षण हेतु सैम्पल टेस्टिंग हेतु कांक्रीट कार्य संपादित करते ही विभाग को अवगत कराना था । ठेकेदार द्वारा निम्न गुणवत्ता का कार्य किया जा रहा है । कांक्रीट कार्य में सीमेंट बहुत कम मात्रा में लगाया जा रहा है । ठेके की शर्तों के अनुरूप लेबोरेटरी में टेस्टिंग भी नहीं करायी जा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

रही है । इसकी शिकायत विभागीय अधिकारियों को किये जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है तथा आज पर्यन्त कार्य अधूरा है । निम्न गुणवत्ता का कार्य करने के बावजूद भी ठेकदार के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। विभागीय अधिकारियों तथा ठेकेदार की मिलीभगत कर निविदा निरस्त न किए जाने से क्षेत्रवासियों में असंतोष व्याप्त है ।

श्री श्रीवास

श्रीवास\28-02-2020\b15\12.20-12.25

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ.शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हॉं यह सही है कि नगर पालिका परिषद चांपा के द्वारा हसदेव पुल से घटौली चौक तक डिवाईडर, सड़क चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण के कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा प्रशासकीय स्वीकृति विभाग के द्वारा दी गई थी । नगर पालिका परिषद चांपा के आदेश दिनांक 06.09.2018 के द्वारा कार्य को 18 माह में पूर्ण करने हेतु कार्यादेश जारी किया गया था । स्थल पर विद्युत खम्भे एवं ट्रांसफार्मर होने के कारण शिफ्ट करने हेतु रू.44.76 लाख का भुगतान 18.09.2018 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्या.चांपा को किया गया था, परन्तु स्थानीय निवासियों के द्वारा विरोध के कारण उक्त कार्य को स्थगित कर दिया गया था, जिसे दिनांक 14.03.2019 को शिफ्ट किया गया । इसी अवधि में सड़क चौड़ीकरण क्षेत्र के वृक्षों को काटने की अनुमति न्यायालय कलेक्टर जांजगीर-चांपा के द्वारा 03.01.2019 दिया गया । वनमण्डलाधिकारी के द्वारा दिनांक 06.05.2019 को वृक्षों की कटाई का कार्य पूर्ण करने की जानकारी दी गई ।

यह कहना सही नहीं है कि स्थल का चयन सही नहीं किया गया है तथा डिवाईडर के लायक स्थान नहीं है, अपितु वृक्षों के कटाई के फलस्वरूप सड़क/डिवाईडर हेतु पर्यप्त स्थान उपलबध हो गया है । किन्तु डिवाईडर की चौड़ाई 1.50 मीटर के स्थान पर 0.50 मीटर बनाया जा रहा है । ठेकेदार के द्वारा कार्य प्रारंभ करने हेतु स्थल पर सामग्री संग्रहित किया गया तथा उक्त सामग्री का परीक्षण परियोजना क्रियान्वयन ईकाई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जांजगीर-चांपा को भेजा जाकर परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 02.05.2019 को प्राप्त किया गया तथा ठेकेदार के द्वारा निर्माण स्थल में कार्य प्रारंभ कर दिया गया है । नगर पालिका के द्वारा डामरीकरण कार्य का सेम्पल टेस्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास बिलासपुर के द्वारा रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी, पी.डब्लू.डी. रायपुर से कराया गया, जो कि मानक अनुरूप पाया गया है । अभी तक गुणवत्ता को लेकर कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । इस कार्य को पूर्ण करने के लिए निर्धारित अवधि पूर्ण नहीं हुई है तथा ठेकेदार के विरूद्ध किसी पकार की शिकायत प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप कोई कार्यवाही प्रचलित नहीं है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अत: उपरोक्तानुसार कार्य में प्राक्कलन से अधिक कार्य न होने, गुणवत्ता परीक्षण में गुणवत्ता मानक अनुरूप पाये जाने के कारण कार्य के संबंध में क्षेत्रवासियों में किसी भी प्रकार का रोष एवं असंतोष नहीं है ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि स्थल पर कितना प्रतिशत काम हुआ है, काम को 18 महीने की अवधि में 6.4.2020 तक समाप्त हो जाना था, कितना प्रतिशत काम हुआ है, अगर ठेकेदार ने काम नहीं किया है, उसका एक्सटेंशन निरस्त करेंगे क्या ?

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक्सटेंशन दिया ही नहीं गया है तो निरस्त करने का सवाल कहां से पैदा हो गया ?

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि कितना प्रतिशत काम हुआ है ?

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, 40 प्रतिशत काम लगभग पूर्ण हो गये हैं ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 40 प्रतिशत काम अभी पूर्ण हुये हैं, अवधि समाप्त होने की तारीख है 6.4.2020, तो कितना समय बचा ? 60 परशेंट काम हो जायेगा ? आप एक्सटेंशन की तैयारी में है कि उनको एक्सटेंशन दिया जायेगा तो कार्य पूर्ण होगा । मैं यही कह रहा हूँ कि आप ठेकेदार के कार्य को निरस्त करिये, एक्सटेंशन मत दीजिए, जो ठेकेदार हैं, 18 महीने में सिर्फ 40 परशेंट काम किया । उसका फिर एक्सटेंशन देने का क्या मतलब है ?

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- प्रश्न बने करना । समझ में नई आथे ।

श्री सौरभ सिंह :- मैं बने पूछथंव, फरी पूछथंव । माननीय अध्यक्ष महोदय, एक माननीय ठेकेदार ला 18 महीना म एक ठन काम सड़क चौड़ीकरण अऊ डिवाईडर लगाये के काम दिये गिस, अऊ 18 महीना के बेरा देन । एला तोला 18 महीना में पूरा करना हे बोलेन । माननीय मंत्री जी बताथे कि वो ठेकेदार हा 40 परशेंट काम करे हे अऊ 6.4.2020 के वोखर 18 महीना के तारीख हा खत्म होवथे । आज ले कतेक दिन बचिस ? एक-डेढ़ महीना । एक-डेढ़ महीना म वो पूरा काम ला कर लिही का ? मैं मंत्री जी से पूछना चाहथंव कि वो कोन से जादू के छड़ी हे, वो ठेकेदार हा एक-डेढ़ महीना में 60 परशेंट काम ला पूरा कर लिही ?

श्री ननकीराम कंवर :- अध्यक्ष महोदय, किसी के भी विभाग में बीच-बीच में बोलते रहते हैं, अपने विभाग में जवाब नहीं दे रहे हैं । जवाब दीजिए ना ?

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- वोला पूछन तो दे । वो नई पूछ सकही त तैंहा मोला बताबे । तहुं ला जवाब दुहूं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री सौरभ सिंह :- मोर सिर्फ एक ठन निवेदन हे कि वो ठेकेदार हा ए काम ला समयावधि में कर दिही का ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी, अभी तो काम करथे, कतका दिन में करही, निर्धारित समय में नई करही त देखे जाही । आगे जरूरत रही त बढ़ाये भी जा सकथे । अऊ सुन एक मिनट, एक मिनट रूक न भईया, प्रश्न जेखर उठाये के रहिसे तेला उठा ले हस, ऐसा पेड़ कटाई के भी समय रथे, पेड़ कटाई के लिए अभी अनुमति मिले हे। पेड़ कटाई के बाद अभी काम चालू होयेहे और बहुत जल्दी ठेकेदार काम करत हवय अऊ तोरे सरकार के समय के काम हे, जे पहिली से लेट लतीफ करे के कारण उही करे हे, अब जतका 15 साल में गड़बड़ करे हे ओला ठीक करे के काम तो हमर हवय, त ओला ठीक करबो, चिंता मत कर।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 महीने से माननीय मंत्री जी मंत्री हैं और 15 महीने के बाद अभी 2-3 महीने और बढ़ने वाला है। जे तारीख के ये स्वीकृति होईस ते तारीख के एक महीना बाद आचार संहिता लग गे रहिस, मैं यहू चीज ला बताना चाहत हों। त हमर कति इशारा करे से तुम्हर कृत्य ह अच्छा नहीं हो जाही। अपन कृत्य ला सुधारो में यही चीज ला बार-बार कहत हों कि ऐमा एक्सटेंशन के गुंजाईश हे, एक्सटेंशन के तैयारी किये जात हे। ठेकेदार द्वारा 60 प्रतिशत काम नहीं किये गे हे, और ओखर डेट ला एक्सटेंड करके बढ़ाये जात हे। जे ठेकेदार काम नहीं करिस ओला एक्सटेंशन काबर दे जाए? माननीय मंत्री जी ये बात के घोषणा करिही का कि ठेकेदार ने समय सीमा में काम पूरा नहीं किया, उसको एक्सटेंशन नहीं दिया जायेगा, उसके ठेके को निरस्त किया जायेगा?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ठेका कईसे निरस्त कर देबो भैय्या? ठेका निरस्त करे के सवाल ही नहीं है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोला है कि सैंपल लिया गया है, गुणवत्ताविहीन कार्य नहीं हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि यह सैंपल कब-कब लिया गया और किस-किस चीज का सैंपल लिया गया? जो डिवाईडर बनेगा उसका अलग सैंपल बनेगा, जो रोड बनेगा उसका अलग सैंपल होगा, उसकी कोर कटिंग अलग होगी, सी.सी. रोड का अलग सैंपल लिया जायेगा और डामर रोड का अलग सैंपल लिया जायेगा। तो किस-किस चीज का सैंपल लिया गया है और कब-कब लिया गया है?

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने कहा कि यहू पूछ ले कि सैंपल ला कौन रंग के कागज में रिकार्ड कर हे, गुलाबी में कि हरियर में?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तो मोर जगह हरा वाला आये हवय। माननीय अध्यक्ष महोदय, टेस्ट तो ले हवन। येखर टेस्ट 7-8-2019 को होये हवय। मटेरियल मन के टेस्ट होथे। नियमानुसार ओखर टेस्ट ले हन अऊ ओखर जानकारी सदस्य ला भी चाहिए तो ओखर कापी

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

दे देथंव, तहूं देख ले अऊ जांच कराये के हे त ओहू देख लेबो। ऐसा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सामग्री के टेस्ट ले गे हवय और जांजगीर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जेन टेस्टिंग सेंटर हे उहां भी टेस्ट करवाये गे हे, अऊर रायपुर के पी.डब्ल्यू.डी. के जेन लैब हवय वहां भी टेस्ट करवाये गे हे, सामग्री के गुणवत्ता में कहीं कोई कमी नहीं पाये गे हे।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल। माननीय मंत्री जी आप तुम्हर जवाब में कहे हवव की डिवाईडर के चौंड़ाई ला 1.5 मीटर से घटाकर 0.5 मीटर किये गीस। ऐमा कतका कन पईसा कम होईस? डिवाईडर कम होही त ओमा पईसा भी कम होही, ऐखर प्राक्कलन कम के गिस का कि कतना कम होही और दूसर प्रश्न कि जिंहा डिवाईडर में कट दिये जात हे दो किलोमीटर हे बटौली चौक से लेकर स्टेशन तक त जहां डिवाईडर में कट दिये जात हे तेमां बहुत अकन भ्रष्टाचार के खेल होथे, व्यापारी मन से पईसा देबे त दे मेर कट देबो त ओखर बर माननीय जन प्रतिनिधि हमर नारायण चंदेल जी जेखर क्षेत्र के प्रश्न हे और माननीय अध्यक्ष जी से अनुमति लेकर डिवाईडर के कटिंग बर व्यवस्था होही या मनमर्जी से डिवाईडर के कट किये जाही?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब नारायण चंदेल जी जेती जाहूं कहिही तेती कट लगा देबो, तैं ओखर चिन्ता मत कर।

श्री सौरभ सिंह :-अच्छा, आप कहत हौ कि जे कोति कट बर कहिही ते कोती कट होही अईसने कट करबे त ओखर आदेश दे दे?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़क की चौड़ाई पहिली दोनों ओर 7-7 मीटर बनोय के प्रावधान रहिस , अब हमर पुराना जो अध्यक्ष जी हे ओ कहिस की सड़क की चौंड़ाई कम होही त डिवाईडर ल थोड़ा कम कर दिये जाए। तो डिवाईडर के चौंड़ाई जो डेढ़ मीटर रहिसे ओला घटाकर आधा मीटर कर दे गीस। त आदमी के चले बर ज्यादा जगह मिलत हे ना। और तोला केन जगह दिक्कत हे तेला बता, ओला ठीक करबो।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो अतके कन कहें हों कि डिवाईडर के जगह कम होहे ओखर पैसा ला ठेकेदार ल झन दे देहो, मोर चिंता हे, तेला मैं कहे हों। ओ कम होहे त ओखर पैसा ला कम कर देहो। मैं यही निवेदन करे हों जे मन कट बनात हें, डिवाईडर बनाके पूरा रोड ल छेंक दीन त छेंक दीन त तेखर कट ला आप मन से निवेदन करके कर दिही ऐखर मंत्री जी घोषणा कर देव?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डिवाईडर कम होही त ओखर मूल्यांकन, सत्यापन भी कम होही त पईसा बांच जाही। पईसा बांच जाही त सरकार के काम आही।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राब्लम ठेकदार है। मंत्री जी, प्राब्लम कार्य नहीं है। माननीय सदस्य की प्राब्लम ठेकेदार है। आप थोड़ा सा समझेंगे।

श्री देवव्रत सिंह :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है। उसमें सदस्य

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

ने जो प्रश्न किया उसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सदस्य महोदय, प्राब्लम ठेकदार नहीं है। जो व्यवस्था चल रही है, वह प्राब्लम है।

श्री शैलेश पाण्डे :- व्यवस्था तो धीरे-धीरे सुधरेगी ना।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपका क्या प्राब्लम है ?

श्री शैलेश पाण्डे :- मेरा तो बहुत प्राब्लम है, जब वक्त आयेगा तो बताऊंगा। जब मेरा वक्त आयेगा तो बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, छोड़िये।

श्री देवव्रत सिंह :- माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से केवल दो ही प्रश्न पूछूंगा। माननीय मंत्री जी ने यह पूरी जानकारी दी है और सदस्य को भी जानकारी उपलब्ध कराई कि इतना सारा काम हो चुका है और पेड़ काटने के कारण देरी हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से एक चीज पूछना चाहूंगा। जब किसी ठेकेदार को निविदा के उपरांत उसको कार्यादेश दिया जाता है, तो उसमें एक वर्क सेड्यूल होता है। वर्क सेड्यूल का मतलब यह होता है कि उस ठेकेदार के द्वारा किस प्रकार से निर्माण कार्य को संचालित किया जायेगा और साथ-साथ उसको उसी प्रकार से मेजरमेंट बुक यानी कि एम.डी. में रिकार्ड करने की प्रक्रिया होती है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वर्क आर्डर जारी करने के बाद उक्त कार्य में जो वर्क सेड्यूल दिया गया था, उस वर्क सेड्यूल के हिसाब से कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है और आज की तारीख पर यदि वर्क आर्डर में दिये गये वर्क सेड्यूल के हिसाब से स्थल पर कार्य संपादित नहीं हुआ होगा तो क्या उस निविदा को निरस्त किया जायेगा ? ये पहला प्रश्न है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी, वर्क सेड्यूल में आगे पीछे हो जथे, समय लगथे तो सरकार के निर्धारित प्रक्रिया है। वर्क आर्डर दे के बाद ट्रांसफार्मर और पोल शिफ्टिंग के काम रिहिस, तो ट्रांसफार्मर पोल शिफ्टिंग के काम में विलंब होईस। ओखर सेती ओमा विलंब होगे। ओला जगह उपलब्ध नहीं कराईस ता ठेकेदार कोन जगह काम करही। दूसरा, पेड़ कटाई के काम हे। पेड़ कटाई के काम में निर्धारित प्रक्रिया चलथे। कलेक्टर के न्यायालय में मामला चलथे। कलेक्टर हा आदेश दीही, ओखर बाद पैसा जमा होही, फिर वन मंडल अधिकारी जी पेड़ के कटाई करही। तो एमा भी बहुत समय लगगे। एक साल से ज्यादा के समय लगगे। तेखर सेती काम में थोड़ा विलंब हे। लेकिन काम बढ़िया करबो, अऊ काम में कहीं कोई शिकायत नई होये। कोई भी शिकायत आज तक कोई जनप्रतिनिधि के या काखरो भी शिकायत अभी तक ना निकाय में प्राप्त होय हे, ना शासन में प्राप्त होय हे। कोई शिकायत आ थे तो ओला दिखवा लेबो। जांच करबो, जो कार्यवाही करे बर रही ओला करबो।

श्री देवव्रत सिंह :- मंत्री जी, मैंने ये वर्क सेड्यूल की बात आपसे इसलिए पूछी, जब आप इस काम को आगे बढ़ायेंगे, एक्सटेंशन देंगे, तो एक्सटेंशन देने की स्थिति में दो प्रकरण बनते हैं। पहला

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उसका जो खर्च राज्य शासन देयर करता है कि नहीं करता है। दूसरी बात है कि जब हमने निविदा बुलाई थी, जब विभाग ने निविदा बुलाई थी या विभाग ने जब नगरीय संचनालय जब उसका टेंडर काल किया था, उस समय विभाग की जानकारी में था कि उसका चौड़ीकरण कितना होना चाहिए। झाड़ कटेंगे कि नहीं कटेंगे। बिजली खंभे हटेंगे कि नहीं हटेंगे। जब सबका प्रावधान किया गया है, तो उस हिसाब से समय सीमा निर्धारित क्यों नहीं की गयी। यह एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, माननीय मंत्री जी, आपने कहा कि नगरीय संचनालय से एवं प्रधानमंत्री सड़क योजना से हमने सामग्री की टेस्टिंग कराई है। मैं सहमत हूं। किसी भी ठेकेदार को काम प्रारंभ करने से पहले आपको टेस्टिंग करानी होती है लेकिन माननीय मंत्री जी अभी जो शिकायतें प्राप्त हो रही है, जो ठेकेदार है, ठेकेदार द्वारा अभी गुणवत्ताविहीन सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। चूंकि सीमेंट कांक्रीट रोड का मामला है, एक बार बनती है, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि क्या आज की तारीख पर सीमेंट का एक क्यूब टेस्ट होता है, जिसमें सीमेंट का क्यूब टेस्ट कराया जाता है, जो सड़क निर्माण हो चुका है, क्या उस सड़क का सीमेंट क्यूब टेस्ट, उसका करा के यदि वे उसमें दोषी पायेंगे तो कार्यवाही करके क्या निरस्त करेंगे ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि आपके और मेरे दोनों के क्षेत्र का मामला है। एक तो मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि निर्माण एजेंसी कौन है ? दूसरा, अभी तक कार्य जो है, वह एकदम कछुए के चाल से चल रही है, मंथर गति से चल रहा है। गुणवत्ताविहीन कार्य किये जाने की शिकायत वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने किया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अभी तक कितने पेड़ काटे गये हैं ? जो काटे हुए पेड़ हैं, उनका क्या किया गया है ? पेड़ जो कटे हैं, वे किसके अनुमति से कटे हैं ? क्या कटे हुए पेड़ की नीलामी की गयी है ? कब की गयी है ? कितनी राशि उससे प्राप्त हुई है ? कृपया मंत्री जी बता दें।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश दिनांक 03.01.2019 को 59 वृक्ष काटने की अनुमति प्राप्त हुई है। ये आदेश कलेक्टर के द्वारा 03.01.2019 को पारित हुआ है और माननीय वन मण्डल अधिकारी जांजगीर द्वारा 6 लाख, 50 हजार रूपये पेड़ों की कटाई के लिए राशि की मांग की गई थी। 6 लाख, 50 हजार रूपये पेड़ों की कटाई के लिए खर्च हुआ है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कटे हुए पेड़ हैं आप उसकी नीलामी करते हो, कोई तो प्रक्रिया होगी ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- वह वन विभाग लेकर जाता है उसमें वन विभाग कार्यवाही करता है। पेड़ को हम नगरीय निकाय वाले थोड़ी रखते हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री नारायण चंदेल :- नहीं तो वन विभाग उसका क्या किया? ये संयुक्त जिम्मेदारी है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अब वन विभाग में प्रश्न लगा दीजिए तो ये उत्तर दे देंगे कि उसका क्या किये हैं।

श्री नारायण चंदेल :- नहीं। ये नहीं है। देखिए ऐसा है कि इसमें भी गोलमाल है। ये जो पेड़ की कटाई हुई है, पेड़ कहां गया ?

श्री सौरभ सिंह :- माननीय मंत्री जी रिसा के काबर बोलत हस। बता दे न गोलमाल होए हे का हे करके बता दो। पेड़-सेड़ ऐती-तेती गिस तेला करके।

श्री नारायण चंदेल :- इसमें भी गोलमाल है और सड़क के साथ-साथ आपको ये पेड़ कटाई की भी जांच करानी पड़ेगी ।

समय :
12:35 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए)**

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री अजय चन्द्राकर जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो भी मंत्री बोल रहे हैं इस विभाग का है, उस विभाग का है तो संसदीय कार्यमंत्री जी सब विभाग की ओर से ध्यानाकर्षण ले लिया करें, ऐसी व्यवस्था स्थायी तौर पर आ जाये।

(3) दंतेवाड़ा जिले के पातररास कन्या शिक्षा छात्रावास में छात्रा के प्रसव की घटना घटित होना।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद):- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

प्रदेश के दंतेवाड़ा जिला में पातररास कन्या शिक्षा परिसर में एक 11 वीं कक्षा की छात्रा के प्रसव की घटना घटित हुई है। यह घटना हॉस्टल के सभी कर्मचारियों के संज्ञान में थी तथा महीनों तक इस मामले को दबा के रखा गया, यहां तक की छात्रा को अस्पताल भी नहीं ले जाया गया। उस छात्रा के जान के साथ खिलवाड़ कर हॉस्टल अधीक्षिका हेमलता नाग के कहने पर हॉस्टल में ही प्रसव करा दिया गया। अधीक्षिका द्वारा इस घटना के संबध में किसी से भी जिक्र करने पर हॉस्टल के कर्मचारियों को नौकरी से निकलवाने की धमकी दी गई। सरकार के संज्ञान में आने के बाद भी सरकार इस घटना पर चुप्पी साधे हुई है। अभी तक उस छात्रा और शिशु के देखभाल के लिए कोई कदम नहीं उठाये गये। वह छात्रा कहां है, किस हाल में है, ये सब जानने की कोशिश तक नहीं की गई। ऐसा लगता है कि प्रशासन दोषियों को बचा रही है तथा इस मामले को पूर्ण रूप से दबाने में लगा है। हॉस्टल अधीक्षिका के पहले भी ऐसी लापरवाही बरतने के कारण कुआकोंडा कन्या आश्रम की एक छात्रा की मौत हा चुकी है फिर भी

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

क्यों इन्हें ऐसी जिम्मेदारी दी गई। ऐसी घटना होने के बाद भी शासन अब तक उस हॉस्टल की सुरक्षा के लिए अभी तक सचेत नहीं है। प्रदेश में ऐसे कई छात्रावास हैं, जिसमें ऐसी कई घटनायें हो रही हैं, जिसमें कई घटना उजागर नहीं होती है और शासन ऐसे घटनाओं को रोकने में नाकाम घोषित हो चुका है। पालक अपने बच्चों को छात्रावास भेजने से डर रहे हैं। इससे प्रदेश की जनता में राज्य शासन के प्रति काफी रोष एवं आक्रोष व्याप्त है।

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में संचालित कन्या शिक्षा परिसर पातरराास में कक्षा 11वीं की एक छात्रा के प्रसव की घटन घटित हुई है, परंतु यह कहना सही नहीं है कि इस घटना की जानकारी छात्रावास के कर्मचारियों के संज्ञान में थी। संबंधित छात्रा दिनांक 29.08.2019 को कन्या परिसर में प्रविष्ट हुई थी। छात्रा वर्ष 2019 में दशहरा, दीपावली एवं शीतकालीन छुट्टी में अपने माता-पिता के पास गांव चली गई थी। छात्रा के माता-पिता ने भी छात्रा के गर्भवती होने के संबंध में जानकारी नहीं होना बताया है। छात्रा के माता-पिता ने छात्रावास की व्यवस्था के संबंध में कोई शिकायत नहीं की है। अत: मामले को दबाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

यह कहना सही नहीं है कि छात्रा को अस्पताल भी नहीं ले जाया गया बल्कि दिनांक 17.01.2020 प्रात: छात्रा को अधीक्षिका एवं छात्रावास के कर्मचारियों द्वारा दंतेवाड़ा के शासकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। किसी कर्मचारी को नौकरी से निकालने, घटना को छिपाने और लीपा-पोती करने के लिए दबाव नहीं डाला गया है। यह कहना सही नहीं है कि संज्ञान में आने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई बल्कि अधीक्षिका को कार्य के प्रति लापरवाही बरतने एवं छात्रावास के नियमों का पालन नहीं करने के कारण प्रथम दृष्टाया दोषी मानते हुए निलंबित किया गया है। यह कहना सही नहीं है कि छात्रा एवं शिशु के संबंध में जानने की कोशिश नहीं की गई कि वे किस हालत में है। वास्तव में प्रसव के तत्काल बाद ही शिशु की मृत्यु हो गई थी तथा छात्रा के माता-पिता स्वयं अस्पताल आए और छात्रा को दिनांक 17.01.2020 को ही दोपहर बाद अस्पताल से छुट्टी कराकर अपने साथ ले गए। यह कहना सही नहीं है कि दोषियों को बचाया जा रहा है तथा मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। वस्तुत: जिला प्रशासन द्वारा महिला डिप्टी कलेक्टर एवं महिला नायब तहसीलदार को जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच कराई गई है। जांच प्रतिवेदन में छात्रा ने यह स्वीकार किया है कि वह बालिग है जो प्रमाण पत्रों से पुष्ट होती है। छात्रा ने एक बाहरी लड़के से अपना प्रेम संबंध होना स्वीकार किया है, जिसके कारण वह गर्भवती हुई थी। इसमें शासन-प्रशासन की लापरवाही, साठ-गांठ करना और गुमराह करने जैसी कोई बात नहीं है।

यह कहना सही है कि संबंधित छात्रावास अधीक्षिका के ऊपर कुआकोण्डा में पदस्थ रहने के दौरान पूर्व में लापरवाही बरतने के कारण निलंबन की कार्यवाही एवं एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी परन्तु

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय न्यायालय से संबंधित अधीक्षिका को दोषमुक्त किया गया है। अत: उन्हें अधीक्षिका के पद पर रखा गया था। यह कहना सही नहीं है कि पालक अपने बच्चों को छात्रावा भेजने से डर रहे हैं और न ही जनता में राज्य सरकार के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं उस क्षेत्र से आते हैं। एक बहुत ही गंभीर विषय है। कुछ घटना इससे पहले इस प्रदेश में हुई, झलियामारी की जब घटना हुई उसके बाद से उसके लिए पर्याप्त दिशा निर्देश जारी किये गये थे। । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने कहा है कि छात्रा के माता-पिता को गर्भवती होने के संबंध में जानकारी नहीं होना पाया गया है। हॉस्टल में छात्रा के गर्भवती होने की जानकारी कब हुई और छात्रा की डिलीवरी कितने महीने में, कितनी अवधि में अस्पताल में हुई या हॉस्टल में हुई ? अधीक्षिका को उसकी कब सूचना मिली ?

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब छात्रा वहां पर आई और वहां पर रहकर अध्ययन कर रही थी, लेकिन किसी को भी उसके गर्भवती होने की जानकारी नहीं थी। वहां पर कई बार मेडिकल टेस्ट भी होते रहते हैं, लेकिन टेस्ट में भी छात्रा की रिपोर्ट नार्मल बताई गई थी। दिनांक 16-17 की दरमियानी रात को जब उनके पेट में दर्द हुआ, तब छात्रावास अधीक्षका को जानकारी हुई और वहां की उनकी सहेलियों ने उनको दवा दी और उसकी बाथरूम में डिलीवरी हुई।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके उत्तर में ही आपने कहा है, मैं अभी कोई आरोप नहीं लगाया हूं। हॉस्टल में समय-समय पर नियमित जांच होती है, उसमें गर्भवती होना नहीं पाया गया, मंत्री जी ने स्वीकार किया। मंत्री जी ने कहा कि हॉस्टल में जिस तारीख का इसमें उल्लेख है, 17 तारीख है, उस दिन अचानक पेट दर्द के कारण पता चला। यानि 9 महीने, 10 महीने में डायरेक्ट डिलीवरी के समय में पता चला कि वह गर्भवती है और वहीं हॉस्टल में डिलीवरी हुई तो वह किसके कहने से हॉस्टल में डिलीवरी हुई, हॉस्टल में कौन डिलीवरी कराया, कैसे हुआ और जब पता चल गया तो उसको अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया ? इसके लिए जिम्मेदार कौन है ? आप कह रहे हैं कि हॉस्टल में डिलीवरी हुई तो फिर उसको अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया ? क्या उस लापरवाही के कारण वह बच्चा खत्म हुआ होगा ? या बार-बार जो चेंकिग हुई, यह बता रहे हैं वह फर्जी होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गर्भवती हो, हॉस्टल में डिलीवरी हो जाये और हॉस्टल प्रशासन को पता ही न हो। ये हो ही नहीं सकता। मैं यह जानना चाहता हूं कि किसके कहने से हॉस्टल में डिलीवरी कराई गई ? उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? किसको पता लगा, किसने कहा, किसने ले जाकर उसकी डिलीवरी कहॉं पर करवाई या स्वत: बाथरूम में डिलीवरी हो गई?

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह किसी के कहने पर नहीं, वहां पर स्वत: डिलीवरी हुई है। उसके बाद छात्रावास अधीक्षका को और वहां के कर्मचारियों को जैसे ही संज्ञान में आया, उसको तत्काल अस्पताल ले जाया गया और वहां पर फिर उसको भर्ती किया गया।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हॉस्टल के बाथरूम में डिलीवरी हो रही है और किसी को पता नहीं चला। ये और घोर आपत्तिजनक है। किसी को पता नहीं चला कि डिलीवरी हो रही है । वह बेहोश है, वह आकर अचानक कर्मचारियों को बताती है, डिलीवरी होते तक किसी को पता नहीं चला तो मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूं कि किसने कर्मचारियों को सूचना दी, किस तरह की सूचना दी, कैसे सूचना पायी ? आप जो बोल रहे हैं वह तो इसमें लिखा हुआ है, मैं जो पूछ रहा हूं आप उसको नहीं बता रहे हैं ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसे ही छात्रावास अधीक्षक को और वहां के कर्मचारियों को जानकारी हुई तो डिलीवरी होने के बाद उसको अस्पताल में ले जाया गया । चूंकि इसमें प्रथम दृष्टया छात्रावास अधीक्षक की लापरवाही दिखती थी ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, मैंने यह पूछा ही नहीं है कि किसकी लापरवाही है । आप बता रहे हैं तो आप ही उसको सुनिए । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं । चूंकि आप उसी वर्ग से आते हैं, उसी क्षेत्र से आते हैं और ऐसी घटना के बाद पर्याप्त दिशा-निर्देश हॉस्टलों के लिये जारी किये गये थे जिसके एक भी बिंदु का उस हॉस्टल में पालन नहीं किया गया । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि चूंकि आपने लिखा है कि तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर दोनों से जांच करायी गयी, यह आपके उत्तर में है । उसकी जांच का आदेश, किसके लिये जांच का आदेश किसने किया, कितने दिन में कौन-कौन बिंदु में जांच की गयी ? इसमें दोषी किसको पाया गया ? उस लड़की के साथ इस तरह के संबंध जिन्होंने बनाये वह जांच रिपोर्ट में आया होगा क्योंकि हास्टल को यह मालूम नहीं था कि वह संबंध हास्टल के अंदर बने या बाहर बने यह बात जांच रिपोर्ट में आयी होगी । आज की तारीख में जो उसके लिये जिम्मेदार है तो जांच रिपोर्ट के बाद उसके ऊपर क्या कार्यवाही हुई ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो जांच डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार के द्वारा की गयी । वह घटना किस प्रकार से परिस्थिजन्य वहां पर घटित हुई उसी की तो जांच हुई और यह जो छात्रा है वह वहां पर आती रही और छुट्टियों में घर भी जाती थी ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह छुट्टियों में घर जाती रही, आती रही यह सब इसमें लिखा है । चूंकि दो लोगों ने जांच की तो मैंने यह पूछा है कि किसने जांच का आदेश किसके लिये दिया तहसीलदार के लिये या डिप्टी कलेक्टर के लिये दिया ? जांच में जिस अधिकारी यानी कलेक्टर ने, कमिश्नर ने, माननीय मंत्री जी किसी ने जांच का आदेश दिया होगा तो तहसीलदार ने शोमोटो जांच की या डिप्टी कलेक्टर ने शोमोटो जांच की ? जांच किन-किन बिंदुओं पर की गयी, उस लड़की के साथ ऐसा क्यों हुआ, किन परिस्थितिजन्य कारणों से हुआ, क्या जांच में कुछ निष्कर्ष आये और इसके लिये जो जिम्मेदार है, जो भी व्यक्ति हो जैसे कल की कहानी में वह अनियोजिता तो नहीं थी

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कि अचानक धरती से पैदा हो गयी होगी तो उसके लिये जिसे जिम्मेदार माना गया तो उसके ऊपर क्या कार्यवाही हुई ? मेरा बहुत सिंप सा प्रश्न है, मैं कोई आरोप भी नहीं लगा रहा हूं ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका जवाब दे रहा हूं माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश से डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार ने वहां जांच की ।

श्री अजय चंद्राकर :- आपने नायब तहसीलदार भी लिखा है ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार दोनों ।

श्री अजय चंद्राकर :- आप मुझे यह बताईये कि क्या आप पटल पर आदेश कॉपी रख सकते हैं ? डिप्टी कलेक्टर और नायब तहसीलदार के लिये जो जांच का आदेश दिया है क्या उसकी कॉपी आप पटल पर रखेंगे ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- आपने जो प्रश्न पूछा है मैं उसी का जवाब दे रहा हूं कि कलेक्टर के आदेश से डिप्टी कलेक्टर और नायब तहसीदार ने वहां पर जांच की । वहां पर जो भी परिस्थिति रही होगी उसके आधार पर उनके ऊपर कार्यवाही की गयी ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जांच का जो आदेश होता है उसके बिंदु पूछ रहा हूं । वे इतने पुराने मंत्री हैं, वर्ष 1980 से जीतकर आ रहे हैं । कलेक्टर ने तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर दोनों के लिये क्या-क्या बिंदु में जांच के के आदेश दिये ? इस घटना के लिये दोषी किसको पाया गया और उस दोषी के ऊपर कार्यवाही क्या हुई ? मैं यही जानना चाहता हूं कि उसके कारण क्या थे, मैं एकदम स्पेसिफिक बार-बार पूछ रहा हूं ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- उसमें जो छात्रावास अधीक्षिका दोषी थी उस पर कार्यवाही की गयी ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह है, मैं कोई और दूसरी बात नहीं पूछूंगा कि कलेक्टर ने जो आदेश दिया । चूंकि यह एक बहुत गंभीर घटना है कि छात्रावास में एक लड़की गर्भवती होती है उसकी हॉस्टल में ही डिलीवरी होती है तो किन-किन बिंदुओं पर कलेक्टर ने जांच के आदेश दिये, उस बिंदु पर क्या-क्या कार्यवाही हुई । मैंने कहा कि वह लड़की हवा में तो गर्भवती नहीं हुई होगी, जांच के बाद जो दोषी पाये गये, हॉस्टल की अधीक्षिका को गर्भ होने का पता ही नहीं चला । डिलीवरी हुई वह भी पता नहीं चला, उसको भी मैंने मान लिया लेकिन जो इस घटना के लिये दोषी हैं उसके ऊपर आपने क्या कार्यवाही की । आप बार-बार बोल रहे हैं कि अधीक्षिका को, अधीक्षिका को तो कलेक्टर के जांच किन बिंदुओं पर थे तो मैं यह बोलता हूं कि उसे आप पटल पर रख दीजिये लेकिन आप उसको भी पटल पर रखने के लिये तैयार नहीं हैं । मुझे कॉपी देंगे बोलेंगे तो मैं उसके लिये तैयार हूं, पटल पर रखने के लिये चलिये एक प्रक्रिया है उसमें तैयार मत होईए। मुझे कॉपी दिखा दें कि कलेक्टर ने दोनों के लिये आदेश किया और इन-इन बिंदुओं पर जांच के लिये आदेश किया, मैं एकदम सिंपल बात कर रहा हूं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- उपाध्यक्ष महोदय, उसमें जो जांच की गई है, जांच में जो भी दोषी होगा, उस पर कार्रवाई करेंगे हम लोग ।

श्री अजय चन्द्राकर :- किन-किन बिंदुओं पर जांच की गई, यही तो बोल रहा हूं मैं । गर्भवती होने के लिए दोषी कौन है ?

डॉ. विनय जायसवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, पूरा सदन सुन रहा है कि माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि जिस कन्या की आप बात कर रहे हैं ।

श्री ननकीराम कंवर :- मंत्री जी सक्षम नहीं हैं क्या ?

डॉ. विनय जायसवाल :- मैं जवाब नहीं दे रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य आप बैठिये ।

डॉ. विनय जायसवाल :- पूरा सदन सुन रहा है कि माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है उसमें यह बात सामने आई है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- तो उनको सामने ला दीजिए फिर ।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य आप बैठिये ।

डॉ. विनय जायसवाल :- मैं अपनी बात रखना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- बहुत सेंसेटिव मुद्दा है । आप बैठिये ।

डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशिष सिंह :- सत्ता पक्ष के विद्वान सदस्य डॉक्टर हैं इसलिए कुछ कहना चाहते हैं, इसलिए उन्हें कहने दिया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं सब समझ रहा हूं, वे डॉक्टर हैं वह भी जान रहा हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके बाद नहीं पूछूंगा, बैठ जाउंगा । मैं उनकी बात से सहमत हूं कि सारे लोग सुन रहे हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में उपस्थत हैं, यह मेरे लिए पर्याप्त है ।

डॉ. विनय जायसवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बोलना चाहता हूं कि जिस तरह से माननीय सदस्य यह बात बोल रहे हैं कि क्या वह लड़की हवा में गर्भवती हुई, जबकि यह बात माननीय मंत्री जी बार-बार कहा है कि जांच में जो बिंदु आए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- वह परिस्थितवश बोला गया, आप बैठिये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय, यह मेरा आखिरी प्रश्न है । मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उत्तर दिलवा दीजिएगा । कलेक्टर महोदय ने, डिप्टी कलेक्टर और नायब तहसीलदार दोनों के लिए आदेश निकाला तो उसमें किन-किन बिंदुओं पर जांच करने को कहा गया और जांच रिपोर्ट कब मिली ? उस जांच के निष्कर्ष पर एक कार्रवाई की गई, एक ही को दोषी माना गया । जबकि उसमें कई लोग दोषी हैं

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

लेकिन मैं उसको नहीं पूछता । जिन परिस्थितियों में वह बालिका गर्भवती हुई, उसके लिए जो दोषी हैं उसके लिए क्या कार्रवाई हुई ? यदि आप उत्तर दिलवा देंगे तो बड़ी कृपा होगी ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- उपाध्यक्ष महोदय, जो जांच के बिंदु नियत नहीं थे। वहां पर डिप्टी कलेक्टर गए और जांच की और उसमें घटना की जांच हुई कि किन परिस्थितियों में यह हुआ और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जांच में छात्रावास अधीक्षिका की लापरवाही पायी गई इसलिए कार्रवाई हुई । पुलिस ने इसमें एफ.आई.आर. दर्ज किया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं यदि आप संतुष्ट हैं तो । उस बात को मैं कितनी बार पूछूंगा और जब से ध्यानाकर्षण पर चर्चा शुरू हुई है मैं लगातार एक ही प्रश्न पूछ रहा हूं, मैंने दूसरा प्रश्न नहीं पूछा ।

उपाध्यक्ष महोदय :- शिवरतन शर्मा जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक बालिका की इज्जत गई और आप एक जिम्मेदार आदमी का नाम नहीं बता पा रहे हैं । धिक्कार है यदि आप अपने आप को आदिवासी बोलते हैं तो ।

डॉ. विनय जायसवाल :- यह बिल्कुल गलत आरोप है मंत्री के ऊपर ।

श्री मोहन मरकाम :- आपको बोलने का अधिकार है तो क्या कुछ भी बोलेंगे ।

डॉ. विनय जायसवाल :- धिक्कार आप लोगों के ऊपर है जो झलियामारी कांड हुआ था । झलियामारी के हॉस्टल में जो कांड हुआ उसके लिए आप लोगों के ऊपर धिक्कार है । इस मुद्दे को झलियामारी से जोड़कर देखना चाहते हैं वह बिल्कुल गलत है । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- आप ही को बोलने का अधिकार है क्या, कुछ भी बोलेंगे?

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अजय चन्द्राकर जी ने प्रश्न किया और एक ही प्रश्न को बार-बार आपके सम्मुख दोहराते रहे । प्वाइंटेड प्रश्न करने के बाद भी यदि मंत्री जी की की ओर से उत्तर न आए तो उनको धिक्कारने के बजाय, उनकी सराहना करें । बिल्कुल सही कहा जो माननीय अजय चन्द्राकर जी ने कहा है वह ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न पूछिये ।

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि 29.08.2019 को उस छात्रा को कन्या परिसर में प्रविष्टि दी गई और 17.01.2020 को उसको प्रात: हॉस्पीटल ले जाया गया और 17.01.2020 को दोपहर में उसके माता-पिता हॉस्पीटल से उसकी छुट्टी कराकर ले गए । अपने यहां स्कूल का सत्र कब शुरू होता है ? छात्रावास के प्रवेश के, कन्या शाला में प्रवेश देने के नियम क्या है? दूसरी बात यह कि कोई भी महिला गर्भवती होती है तो 3-4 महीने में उस महिला के शारीरिक लक्षण उसके गर्भवती होने के दिखने लगते हैं और 5-6 महीने की स्थिति में हर व्यक्ति दूर से ही जान जाता है कि महिला गर्भवती है। बड़ा ही हास्यास्पद उत्तर है कि

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हमें जानकारी नहीं हुई। हमें जानकारी हुई तो हम हॉस्पिटल लेकर गये। माननीय मंत्री जी, आप मुझे केवल दो प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। एक यह कि अपने यहां स्कूल का सत्र कम शुरू होता है और कन्या शाला हॉस्टल में प्रवेश देने के क्या नियम हैं? दूसरा प्रश्न यह कि छात्रा जिसका प्रसव हुआ और बच्चे की मृत्यु हो गई। क्या यह प्री-मेच्योर डिलीवरी थी या समय की डिलीवरी थी? डॉक्टरों की क्या रिपोर्ट है?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छात्रावास में प्रवेश की जो तिथि होती है, वह जुलाई में होती है और यह यहां पर 29 अगस्त को आयी है। इसकी प्री-मेच्योर डिलीवरी हुई और शिशु की मृत्यु हो गई।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या मैंने आपसे यह पूछा है कि प्री-मेच्योर डिलीवरी थी? पहली बात यह कि माननीय मंत्री जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि कन्या छात्रावास में प्रवेश लेने का नियम 1 जुलाई से है। 29 अगस्त को प्रवेश देना आप स्वीकार कर रहे हैं। एक बात यह कि किन कारणों से दो महीने बाद उसे वहां प्रवेश दिया गया? दूसरी बात यह कि मैंने कहा कि लक्षण दिखने लगते हैं। यह बात छात्रावास में क्यों छिपी? पहले तो मुझे यह बता दें कि दो महीने लेट से उसे छात्रावास में भर्ती क्यों दी गई? दूसरा विषय यह कि माननीय मंत्री जी ने अपने पैरा के अंत में लिखा है कि संबंधित छात्रावास अधीक्षिका के ऊपर कुआंकोंडा में पदस्थ रहने के दौरान लापरवाही बरतने के कारण निलंबन की कार्यवाही एवं एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी, परंतु कोर्ट से दोषमुक्त करने के बाद उसे पुन: छात्रावास अधीक्षक बनाया गया। किसी कन्या छात्रावास में किसी अधीक्षिका के खिलाफ मामला कायम हो। भले ही कोर्ट से दोषमुक्त हो जाए, पर कहीं न कहीं तो उस छात्रावास अधीक्षिका का जो चरित्र है, वह संदेह के घेरे में आता है। कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में आती है। तो उसे फिर से छात्रावास अधीक्षिका बनाने के पीछे क्या कारण था? माननीय मंत्री जी मेरा दो प्रश्न है। दो महीने बाद प्रवेश क्यों दिये? दूसरा यह कि जब एक बार अधीक्षिका के खिलाफ एफ.आई.आर. हो चुका था तो उसे आपने छात्रावास अधीक्षिका क्यों बनाया?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह निश्चित है कि एक मानवीय दृष्टिकोण होता है। वह कहीं न कहीं गरीब बच्ची है। वह किसी प्रकार प्रकार से पढ़ रही है। तो छात्रावास में रहे, उस दृष्टिकोण से उसे प्रवेश दिया गया था। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके पिताजी वहां मजदूरी करते थे। इसलिए उसे प्रवेश दिया गया था, लेकिन उसके गर्भवती होने का जो लक्षण दिखना चाहिए था, चूंकि वह छुट्टी में घर भी गयी थी और घर में उसकी मां मितानिन है, वह भी जज नहीं कर पायी कि हमारी बच्ची गर्भवती है तथा किसी प्रकार की कोई भी शिकायत भी छात्रावास में नहीं है। मैंने अपने जवाब में कहा है कि उसमें स्वीकार किया कि जब जांच हुई। जब तहसीलदार ने जांच किया तो जांच में बच्ची ने स्वीकार किया कि हमारे हॉस्टल के बाहर दो-तीन महीने किसी के साथ उसका संबंध था। तो इस प्रकार से वह गर्भवती हुई है, लेकिन लक्षण कहीं नहीं दिखा, इसलिए जज नहीं कर पाये। यह सब बात जांच में सामने आयी है। दूसरी बात यह कि छात्रावास में जो अधीक्षिका पदस्थ थी, जहां पर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

एक बच्ची की मृत्यु हुई थी, लेकिन न्यायालय ने इसे दोषमुक्त कर दिया था। चूंकि उसे छात्रावास में काम देना था, इसलिए वहां पदस्थ किया गया।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 29 अगस्त को छात्रा को कन्या आश्रम में प्रवेश दिया गया था। दशहरा, दीपाली, शीतकालीन की जो छुट्टी होती है, वह अक्टूबर-नवंबर-दिसंबर में होती है। हमारी पार्टी का जांच दल वहां गया था और जो रिपोर्ट मिली, उस रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख था..।

उपाध्यक्ष महोदय :- नारायण चंदेल जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- एक मिनट माननीय उपाध्यक्ष जी। वह बच्ची गर्भवती है। इस घटना के घटित होने के पहले छात्रावास के प्रत्येक लोग जानते थे। जब सबके जानकारी में था कि वह बच्ची गर्भवती है तो जो precaution लेना चाहिए था, वह precaution क्यों नहीं लिया गया ? उसके माता-पिता को सूचना क्यों नहीं दी गई ? ? आप इसकी जानकारी दे दीजिये।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले कहा कि जब वह छुट्टी में अपने घर गई थी तो उसके माता-पिता भी वहीं थे। उसकी माता मितानीन है। उसने भी अपने बच्ची को देखकर नहीं लगा कि उसकी बच्ची गर्भवती है, तुम गर्भवती हो। चूंकि इस प्रकार की कोई शिकायत हमको नहीं मिल पाई थी।

उपाध्यक्ष महोदय :- नारायण चंदेल जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं-नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माता-पिता अपने बच्ची की गलती को छिपा सकते हैं परन्तु छात्रावास अधीक्षिका की जवाबदारी है कि घटना की जानकारी आये तो उस पर प्रिकाशन ले, घर वालों को जानकारी दे। इस घटना की जानकारी छात्रावास अधीक्षिका को हो चुकी थी। परन्तु जानबूझकर घर वालों को नहीं बताया गया।

उपाध्यक्ष महोदय :- नारायण चंदेल जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- इसके चलते यह स्थिति निर्मित हुई कि छात्रावास में उस शिशु की मृत्यु हो गई। आप इसमें छात्रावास अधीक्षिका के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं, जरा यह बता दीजिये ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- उसको निलंबित कर दिया गया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- अच्छा, जांच के क्या-क्या बिन्दु हैं, जैसा कि अजय चन्द्राकर जी ने पूछा था, मैं फिर से पूछ रहा हूं। आपके जांच के क्या-क्या बिन्दु तय किए हैं, यह बता दीजिये ? माननीय उपाध्यक्ष जी, अजय चन्द्राकर जी ने भी वही पूछा था और मैं भी वही पूछ रहा हूं। आपने महिला डिप्टी कलेक्टर और महिला नायब तहसीलदार को जांच अधिकारी नियुक्त किया। जब कोई भी जांच होती है तो जांच के बिन्दु तय किये जाते हैं। तो आपने जांच में कौन-कौन से बिन्दु तय किये हैं, वह बता दीजिये?

उपाध्यक्ष महोदय :- नारायण चंदेल जी। बस अब हो गया।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं-नहीं। एक प्रश्न का उत्तर आ जाये।

उपाध्यक्ष महोदय :- नहीं, हो गया, हो गया।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा पाईण्टेड प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं समझ रहा हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- जांच अधिकारी के लिए जांच के कौन से बिन्दु तय किये गये, हम वही जानना चाहते हैं। जांच के बिन्दु बता दो। भाई, जांच के बिन्दु तो तय हुए होंगे न। आप जांच के बिन्दु बता दीजिये?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- मैंने पूर्व में कहा था कि जांच के बिन्दु नहीं थे। कलेक्टर ने वहां जांच का आदेश दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, चंदेल जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- जब जांच के बिन्दु तय नहीं थे तो जांच किस बात की हो रही है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- डिप्टी कलेक्टर और नायब तहसीलदार पिकनिक मनाने गये थे। जब जांच के बिन्दु तय नहीं थे तो डिप्टी कलेक्टर और नायब तहसीलदार सब के सब पिकनिक मनाने गये थे।

उपाध्यक्ष महोदय :- चंदेल जी, नारायण चंदेल जी।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबके बयान लिये गये। वहां पर सबकी जांच की गई।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जांच के बिन्दु तय नहीं थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह दोनों अधिकारी हास्टल में पिकनिक मनाने गये थे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में उपस्थित हैं। सारी बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय पर जवाब दे दें।

उपाध्यक्ष महोदय :- नारायण चंदेल जी। शर्मा जी, आप बैठिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील मामला है। कन्या छात्रावास में बच्ची गर्भवती हुई है। आप जांच के बिन्दु तो बता दीजिये? मैं पाईण्टेड प्रश्न कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी आपको जवाब दे रहे हैं, आप सुन रहे हो। आप बैठियेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, पाईण्टेड प्रश्न के पाईण्टेड उत्तर दे दीजिये।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परिस्थितिजन्य घटना के जितने बिन्दु थे, सब उस जांच में शामिल थे। सबके बयान लिये गये।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- आप वही तो बताओ न।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- मैं बोल तो रहा हूं कि जो भी संबंधित थे, सबके बयान लिये गये और उसके आधार पर ही कार्रवाई की गई।

श्री नारायण प्रसाद चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण पर चर्चा हो रही है और माननीय मंत्री जी का जो जवाब है, वह बहुत गैर जिम्मेदाराना है। तथ्यों पर कोई बात नहीं हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तो हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं, आपने कहा कि जांच के बिन्दु तय नहीं है, फिर आपने कहा कि जो-जो बिन्दु थे, उस पर जांच की गई। जब बिन्दु ही तय नहीं है तो फिर किस बिन्दु पर जांच की गई ? मैं माननीय मंत्री जी से प्रसव के पूर्व हास्टल में जो रूटिन मेडिकल चेकअप होता है, वह कब हुआ था ?

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस पूरी घटना के लिए कौन दोषी है और दोषी के ऊपर सरकार ने क्या-क्या कार्रवाई की है, कब की है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रूटिन जांच होती है उसमें एक तो 21.11.2019 को हुआ था उसके बाद 22.11.2019 को भी हुआ। जैसा कि मैंने पहले अपने उत्तर में कहा है कि जांच के दौरान अन्य बच्चियों की जांच हुई उस जांच के दौरान यह अपनी जांच नहीं कराई। इसलिए उस जांच में नहीं आ पाया। वहां पर जो सभी बच्चियां थीं, उनके किसी के खबर में यह बात नहीं आई। वहां पर इस बात को छिपाया गया।

श्री नारायण प्रसाद चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना सरकार का जवाब है। इतना महत्वपूर्ण और इतने संवेदनशील विषय है। बस्तर अंचल में, दंतेवाड़ा जिले में हास्टल में इस प्रकार की घटना हो, वहां पर किसी बच्ची का प्रसव हो जाए और सरकार को कुछ मालूम न हो, वहां के अधिकारियों को कुछ मालूम न हो, विभाग को मालूम न हो । माननीय मंत्री जी, आप कैसे गैर जिम्मेदाराना जवाब दे रहे हैं ? या तो दोषी को बचाना चाहते हैं ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरी जिम्मेदारी से अपना जवाब दे रहा हूं । आपका जो भी प्रश्न है, मैं उसका उत्तर जिम्मेदारी से दे रहा हूं ।

श्री नारायण चंदेल :- हम माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हैं कि जांच की रिपोर्ट आ जाए, यदि जांच की रिपोर्ट आ गई है तो कौन दोषी है और दोषी के ऊपर में क्या-क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय :- कौशिक जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, एक लाईन का उत्तर तो आ जाए कि गर्भवती होने के लिए जिम्मेदार कौन है, उसको क्यों बचा रहे हैं, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए ? बाकी बात छोड़ दीजिए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी को बचाने का प्रश्न नहीं है, मैंने अपने जवाब में ही कहा है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- जांच की घोषणा तो कर दो ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो जांच हो रही था, जांच में मैंने स्वीकार किया है..

श्री नारायण चंदेल :- उपाध्यक्ष महोदय, भविष्य में इस प्रकार की घटना पूरे प्रदेश में न हो, इसके लिए सरकार कोई उपाय कर रही है, कोई ठोस नीति बना रही है ? यह मंत्री जी बता दें ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरी जिम्मेदारी से अपनी बात कह रहा हूं ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से घटना हुई और घटना के बाद में शासन के द्वारा जो कार्यवाही होनी चाहिए, हम चाहते थे कि उस संबंध में मंत्री जी का जवाब आए । मंत्री जी ने केवल एक अधीक्षिका को निलंबित किया, उसके बाद में कोई जवाब नहीं आया । मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, मैं केवल एक हॉस्टल के बारे में नहीं बोल रहा हूं, पूरे प्रदेश में बच्चियों का जो छात्रावास है और इसके पहले भी बहुत सारे प्रकरण आए हैं, जिसमें छेड़छाड़ का मामला है और भी अन्य मामले आए हैं तो ऐसे छात्रावास में छात्राओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उस छात्रावास में किसी प्रकार की घटना न हो, उसको रोकने लिए शासन के द्वारा कोई उपाए किया जाएगा क्या ? हम लोगों ने कहा था कि यदि छात्रावास छात्राओं का है तो उसमें अधीक्षिका के पति न रहे, कोई पुरूष न रहे । दूसरी बात, वहां होमगार्ड की ड्यूटी न लगायी जाए या जो पुलिस की ड्यूटी लगायी जाती है ।

समय :
1:08 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष महोदय, छात्रावास में छात्राओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से शासन के द्वारा उपाए किए जाएं, जिसमें इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो और आगे घटना न हो, उसकी सुरक्षा के उपाय में अधीक्षिका का पति या जवान बेटा हॉस्टल में न रहे । दूसरी बात, यदि होमगार्ड की ड्यूटी सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगायी जाती है तो वह महिला होमगार्ड हो, यदि पुलिस की ड्यूटी लगायी जाती है तो महिला पुलिस हो । साथ ही हमने पिछले समय कहा था कि गेट में कैमरा लगाया जाए, जिसमें छात्रावास में कोई आने-जाने वाले की जांच पड़ताल हो सके और इस प्रकार से सुरक्षा के उपाय पूरे छात्रावास में किए होंगे या नहीं किए होंगे तो क्या आप ऐसे उपाय करेंगे, जिससे आने वाले समय में इस प्रकार की घटना न हो ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता जी ने जो सुझाव दिया है, हम लोग बिल्कुल इस बात की ताकीद करेंगे कि कन्या छात्रावास में जो भी अधीक्षिका होंगी, वहां उनके पति या अन्य कोई रिश्तेदार न हो और हम लोग महिला गार्ड की भी व्यवस्था वहां करने जा रहे हैं । आगे आने वाले समय में सी.सी.टी.वी. भी वहां पर लगवाएंगे, ताकि वहां कोई आने वाला होगा, उसकी जानकारी होगी ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सी.सी.टी.व्ही. के संबंध में आपसे पिछले समय भी कहा था, पॉच-छ: प्रकरण लगातार आये हैं । आप हमेशा यह बोल रहे हैं कि हम सी.सी.टी.व्ही. लगाएंगे, उसको दिखवाएंगे । खेल के लिए पता नहीं, कहां पैसा भेजते हैं । उसमें खेल का सामान नहीं होता, वह लगातार पेपरों में छप रहा है, लेकिन जो महत्वपूर्ण मामला है, आप उस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं ? यह घटनाएं लगातार घट रही है । तो उसमें फंड की व्यवस्था कब तक कर लेंगे, मार्च में फंड की व्यवस्था कर लेंगे, तीन महीना या 6 महीने के अंदर फंड ही व्यवस्था कर लेंगे, समय-सीमा बताएंगे क्या ? कुछ तो बोलिए ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- जल्दी ही इसकी व्यवस्था करेंगे और छात्रावासों की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था हम लोग करेंगे । जो भी हमारे बड़े अधिकारी हैं, वहां भी दौरे में जाये, उसकी मानिटरिंग करें, वहां के रजिस्टर में एन्ट्री होना चाहिये ताकि हमारे बच्चे वहां पर सुरक्षित रह सके । अधिकतर उन छात्रावासों में 18 साल तक ही रहते हैं । सब की सुरक्षा हो, ताकि इस प्रकार की घटनायें, जो चर्चा हो रही है, इस प्रकार की घटनायें न हो ।

अध्यक्ष महोदय :- आपसे पहले मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ ?

श्री धर्मजीत सिंह :- एक ही पुछूंगा सर ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, मैं पूछ सकता हूँ ?

श्री धर्मजीत सिंह :- आप पूछ लीजिए ना सर, आपके बाद ही ...।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, मैं जानना चाहता हूँ कि उस बालिका की शादी हो चुकी थी कि अविवाहित थी ?

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, उसकी शादी नहीं हुई थी ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, खासकर बस्तर के कन्या छात्रावासों में इस प्रकार की असुरक्षा व्याप्त है । इनके भी शासनकाल में हॉस्टल में, इस तरह से दुव्यर्वहार या बच्चियों से छेड़छाड़ की कुछ बातें हुई थी, मैं नाम भूल रहा हूँ ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- कांकेर के झलियामारी ।

श्री धर्मजीत सिंह :- झलियामारी में, वह एक व्यवस्था की खामी है ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- उसके समय में 9 बच्चियों के साथ हुआ था ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं तो बोल रहा हूँ भई । यहां भी व्यवस्था की खामी है । माननीय मंत्री जी, आपने जवाब भी बहुत साफ दिया है । लेकिन मंत्री जी, मी-2 में, आठ-आठ साल बाद लोगों के ऊपर मुकदमें दर्ज हुये हैं । किसी लड़की को ठीक से घूर देने में, सजा मिल रही है । यहां एक लड़की का प्रेग्नेंसी हो गयी, हॉस्टल में 9 महीने रह ली, आपका यह जवाब कि किसी को पता नहीं चला, यह गले नहीं उतर रहा है, फिर भी हम मान लेते हैं । जिसने भी ऐसी जुर्रत की हो या तो वह उससे शादी करे या उनके खिलाफ 376 का मुकदमा दर्ज होना चाहिये । वह भी करना है, नहीं करना है, आपके विवेक पर छोड़ता हूँ । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष यह निवेदन कर रहा हूँ । रिमोट एरिया में जितने भी हॉस्टल है, उनको अच्छे से व्यवस्थित रूप से, सुरक्षित रूप से, वहां पर कैसी ऐसी व्यवस्था हो जाये, जिसमें भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना न हो । इसलिए आपको चिंचित भी होना होगा, प्रयास भी करना होगा, आपको उसका समय-समय पर मानिटरिंग भी करना होगा । आप कृपा करके सदन में आश्वस्त करें कि अब भविष्य में इस प्रकार की घटना घटित न हो । अगर हो सके तो चाहे वह मामला बाहर में ही हो, लड़की रह तो हॉस्टल में ही रही थी ना, बदनामी तो हॉस्टल की हो रही है ना, बदनाम तो सरकारी अधिकारी, कर्मचारी हो रहे हैं ना, बदनाम तो सरकारी व्यवस्था हो रही है ना, इस प्रकार से कैसे रोक लगनी चाहिये, इस पर कुछ उच्च स्तरीय बैठक करके, निर्णय करके कार्यवाही करेंगे या नहीं करेंगे, खासकर दूरस्थ अंचलों में । आप इसको बता दीजिए, आजकल मी-2 में मामला बहुत दर्ज होता है, यह तो इतना बड़ा मामला है ।

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बच्ची छात्रावास में केवल चार महीने रही है । मैंने अपने जवाब में कहा कि पहले भी कहीं रही होगी, उसके साथ में प्रेम संबंध उसका रहा है । छात्रावास में वहां पर केवल चार महीने रही है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपका जवाब मैंने पढ़ लिया । सुनिये ना, दो मिनट सुन लीजिए । मैं ये सब इस गाथा को नहीं बोल रहा हूँ । यह तो मैं भी पढ़ लिया, आपने भी बता दिया । वह भी पूछ लिये, वह भी पूछ लिये, वह भी पूछ लिये । मैं तो आपको बता रहा हूँ, एम.जे.अकबर को मी-2 में विदेश राज्य मंत्री का पद छोड़ना पड़ा था । आप तो इस विभाग के मंत्री हैं, कृपया ऐसा कोई बवाल न हो, जिसमें आप भी मुसीबत में पड़े । इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद करने के लिए आप कार्यवाही करेंगे क्या ? हॉ या ना में बोल दीजिए ना ?

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम :- छात्रावासों को सुदृढ़ करने की दिशा में हम पहल करेंगे । अगर कहीं इस प्रकार की घटना होती है तो जिले के सहायक आयुक्त उसके लिए जिम्मेदार रहेंगे । इस बात की घोषणा करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

1:14 बजे **<u>नियम 267 क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं</u>**

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी, तथा उसके उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जायेगा :-

1. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य
2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य
3. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य
4. श्रीमती छन्नी चंदू साहू, सदस्य
5. डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, सदस्य

समय :

1.15 बजे **<u>वित्तीय वर्ष 2019-2020 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान</u>**

अध्यक्ष महोदय:- अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी। परंपरानुसार सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उस पर एक साथ चर्चा होती है। अत: मैं, माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत होगा।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि - दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 24, 28, 30, 32, 33, 34, 39, 41, 42, 54, 55, 64, 65, 71 एवं 81 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर एक हजार छ: सौ पच्चीस करोड़, पैंसठ लाख, इकसठ हजार, छ: सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

<u>सदन को सूचना</u>

अध्यक्ष महोदय : - आज का भोजन अवकाश नहीं होगा मैं समझता हूं कि सभा इससे सहमत है। भोजन की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

<u>वित्तीय वर्ष 2019-2020 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमशः)</u>

अध्यक्ष महोदय :- इस अनुदान मांग के लिए कार्यमंत्रणा समिति के अनुसार 3 घंटे का समय निर्धारित है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 30 मिनट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्ष में 2 घंटे 16 मिनट और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के पक्ष में 30 मिनट और बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में 0.4 मिनट निर्धारित है। कृपया अपने समय का ख्याल रखियेगा, इतना आपसे निवेदन है।

श्री अजय चन्द्राकर :- समय से पहले खत्म कर देंगे तो बोनस मिल जायेगा?

अध्यक्ष महोदय :- यदि समय से पहले आप खत्म कर देंगे तो आपको शाबासी दी जायेगी। (हंसी)

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग 1650 करोड़ के अनुपूरक मांग आई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 90 प्रतिशत व्यय राशि रेवेन्यू एक्सपेंडीचर है और प्रदेश में मुख्य बजट, उसके बाद प्रथम अनुपूरक, द्वितीय अनुपूरक और तृतीय अनुपूरक उसके द्वारा लगभग हम 1 लाख 5 हजार करोड़ तक पहुंच गये हैं और हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडीचर है वह रेवेन्यू एक्सपेंडीचर प्रत्येक अनुपूरक बजट और उसके बाद हर अनुपूरक में रेवेन्यू एक्सपेंडीचर बढ़ता जा रहा है। यदि प्रदेश का रेवेन्यू एक्सपेंडीचर इस ढंग से बढ़ेगा तो कैपिटल एक्सपेंडीचर के लिए, भविष्य निधि के लिए पैसा कहां से आयेगा। उस पैसे के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। रेवेन्यू एकसपेंडीचर और कैपिटल एक्सपेंडीचर के लिए बहुत चर्चा होती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। आपने मुझे 1 लाख रूपये दिया, 1 लाख रूपये में से मैंने मोटरसाईकिल खरीद ली, कपड़ा खरीद लिया, अन्य चीजों पर खर्च कर दिया। वह तात्कालिक ग्रोथ में जरूर दिखेगा परंतु यदि आपने मुझे 1 लाख रूपये दिया, मैंने उसका एक घर बनाया और उसका किराया 30 साल तक खाया तो वह लगातार 30 साल की ग्रोथ में दिखेगा, ये कैपिटल एक्सपेंडीचर होता है। उस कैपिटल एक्सपेंडीचर की तरफ हम कोई पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। इस प्रदेश को हम किस तरफ ले जाना चाहते हैं। अभी 58-60 प्रतिशत बजट आयेगा, इस बजट में वित्त सचिव जी का अभिलेख आयेगा उसमें सारी चीजें साफ रूप से सामने आयेंगी कि कितना रेवेन्यू एक्सपेंडीचर हो रहा है। यदि वह रेवेन्यू एक्सपेंडीचर बढ़ता जायेगा तो फिर सड़कों का क्या हाल होगा, सिंचाई की व्यवस्थाओं का क्या हाल होगा और बाकी चीजों का क्या हाल होगा? ये नए स्कूल नहीं खोलेंगे, नए कालेज नहीं खुलेंगे, नई तहसील नहीं खुलेगी और बहुत सारी चीजों में समस्या आयेगी। हम इस सदन से बजट और अनुपूरक के माध्यम से पैसे की व्यवस्था करके देते हैं, उस पैसे का दुरूपयोग न हो उसके लिए भी कठिन व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं भ्रष्टाचार का उदाहरण देकर चालू करूंगा कि

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

किस ढंग से पैसे का दुरूपयोग हो रहा है। अकलतरा नगरपालिका क्षेत्र में अक्टूबर, 2019 नगरीय निकाय चुनाव के कुछ दिन पहले आचार संहिता आने के कुछ दिन पहले की बात है। जेम पोर्टल से खरीदी की गयी, बीस हजार रूपये का एक डस्टबीन खरीदा गया। बारह सौ रूपये का एक पौधा खरीदा गया। बिस्तर खरीदा गया। kurlon की mattress खरीदी गयी। बिस्तर और kurlon mattress का नगरपालिका से क्या लेना देना है ? 45 हजार की रिवाल्विंग चेयर का क्या लेना देना है ? आप स्ट्रीट लाईट लगाते हैं, आप नाली की सफाई कर दें। आप पानी की व्यवस्था कर दें। इस तरह से सरकार के पैसे का दुरूपयोग किया जा रहा है। ये जनता का पैसा है। उनसे हम टैक्स ले रहे हैं और उस टैक्स के पैसे को हम खर्चा कर रहे हैं। कुछ निहित कर्मचारी, कुछ निहित लोग अपने स्वार्थ के लिये इस तरह से जनता के पैसे का दुरूपयोग कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है, इस तरह से जनता का दुरूपयोग न हो। मैं एक नगरपालिका का एक छोटा सा उदाहरण एक विभाग का दे रहा हूं। प्रदेश में इस तरह की कैसी व्यवस्थाएं चल रही है। इस व्यवस्था पर रोक लगने के दौरान अनुपूरक के ऊपर अनुपूरक जायेगा। पर वह जो पैसा वहां पर जा रहा है, जिन लोगों के लिये पैसे की व्यवस्था की जा रही है, उन लोगों तक वह पैसा नहीं पहुंच रहा है। वह पैसा जिनके पास नहीं जाना चाहिए, उनके पास जा रहा है। मुख्यत: जो इस अनुपूरक में है, उस अनुपूरक में ब्याज अनुदान है। जो हमने कर्ज लिया, वह कर्ज का अनुदान है। सरकार है, सरकार की मंशा है कि कितना भी कर्ज लें। पर हम भविष्य को क्या देकर जायेंगे ? आने वाले पांच साल को क्या देकर जायेंगे ? 58 हजार करोड़ रूपये का कर्जा, माननीय अजय चंद्राकर जी के जवाब में आया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, अभी अभी एक जानकारी मिली है। छत्तीसगढ़ में कल से बड़े अधिकारियों के यहां कुछ राजनेताओं के यहां जो इनकम टैक्स की रेड हुई है। उस रेड के दौरान जो अधिकारी अपने गाड़ियों से आये, उन गाड़ियों को पुलिस ने नो पार्किंग के आधार पर जप्ती बनाई। ना उन पर चालान काटा जा रहा है, ना किसी प्रकार का प्रपत्र दिया जा रहा है। खाली परेशान करने के लिये कि इनकम टैक्स के अधिकारी वापस चले जायें। इसलिये उनकी गाड़िया जप्त करके थाने में खड़ी कर दी गयी है। यह बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। एक प्रकार से अधिकारियों को काम करने से रोकने का प्रयास यहां का पुलिस विभाग कर रहा है, यहां की सरकार कर रही है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम कर्ज लेते जायेंगे, अभी सरकार बनने के बाद में 14 महीने में कितना कर्ज लिया गया है, वह सारी बातें सामने है। वह कर्ज हम लेते जायेंगे तो कर्ज को कभी चुकाना भी तो है। अगर कर्ज को नहीं चुकाना है तो फिर आर.बी.आई. नीलाम करना चालू कर देती है। पांच साल का बांड है, दस साल का बांड है, पंद्रह साल का बांड है, तो आर.बी.आई. नीलामी कर देती है। अभी छत्तीसगढ़ सरकार की बांड की आठ सौ करोड़ की नीलामी लगी हुई है। बांड की नीलामी के बाद ब्याज तो पटाना पड़ेगा। मुख्यत: इसमें जो चीज है, वह ब्याज से संबंधित बात है। माननीय अध्यक्ष

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हैं, बहुत सारे विषय कृषि मंत्री जी और कुछ खाद्य मंत्री जी से जुड़ा मामला है। चना के वितरण के लिये पैसे का प्रावधान किया गया। चना की खरीदी कहां से होगी, पिछले सत्र में हमने प्रश्न लगाया था। ध्यानाकर्षण लगा था कि मधु योजना के तहत गुड़ खरीदा गया और गुड़ का ठेका नफेड को दिया गया। नफेड किसी ट्रांसपोर्टर को ठेका दे रहे हैं। अगर चना खरीदना है, चना बांटना है तो सबसे पहले माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हैं, ये चीज तय की जाये कि किस चना को बांटा जायेगा ? किस प्रजाति के चना को बांटा जायेगा ? उसमें क्या न्यूट्रन प्रोटीन का कंटेन होगा और प्रोटीन का कंटेन की बीज को भी किसानों को उपलब्ध कराया जाये कि कितने बीज का उत्पादन है ? चना सिर्फ खरीदना है और चना बांटना है तो फिर चना कहां से आयेगा। दूसरी चीज चना का प्रोक्योरमेंट कौन सी एजेंसी करेगी ? फिर वह ठेकेदार, आप नफेड को बेच दिये, नफेड किसी और ठेकेदार को पकड़ लिया, कोई ट्रांसपोर्टर आ गया। अगर चना का प्रोक्योरमेंट करना है तो आपके पास एजेंसी है ? मार्फेड खरीदी कर रही है। मार्फेड चना की खरीदी करे। मार्फेड चना की खरीदी करके प्रोक्योरमेंट दे। अगर छत्तीसगढ़ के किसान को समृद्ध करना है तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राईज तय करें। इतने में किसान का चना खरीदा जायेगा। अगर मिनिमम सपोर्ट प्राईज तय की जायेगी तो मिनिमम सपोर्ट प्राईज में किसान को ये प्रोत्साहन मिलेगा। उस प्रोत्साहन के आधार पर मिनिमम सपोर्ट प्राईज के आधार पर मेरा चना इतने में बिकेगा तब किसान चने की खेती करेगा। जब किसान को पता ही नहीं कि चना कितने में बिकेगा तो किसान चने की खेती करेगा कैसे ? इस चीज का निर्धारण करने की आवश्यकता है। पूरी कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता है उसमें कई विभागों के कॉडिनेशन की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शक्कर वितरण की बात आयी है। प्रदेश में 3 शक्कर के कारखाने चल रहे हैं, उनमें आये दिन ये रिपोर्ट आती है कि जो शक्कर के कारखाने चल रहे हैं उन शक्कर के कारखानों का जो शक्कर का उत्पादन हुआ है वह उत्पादन उनके गोदामों में सड़ रहा है इधर शक्कर का उत्पादन सड़ रहा है, इधर 8-8, 9-9 महीनों से किसानों को उनके गन्ने के उत्पादन का पैसा नहीं मिला है। किसानों को जो गन्ने के उत्पादन का पैसा नहीं मिला है उसके कारण गन्ने का रकबा कम हो रहा है। किसानों ने गन्ने का रकबा कम कर दिया। किसानों ने धान के फसल के प्रति शिफ्ट कर दिया। कैश क्राफ्ट की तरफ छोड़कर, वे दूसरी क्राफ्ट की तरफ चले गये तो इस पर सरकार ये निर्धारण करे कि ये जो शक्कर आयेगा, ये किस कारखाने से आएगा? कितना खरीदा जाएगा? किस क्वालिटी का शक्कर खरीदा जायेगा। इस पर निर्धारण करने की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी यहां पर हैं उनका स्पेसिफिक दुग्ध उत्पादन अधोसंरचना के लिए 76 करोड़ का प्रावधान है। हम छत्तीसगढ़ में सिर्फ खेती करते हैं और धान की खेती करते हैं। धान खेती के लिए यहां की जलवायु उपयुक्त है, यहां पर पानी है यहां पर फर्टाईल जमीन है और दूसरी खेती नहीं होती। अगर दूसरी फसल चना, गन्ना, दलहन, तिलहन इन सारी की खेती होगी तो

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सरकार प्रिक्योरमेंट करेगी तो खेती होगी। मिल्क चिलिंग यूनिट के लिए पैसे का प्रावधान किया गया है ये अधोसंरचना लिखा है तो किस चीज का होगा? माननीय मंत्री जी जानेंगे कि 76 करोड़ रूपये किस चीज के लिए है? ट्रांसपोर्टिंग के लिए दिया जा रहा है या चिलिंग यूनिट लगाने के लिए दिया जा रहा है? या किस चीज के लिए दिया जा रहा है? मैं बोलना चाहता हूँ कि जिन किसानों से मेरे विधान सभा क्षेत्र और जांजगीर जिले में दूध खरीदा जा रहा है उनके दूध का भुगतान 3-3 महीने में होता है जब तीन महीने में दूध का भुगतान होगा तो किसान गाय कैसे रखें?

श्री रविन्द्र चौबे :- इनकी जानकारी पुरानी है। पहले ये 83 दिन था, अब 33 दिनों में आ गया है।

समय :

1:27 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए)**

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 33 दिन में बात वही घूमकर आती है। मंत्री जी की तरफ से आंकड़ा आता है। मंत्री जी से निवेदन है कि जमीन पर 33 दिनों में मिले। 33 दिन भी कम है अगर 33 दिनों में हो रहा है । 15 दिनों के साईकल में होना चाहिए अगर 33 दिनों में भी हो रहा है तो 33 दिन कम है। चारा कहां से आएगा? चारे की व्यवस्था कहां से आएगी ?मेडिसीन की क्या व्यवस्था की जायेगी ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर 76 करोड़ की व्यवस्था की गई है तो मैं जानना चाहता हूँ कि 76 करोड़ की व्यवस्था सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग के लिए दी गई है। किसी भोपाल के ठेकेदार को ठेका दे दिया जाता है ये किस चीज के लिए 76 करोड़ की व्यवस्था की गई है ? और अगर 76 करोड़ रूपये की व्यवस्था है तो 76 करोड़ रूपये बहुत होता है। हम लोगों के आग्रह पर डॉ. रमन सिंह जी के निर्देश पर जांजगीर जिले में सिर्फ 45 लाख रूपये का एक चिलींग यूनिट लगा था। अच्छी से अच्छी कंपनी का चिंलिंग यूनिट आता है तो 45 लाख रूपये का चिलिंग यूनिट आता है जो 6-8 घण्टे के लिए दूध की अवधि को, सेल्फ लाईफ को बढ़ा देता है और सेल्फ लाई को बढ़ाने की बात है तो माननीय कृषि मंत्री जी, ये 76 करोड़ रूपये में तो हर प्रदेश के हर विकासखण्ड में, हर विकासखण्ड में नहीं तो जिले में कम से कम दो-तीन विकासखण्डों में एक चिलिंग यूनिट लग जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चिलिंग यूनिट के बाद वह दूध किस पर जाएगा? इस पर कोई आज तक योजना नहीं बनी है। चिलिंग यूनिट से दूध आ गया। दूध से सेल्फ लाईफ बढ़ गई, वह देवभोग के पास जाएगा। क्या देवभोग के पास इतनी कैपेसिटी है, उसका वैल्यु एडिशन कर सके। पैकट दूध बनाने, श्रीखण्ड बनाने, लस्सी बनाने के लिए नहीं है तो इस कुछ अधोसंरचना, कुछ काम होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप प्राईवेट बॉडी को बुला लीजिए, यहां पर प्राईवेट प्रोड्यूसर लोग हैं इसके ऊपर जो लोग आकर काम कर सकते हैं। प्रदेश के बाहर के लोग आ सकते हैं। जो आकर एक दूध, एक सेल्फ लाईफ

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

पर दूध तय हो रहा है उस दूध पर काम कर सकते हैं। मूल बात यह है कि किसान को उसके दूध के उत्पादन का सही समय में सही रेट मिलना चाहिए और जब तक फाईनल उसके प्रोड्क्ट का प्रेक्योरमेंट होगा तभी मिल्क प्रोड्क्शन का पूरा सिस्टम सुधरेगा और छत्तीसगढ़ के किसान के हाथ में धान के ऊपर आने वाले 6 महीने के लिए क्या व्यवस्था है? तिलहन, दलहन रवी, लाईव स्टॉक डवलपमेंट, मिल्क चिंलिंग यूनिट का डेवलपमेंट, पोल्ट्री, फिशिश का डेवलपमेंट इसके ऊपर पूरी व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फसल बीमा के लिए भी प्रावधान किया गया है। फसल बीमा के लिए हमारे जांजगीर जिले में 40-45 करोड़ रुपये हर साल जाता है। अब तो केन्द्र शासन ने ऐच्छिक कर दिया है तो कुछ पैसा कम जायेगा। इस बार से नोटीफिकेशन में ऐच्छिक कर दिया है, माननीय केशव चन्द्रा जी कई बार उस चीज की मांग करते आये हैं। अब ऐच्छिक कर दिया गया है तो कुछ कम हो जायेगा। यदि 100 प्रतिशत सिंचित इलाका है तो बीमा कंपनी को 1 रुपये भी नहीं देना पड़ता। हंसदेव मैया की कृपा से वहां फसल फेल नहीं होती। वह 43 करोड़ रुपये लेकर जाता है, खरीफ फसल के लिए बीमा होता है। उसके लिए विशेष आवश्यकताओं की जरूरत है। हम पैसा देते जायें, इस प्रदेश की जनता का पैसा है, परन्तु उसका लाभ जनता तक पहुंचना चाहिए। एजेन्सियों में आज भी कोआर्डिनेशन नहीं है, अगर फसल बीमा की क्षति का कोई मामला बनेगा, लिस्ट बहुत लंबी है, किस-किस चीज की फसल बीमा की क्षति होगी, वह बिल्कुल सही है। बहुत व्यापक लिस्ट है। पर उस लिस्ट में रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट का आदमी भी शामिल है, उसमें कृषि विभाग का भी आदमी शामिल होता है, उसके बाद इंश्योरेन्स कंपनी का भी आदमी शामिल है। अंत में उसको जो मिलना चाहिए एक तो मिलता नहीं है और मिलने के बाद प्रोसेसिंग में इतना परेशान होता है कि वह छोड़ देता है, छोड़ो इस सबसे क्या करना है। तीसरी चीज अगर प्रोसेसिंग हो जाती है तो जितना उसको मिलना चाहिए, उतना नहीं मिलता। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो मुख्य आधार था, जैसे हमको लाईफ इंश्योरेन्स का पैसा जिस ढंग से मिलता है, मृत्यु हो गई तो जिस ढंग से लाईफ इंश्योरेन्स का पैसा मिलता है और हेल्थ इंश्योरेन्स का पैसा जिस ढंग से हमको मिलता है, हम बीमार पड़ गये तो हम अस्पताल में भर्ती हो गये और हेल्थ इंश्योरेन्स की कंपनी आकर उसको कवर कर जाती है। इस ढंग से फसल बीमा का भी पैसा मिलना चाहिए। इसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है? नहीं तो इंश्योरेन्स कंपनी हर बार बजट में पैसा ले-लेकर जा रही हैं, हमारे जांजगीर जिले के लिए तो होड़ लगी रहती है कि कौन इंश्योरेन्स कंपनी आयेगी, जांजगीर जिला शुद्ध कमाई का जिला है। इस तरह से हम फसल बीमा पैसा दे रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ सिंगल विन्डो होना चाहिए। उसका कार्यालय खुलना चाहिए। कार्यालय का विज्ञापन होना चाहिए कि क्या कार्यालय है, कौन अधिकारी है, कौन विकासखंड में कौन जिम्मेदार अधिकारी है, वहां पर इंश्योरेन्स कंपनी का कोई अधिकारी बैठे। प्रोसेसिंग का टाइम फ्रेम

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

होना चाहिए। कम से कम टोकन इशु हो कि मेरा टोकन क्रमांक ये है। आप जन-दर्शन में टोकन इशु करते हैं, टोकन इशु हो कि ये टोकन का आपका केस लॉग-इन हो गया। आपका केस जब लॉग-इन हो गया, लॉग-इन करने के बाद जब आपने केस लॉग-इन कर लिया तो लॉग-इन करने के बार उसकी ट्रेकिंग भी होनी चाहिए कि वह पैसा कब उसको मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस स्तर पर मिलेगा, उसको ट्रेकिंग भी होनी चाहिए। आज टेक्नॉलाजी का जमाना है। एस.एम.एस. के माध्यम से किसान को बता दिया जाये कि आपका ट्रेकिंग हो गया, आपका पैसा यहां आ गया, इस खाते में पैसा एन.ई.एफ.टी. हो जायेगा। पर ये पूरी प्रक्रिया नहीं है। फसल बीमा हवा में चल रहा है। हम बजट से कितना भी पैसे देते जायें, वह बजट इंश्योरेन्स कंपनियों के खाते में जा रहा है, हमारे किसानों के हाथ में नहीं लग रहा है। उसके साथ-साथ आज रबी फसल की जो स्थिति है और रबी फसल में ओलावृष्टि के कारण, बेमौसम बारिश के कारण जिस ढंग से क्षति हुई है, जिस तरह से बागवानी में क्षति हुई है, हार्टिकल्चर में क्षति हुई है, सब्जी लगाने वालों की क्षति हुई है, उसके लिए फसल बीमा में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। अगर मैं पंजीकृत किसान हूं, अगर मैंने सरकार से कर्ज लिया है, अगर मैं सोसायटी में धान बेचता हूं तो मेरा पैसा कट जाता है, मैं फसल बीमा में चला जाता हूं। अगर मैं अपने खेत में ऐच्छिक ढंग से सब्जी लगाता हूं, केला, आलू लगाता हूं, उसके लिए फसल बीमा की क्या व्यवस्था है? एक विन्डो क्लीयरेन्स बनना चाहिए, काउंटर बनना चाहिए, मैं जाकर पैसा जमा करा दूं। कल अगर मेरा नुकसान हो तो मेरे को पैसा मिलना चाहिए, सारे किसानों के लिए ये व्यवस्था होनी चाहिए तब फसल बीमा का कार्यक्रम सफल होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धान पर चर्चा हो रही थी, मैं बहुत विस्तृत में नहीं जाऊंगा, इस सदन में शराब और धान पर बहुत सारी चर्चा हो गई है। मैं सिर्फ एक आंकड़ा लाना चाहूंगा। आज चर्चा हो रही थी कि 19 लाख 55 हजार किसानों का धान पंजीकृत किया गया, पंजीकृत मतलब उन्होंने खरीदी के लिए पंजीयन कराया, मेरा पास इतना रकबा पंजीकृत हो गया। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि पंजीकृत होने के बाद सिर्फ 45 हजार किसानों का, जितना रकबा पंजीकृत किया है किसी का 5 एकड़,, किसी का 10 एकड़ और किसी का 15 एकड़ पंजीकृत किया है, उनकी पूरी फसल खरीदी गई है, 100 प्रतिशत रकबा की धान खरीदी गई है। पंजीकृत किसान से जितना रकबा खरीदा गया है, उसका सिर्फ 2.3 प्रतिशत है। क्या प्रदेश की यही स्थिति है, 2.3 प्रतिशत किसान। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो लेण्ड होल्डिंग का प्रतिशत है, उसमें 53 से 54 परसेंट किसानों का 5 एकड़ से नीचे का रकबा है । 53 से 54 परसेंट किसान ऐसे हैं जिनका रकबा 5 परसेंट से नीचे है तो उस 5 परसेंट के नीचे, 5 एकड़ के नीचे...।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर :- श्री सौरभ भैया, आप जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं वह 6 फरवरी की डेट का है, आप उसे पूरी डेट में क्यों जोड़ रहे हैं ? या फिर आप पूरे आंकड़ों के साथ बात करें ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को इनकी बात का जवाब दे देता हूं जो जवाब आया वह जवाब 6 फरवरी की डेट का था । माननीय शिवरतन शर्मा जी ने पूरक प्रश्न पूछा, आप भी इस सदन में थे, उन्होंने जवाब दिया 33,000 नहीं 45,000 है । मैं 45,000 के आंकड़े में ही केल्कुलेट कर रहा हूं । 33,000 में 1 दशमलव 7 होता है और वे जो 45,000 बता रहे हैं उसमें 2 दशमलव 3 होता है । मंत्री जी ने पूरक प्रश्न में जो बताया था, मैं उसी आंकड़े में बता रहा हूं ।

श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर :- वह स्पेसिफिक प्रश्न ही नहीं था या फिर स्पेसिफिक प्रश्न लगाना था । अभी तक तो डाटा आया नहीं है ।

श्री सौरभ सिंह :- डाटा तो मंत्री जी ने सदन में दिया है, वह रिकॉर्ड में है ।

श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर :- वह 6 फरवरी तक की बात किये हैं ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय चंद्राकर जी, मैंने आपको दोनों इक्वेशन को बता दिया । आप चाहें तो रिकॉर्ड निकलवा लीजिये, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह विधानसभा के रिकॉर्ड में है । 2 दशमलव 3 प्रतिशत किसान और छत्तीसगढ़ के 54 परसेंट किसान ऐसे हैं जिनका रकबा 5 एकड़ से कम है तो क्या उस किसान का 5 एकड़...।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सौरभ सिंह जी, आप प्रतिशत की जो जादूगरी यहां बता रहे हैं । 93 प्रतिशत पंजीकृत किसानों की धान खरीदी सरकार ने की है जो छत्तीसगढ़ बनने के बाद रिकॉर्ड है, आप इस बात को भी बताईए । (मेजों की थपथपाहट)

श्री सौरभ सिंह :- आप यदि धान की तरफ विषय को ले जाना चाहते हैं तो चलिये मैं उसी तरफ अपनी बात ले जाता हूं । आपने 67 लाख एकड़ की खरीदी की, 67 लाख एकड़ का पंजीयन हुआ उसको आप 15 से भागित करिये और 1 लाख 4000 मीट्रिक टन धान खरीदना था, आप 85000 राशि की बात कर रहे हैं ।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- कभी 2 साल पहले यह केल्कुलेशन करना शुरू किये थे । कभी आपने पूछा था कि 45,000 मीट्रिक टन धान भाजपा की सरकार में पूरी धान खरीदी चूंकि आप बार-बार पूरा शब्द उपयोग कर रहे हैं । किसानों की संख्या 25,000 कभी नहीं हुई, चूंकि आप तो किसान हैं, क्या सभी किसान अपना पूरा धान बेच देते है ? 83 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है । कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि जिनके टोकन कट गये, आप अंदाज लगाईये वह भी 5-7 लाख मीट्रिक टन जाने वाला है तो धान खरीदी में इस सरकार ने कोई कोताही नहीं की है, धान खरीदी हुई है । 18 लाख 20,000 से ज्यादा किसानों का धान खरीदा गया है । आज माननीय शिवरतन जी ने इस

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पर एक प्रश्न क्या लगा दिया कि पूरा धान किसका खरीदे हैं तो माननीय मंत्री जी ने उस तारीख का उत्तर दे दिया तो आप उसी पर बार-बार क्यों बोल रहे हैं ? आप एक बार तो यह बोलिये कि यह सरकार जो 15 साल नहीं कर पायी थी उसको माननीय भूपेश बघेल जी ने करके दिखा दिया । 19 लाख किसानों में से 18 लाख 20,000 किसानों का धान खरीदा । 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा और जो 4 दिन से आप धान की खरीदी की बात कह रहे हैं । (माननीय सदस्य श्री सौरभ सिंह एवं श्री अजय चंद्राकर जी के खड़े रहने पर) आप दो मिनट बैठ जाईए न । (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- वे अकेले खड़े थे न इसलिए मैं भी खड़ा हो गया था ।

श्री रविन्द्र चौबे :- वे अकेले कहां थे, सामने हमारे बहुत से आदरणीय बैठे हुए हैं, वे अकेले नहीं हैं । सच्चाई यह है कि आपको सवीकारना पड़ेगा कि धान खरीदी हुई है, पिछले साल 20,000 करोड़ दिये थे । आप 15 साल मंत्री थे, आप आंकड़ों में 12,000 करोड़ से अधिक नहीं बढ़ पाये थे । एक साल में 20,000 करोड़ और 12,000 करोड़ की कर्जा माफी । किसानों के लिये जो अच्छा काम किया है उसके लिये आप श्रेय तो दे दीजिए ।

श्री अजय चंद्राकर :- आपने जो बहुत अच्छा काम किया है, वह सुबह प्रश्न में झलका है । आपने किसानों के नाम का कितना बढ़िया इस्तेमाल किया कि 19 लाख लोगों को पंजीकृत कराया और लगभग 40,-42,000 लोगों का 15 क्विंटल खरीदा । आज सुबह आपके यह जो शब्द हैं यह कितने गंभीर हैं इसे आप अच्छे से जानते हैं।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- आप यह तो बताईये कि आपने क्या किया था ?

श्री रविन्द्र चौबे :- श्री अजय जी, मैंने इसीलिये कहा कि कभी 15 साल पलटकर क्यों नहीं देखा, कभी आंकड़े क्यों नहीं लगाये ? आपने किसानों की गिनती तब क्यों नहीं की ?

श्री अजय चंद्राकर :- जिस दिन आपने शपथ ली उस दिन हमने यह जिम्मे दे दिया कि हम आगे बढ़ेंगे और आप 15 साल का उदाहरण दीजिये, आप 15 साल का उदाहरण दे सकते हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- और हम कायम हैं अभी भी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- 45 हजार से ज्यादा का हर साल..हर साल 45 हजार किसानों से ज्यादा लोगों का 15 क्विंटल खरीदा ।

श्री रविन्द्र चौबे :- आपने ? कभी नहीं, कभी नहीं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- हर साल, 15 क्विटल ।

श्री मोहम्मद अकबर :- अरे, ये रिकॉर्ड है । आपके समय का 23467, और इनका 45 हजार ।

श्री अजय चन्द्राकर :- फिर आंकड़े में फंस रहे हो ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए सौरभ जी ।

श्री अमरजीत भगत :- चन्द्राकर जी लफड़ेबाजी करने में बहुत माहिर हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सौरभ सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं दोनों बात बोल देता हूं । जो यह बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना धान क्यों नहीं खरीदा, उसका जवाब दे रहा हूं । आपका जो पंजीकृत रकबा है । आपने पंजीयन कराया, आपके अधिकारियों ने पंजीयन कराया, उस पंजीकृत रकबे के हिसाब से गुणित 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से जो खरीदी होनी थी वह 1 लाख 4 हजार मेट्रिक टन होनी थी लेकिन आपने 85 लाख मेट्रिक टन का ही टारगेट बनाया था ।

श्री रविन्द्र चौबे :- यह आने वाले समय में और बढ़ेगा ।

श्री सौरभ सिंह :- दूसरी चीज, क्या छत्तीसगढ़ में एक किसान के खेत में सिर्फ 15 क्विंटल धान होता है ? ज्यादा होता है । तो छोटे किसानों को तो बेचने का अधिकार है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप काफी अच्छा सुझाव देते हैं । कभी एकाध बार पूरी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जिनकी सरकार है उनको चिट्ठी लिख सकी कि हम 2500 रूपया देना चाहते हैं, वे 1815 से ज्यादा नहीं देने की बात क्यों कहते हैं? कभी आपने कहा कि हम धान का निष्पादन चावल के रूप में कहना चाहते हैं हमारा चावल केन्द्र सरकार क्यों नहीं खरीदना चाहती ? कभी आपने पूछा बायो-एथेनॉल बनाने के लिए माननीय मुख्यमत्री जी केन्द्र सरकार को बार-बार चिट्ठी लिख रहे हैं । एक अक्षर का परमीशन देने में आपको तकलीफ होती है ? छत्तीसगढ़ के किसानों के धान से उत्पादित चावल आप नहीं खरीदेंगे । हमारी बिजली लेंगे, हमारा कोयला लेंगे, हमारी खदानों का लोहा ले लेंगे और हमारा चावल नहीं लेंगे । कभी आपने दिल्ली से पूछा ? एकाध लाईन तो श्रेय कर दीजिए 83 लाख मेट्रिक टन कम नहीं होता (मेजो की थपथपाहट) ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय मोहम्मद अकबर भाई ठीक कह रहे थे । ढाई लाख अतिरिक्त पंजीयन हुआ । इसी सरकार ने ढाई लाख अतिरिक्त पंजीयन किया है । पिछले वर्ष से इस वर्ष ढाई लाख अतिरिक्त पंजीयन हुआ है तो जब अतिरिक्त पंजीयन होगा । छत्तीसगढ़ के किसानों का प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान नहीं होता, एवरेज प्रोडक्शन ज्यादा है । जब ऐवरेज प्रोडक्शन ज्यादा है तो एवरेज पंजीयन ज्यादा होगा तो एवरेज धान खरीदी ज्यादा होगी । उसमें कौन सी बड़ी चीज है ? आप बोलते हो कि हमारी सरकार ने कम खरीदा, तो हमारे समय पंजीयन कम था। पंजीयन कम था तो खरीदी कम होती थी । अब पंजीयन ज्यादा हो गया, एवरेज प्रोडक्शन ज्यादा है तो खरीदी ज्यादा हो रही है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने बार-बार स्वीकार किया है कि धान की तरफ किसान लौट रहे हैं तो यह तो अच्छी बात है ।

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- अजय भइया, ढाई लाख किसान अतिरिक्त पंजीयन करा रहे हैं यानी किसान खुश हैं । सौरभ भइया आप लोग इतनी बात कर रहे हैं तो तीन साल तक 275 रूपया बोनस आपने नहीं दिया, 2008 से 2013 तक आपने नहीं दिया, आपकी सरकार से किसानों की हजारों

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

करोड़ रूपए की लेनदारी बाकी है । आप कर्जा माफी की बात करते हैं, 104 करोड़ का कर्जा 2003 में माफ किया था । पहले उसके ऊपर भी चर्चा कर लीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- सौरभ जी आपका समय समाप्ति की ओर है ।

श्री सौरभ सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, सौभाग्य योजना के लिए इस अनुपूरक में प्रावधान किया गया है । इसमें राज्यांश क्या है, केन्द्रांश क्या है ? और यह योजना बंद हो गई । यह योजना ठीक से चल नहीं रही है । सौभाग्य योजना अच्छी योजना थी, जिनके घर में बिजली नहीं है जिनके घर में किसी कारण से अभी तक बिजली नहीं लगी है उनको बिजली दिये जाने की । ये अचानक साढ़े 17 करोड़ का प्रावधान क्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने जवाब में बताएंगे कि क्या राज्यांश है, क्या केन्द्रांश है । यह योजना क्यों नहीं चल रही है । बहुत सारी योजनाएं ऐसी है जो नहीं चल रही है, प्रधानमंत्री आवास नहीं है, उज्जवला गैस योजना नहीं है, ये केन्द्र की योजनाएं थीं ये योजनाएं नहीं चल पा रही हैं, उसमें आपका भी स्टेट शेयर था । मैं यह नहीं कहता की आपका शेयर नहीं था । लेकिन जब आप स्टेट शेयर जमा करेंगे तब वह केन्द्र सरकार का पैसा आएगा, केन्द्र पैसा देने के लिए तैयार है । लेकिन स्टेट शेयर जमा तो हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की यही स्थिति है 10 हजार पेंडिंग है । सौभाग्य योजना की यही स्थिति है । आज अगर इसमें प्रावधान किया है और आप राज्यांश दे रहे हैं तो यह अच्छी बात है । आज तैयार हैं अगर आप दे दें तो योजना का क्रियान्वयन सही समय पर होना चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, घरेलू बिजली के उपभोक्ताओं को छूट देने के लिए इसमें प्रावधान है । परंतु यह बात कही गई थी कि बिजली का बिल हाफ । कहां हुआ बिजली का बिल हाफ ?

श्री मोहन मरकाम :- इसमें प्रावधान किया गया है ।

श्री सौरभ सिंह :- आप प्रावधान कर लीजिए, हम मना थोड़े ही कर रहे हैं आपको । मोहन मरकाम जी आप इतना कम अनुदान क्यों कर रहे हैं, आप थोड़ा जयादा कीजिए । बिजली का बिल हाफ कीजिए, जनता इस चीज को पूछ रही है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए कर्जा लेने की बात कही है ।

श्री सौरभ सिंह :- किसानों के लिए कर्जा लेंगे, उपभोक्ताओं के लिए भी कर्जा लीजिए । कौन मना कर रहा है । आपकी सरकार है आप कर्जा ले सकते हैं । आपकी सरकार है, वित्तीय प्रबंधन आपके हाथ में है । लेकिन हमारा यह कहना है कि जितने पैसे का आपने प्रावधान किया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- संसदीय कार्य मंत्री जी, कल कर्जा लेने की घोषणा हुई। बजट में है कि ब्याज के लिए 71 करोड़ रूपये भी पूरक में रखे गये हैं, इसे भी बढ़ा लीजिए कि ब्याज की राशि और देना है ।

श्री रामकुमार यादव :- चन्द्राकर साहब जी, ओहा तुम्हरे सरकार के 45 हजार करोड़ के कर्जा लेहे उहू हमर पलद आये हे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सौरभ सिंह :- आप कर्जा ले लीजिए। आप अउ ले लीजिए। 71 करोड़ रूपये सिर्फ इंटरेस्ट दिया जा रहा है करके। वह तो सिर्फ अनुपूरक का छोटा सा इंटरेस्ट है। 365 दिन में और कुछ होगा। कंपोनेंट का दो-ढाई करोड़ रूपये जाएगा।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विद्वान साथी बहुत सारे विषय पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने उनसे दो-तीन विषयों पर जो आग्रह किया, उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि क्या वे छत्तीसगढ़ के किसानों के इतने हितैषी बनते हैं कि किसान के हित में..।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या है आप तीनों किसान नेता हैं। आप तीनों असली किसान नेता हो। आप, उपाध्याय जी और पाण्डे जी।

श्री देवेन्द्र यादव :- मैं आपकी बात बड़ी ध्यान से सुनता हूं तो मेरा निवेदन है कि आज पहली बार खड़ा होकर अपनी बता कह रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- देवेन्द्र यादव भी किसान नेता हैं। उपाध्याय जी किसान नेता हैं और पाण्डे जी किसान नेता हैं। छत्तीसगढ़ में जितने भी विधायक हैं, सभी किसान नेता हैं।

श्री विकास उपाध्याय :- वाकही में हम किसान नेता हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- यादव जी, आप बैठिए, इनका समय समाप्त होने वाला है।

श्री अजय चन्द्राकर :- तीनों किसान नेता की बात आप सुनिए।

श्री देवेन्द्र यादव :- उपाध्यक्ष महोदय जी, एक विषय। हमारे सम्माननीय सदस्य क्या 2500 रूपये समर्थन मूल्य के लिए छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में अपने राज्य शासन के सहमति के साथ एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को लिखेंगे क्या ? इसे क्लीयर करें। इथेनॉल बनाने के परमिशन के लिए ये हमारी सरकार..।

श्री शिवरतन शर्मा :- देवेंन्द्र जी, पहले नियम की जानकारी ले लो कि केन्द्र सरकार किन शर्तों में खरीदती है। पहले नियमों की जानकारी लो, उसके बाद बात करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री देवेन्द्र यादव :- हमें नियमों की जानकारी है। आप भी नियमों की जानकारी ले लो। आप भावनाओं की बात कर रहे हो। जब आप खड़े होते हो तो छत्तीसगढ़ के किसानों की भावनाओं की बात करते हो, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो आप नियम बताते हो। तो नियम मत बताओ या भावनाओं में चलो। आपकी नीयत, आपकी नीति दोनों किसानों के साथ नहीं रहती।

उपाध्यक्ष महोदय :- यादव जी, आप बैठिए।

श्री विकास उपाध्याय :- माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल तो आपको खुद चलने के लिए निमंत्रण दिया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपके हेलमेट का बताओ, क्या हाल-चाल है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकार :- शिवरतन भैया, चुनावी वर्ष में 300 रूपये बोनस देने का..।

उपाध्यक्ष महोदय :- सौरभ जी, आपके 30 मिनट हो गये।

श्री सौरभ सिंह :- उसमें तो 5 मिनट टीका-टिप्पणी में गया। मैं तो अपनी खत्म कर रहा था।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, दो मिनट दे रहे हैं।

श्री सौरभ सिंह :- बिजली का बिल आधा। ये कर्जा ले लें। डबल ले लें। ट्रीपल ले लें। ये जितने पैसे का इसमें प्रावधान किया गया है, उसमें बिजली का बिल आधा नहीं होने वाला है। हमारा यही निवेदन है कि जो आपने बोला था उसे कर दीजिए। आप केन्द्र सरकार की बात करते हैं। आपने बिजली बिल आधा करके बोला था, तो उसे कर दीजिए। आप बिजली का बिल आधा क्यों नहीं कर रहे हैं ? और कर्जे की क्या जरूरत है ? मैं बिजली विभाग की बात कर रहा हूं। स्मार्ट मीटर नहीं लगा है। प्रदेश में स्मार्ट मीटरिंग नहीं हुई है। बहुत सारी बाते हुई थीं, पर स्मार्ट मीटरिंग के ठेके का क्या हुआ ? स्मार्ट मीटिरिंग का ठेका किस ढंग से हो रहा है ? किस कंपनी को स्मार्ट मीटरिंग का ठेका दिया जा रहा है। स्मार्ट मीटरिंग होनी चाहिए। यह प्रदेश की मांग है। रूफ टॉप की बात होती है। क्रेड़ा को बिजली का जो रूफ टॉप है, उसमें सोलर ऊर्जा की एनर्जी लगती है, उसके हारवेस्टिंग की नेट मीटरिंग होनी चाहिए। उसके लिए आज तक 16-17 महीने में कोई योजना नहीं बनी है कि अगर मैं अपने रूफ टॉप में बिजली लगाउंगा, तो मेरी बिजली कितनी यूनिट से खरीदा जायेगा। अन्य प्रदेशों में यह योजना है। 50 पैसे में खरीदा जायेगा या नेट मीटरिंग के हिसाब से खरीदा जायेगा। जितना यूनिट मेरा प्रोडक्शन होगा, उतना यूनिट मेरे consumption से घटेगा या नहीं घटेगा। यह योजना क्रेड़ा आज तक नहीं ला पायी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 14वीं वित्त आयोग के लिए इसमें अनुदान दिया गया है। ये जितने भी सदस्य यहां पर बैठे हैं, मैं सारे सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि 14वीं वित्त आयोग का पैसा जिला पंचायतों के खाते में गया था, वह पैसा पंचायतों के आधारभूत व्यवस्था के लिए था। 14वीं वित्त आयोग का पैसा केन्द्र सरकार से आता है। उस पैसे का क्या उपयोग हुआ ? सी.ई.ओ., जिला पंचायत द्वारा जनपद पंचायत के सी.ई.ओ. को और गांव के सरपंचों फोन किया गया कि उससे गांव के गौठान का निर्माण किया जाए। यह पंचायत के अधिकारों का हनन हुआ है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार में तो गौठान का आदेश हुआ। आपकी सरकार में तो मूलभूत राशि का बोनस त्यौहार के लिए गाड़ी के लिए उपयोग किया जाता था। भीड़ बढ़ाने के लिए किया जाता था। हमारी सरकार में तो गौठान में उपयोग हुआ है।

श्री सौरभ सिंह :- 14वीं वित्त आयोग की जो राशि है, उसकी गाइडलाइन है। 14वीं वित्त आयोग के गाइडलाइन के हिसाब से गौठान में पूरा पैसा खर्चा किया गया और जो पैसा खर्च हुआ, उसमें जो व्यवस्था हुई, मैं उसका इस पवित्र सदन में उल्लेख नहीं करना चाहता..।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उपाध्यक्ष महोदय :- आपके भाषण का समय खत्म हो रहा है।

श्री सौरभ सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, टीका-टिप्पणी का समय काट दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय :- काट दिया हूं, उसके बाद भी हो रहा है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चकरभाठा एयरपोर्ट के लिए सिर्फ सौ रूपये की व्यवस्था की गई है। यहां घोषणा तो कुछ और हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने जवाब में इस बात को बतायेंगे कि जो 27 करोड़ की घोषणा हुई है, वह 27 करोड़ की घोषणा का पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा ? मूल बात है कि चकरभाठा हवाई पट्टी से हवाई जहाज कब उड़ेगा ? उसमें केन्द्र शासन का भी मामला है। सिर्फ सौ रूपये की व्यवस्था की जाती है और सदन में घोषणा कुछ और होती है। मुख्यमंत्री जी बोले थे कि जितना पैसा लगेगा, हम देंगे, पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन यहां पर पैसे की उपलब्धता सिर्फ सौ रूपये है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए बाकी सब चीजों के लिए पैसा दिया है। अब मैं एक अंतिम बात बोलूंगा। प्रदेश में जिस तरह से कानून व्यवस्था टूटी और बिगड़ी है, अगर आपको उसका एक उदाहरण देखना है तो चौक और चौराहों में जिस ढंग से लोग खड़े हैं, प्रदेश के बाहर के लोग, असामाजिक तत्व लोग चौक और चौराहों में आकर जिस ढंग से खड़े हैं, उस पर पुलिस की कोई मानीटरिंग नहीं है। वे कौन व्यक्ति हैं, कहां से आये हैं, कैसे आये हैं, वे रात को चोरी करेंगे, अपराध करेंगे, किस तरह का कृत्य करेंगे, इस पर कोई मानीटरिंग नहीं है। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए तृतीय अनुपूरक मांग इस सदन में प्रस्तुत की गई है। मांग संख्या-1,3, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 24, 28, 30, 32, 33, 34, 39, 41, 42, 54, 55, 64, 65, 71 एवं 81 के माध्यम से इस सदन से कुल एक हजार छः सौ पच्चीस करोड़, पैंसठ लाख, इकसठ हजार छः सौ रूपये की मांग की गई है, मैं इसका समर्थन करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में श्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बनने के बाद जनता के एक-एक पैसे का छत्तीसगढ़ के 02 करोड़ 80 लाख जनता की भलाई और विकास के लिए लगातार योजनाएं बना रही हैं। छत्तीसगढ़ की जनता की भलाई किसमें है, उसके लिए लगातार योजनाएं बना रही है। यह उसी का परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ में मंदी का असर नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सौरभ सिंह जी कह रहे थे कि जनता के पैसे का दुरूपयोग हो रहा है। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता के पैसे का से दुरूपयोग किया। जब सन् 2003 तक हमारी सरकार थी, तब सरकार के खजाने में लगभग 600 करोड़ रूपये थे। मगर उसके 15 साल बाद हमारी सरकार बनी, हमको लगभग 45 हजार करोड़ रूपया कर्ज के रूप में मिला है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सौरभ सिंह :- मरकाम जी, आप इस तरह से संतुष्ट हैं कि पैसे का दुरूपयोग नहीं होना चाहिए। अभी जो दुरूपयोग हुआ, उसका मैंने उदाहरण के साथ बताया है।

श्री मोहन मरकाम :- इन्होंने पैसे का दुरूपयोग किया, आज उसी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ बनने के 20 साल के शासनकाल में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और 45 हजार करोड़ रूपया हमारी सरकार को कर्ज के रूप में मिला है। उसके बाद भी जनता के एक-एक पैसे का सदुपयोग कैसे हो, उसके लिए लगातार सरकार योजनाएं बना रही हैं।

श्री सौरभ सिंह :- आपने 20 हजार रूपये में एक डस्टबिन खरीदी है। मैं आपको उदाहरण सहित बताया हूं।

श्री मोहन मरकाम :- उपाध्यक्ष जी, इन्होंने स्वाई वाक बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपये खर्च कर डाले, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है। सौ करोड़ रूपया पानी की तरह बहाया है। रायपुर शहर की तीन-चार ऐसी योजनाएं हैं, जो आपके भ्रष्टाचार का पोल खोलता है। इसके साथ-साथ कई ऐसी बातें हैं जो आपकी सरकार ने पैसे का, सरकारी धन का दुरूपयोग किया है। मगर हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी बजट में जो भी प्रावधान करते हैं, उससे कैसे जनता की भलाई हो, ऐसा काम करती है। उनके लिए लगातार योजनाएं बना रही हैं। इन्होंने 15 साल किसानों के लिए कुछ नहीं किया और आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। 15 साल किसानों को ठगा। ऐसा कहीं भी नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं हो। इसी कारण आज ये 90 सीटों में मात्र 14 सीट पर ही सिमट गए हैं। आपने देखा हो कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो या नगरीय निकाय हो, चाहे ग्रामीण जनता हो, चाहे शहर की जनता है, सबने इनको नकार दिया है । इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है । किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं । मैं पिछले आठ साल के आंकड़े बताना चाहता हूं । वर्ष 2012-13 में 14,69,152 किसानों ने पंजीयन कराया, मगर इनकी सरकार ने मात्र 10,08,562 किसानों का धान खरीदा, हमारी सरकार ने 19 लाख किसानों का पंजीयन किया और 18 लाख से अधिक किसानों का धान खरीदा । वर्ष 2013-14 में 16,43,000 किसानों का पंजीयन किया गया, इन्होंने मात्र 11लाख किसानों का धान खरीदा । वर्ष 2014-15 में 12 लाख किसानों का पंजीयन हुआ, लेकिन मात्र 11 लाख किसानों से धान खरीदा गया । जब वर्ष 018 में चुनाव हो रहा था तो 15,77,332 किसानों का पंजीयन किया गया और इन्होंने मात्र 12,06,264 किसानों का धान खरीदा । आज ये लोग किसानों के हितैषी बनते हैं। हमारी सरकार किसानों के लिए लगातार काम कर रही है, इसके लिए मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं । उन्होंने इसी सदन में घोषणा की है कि जिनका भी टोकन काटा गया है, उनका भी धान खरीदा जाएगा, मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-39 सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के तहत शक्कर प्रदाय हेतु 102 करोड़ रूपए का प्रावधान इस अनुपूरक में किया गया है । पी.डी.एस. योजना में 65 लाख

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कार्डधारी हैं, उनको कोई भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे शक्कर हो, गुड़ हो या नमक हो या चांवल हो, उनके लिए पैसे की कमी न हो, इसके लिए अनुपूरक में 102 करोड़ का प्रावधान किया गया है । एकीकृत सेवा अंतर्गत बच्चों की वृद्धि, निगरानी उपकरण के लिए 5 करोड़, 85 लाख, 20 हजार रूपए का प्रावधान इस अनुपूरक बजट में किया गया है । एकीकृत बाल विकास सेवा के अंतर्गत पंजीकृत अपडेशन हेतु 3 करोड़, 76 लाख रूपए का प्रावधान इस अनुपूरक में किया गया है । पिछली बार लोकसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत ज्यादा प्रोपोगंडा किया कि कांग्रेस की सरकार चना बंद कर रही है, नमक बंद कर रही है, मगर मद क्रमांक 7 अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत चना प्रदाय हेतु उन योजनाओं के माध्यम से आम जनता को कैसे लाभ मिले, उसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है । चना योजना के लिए भी 160 करोड़, 28 लाख का प्रावधान इस अनुपूरक में किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 76 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, उसके साथ-साथ राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विद्युत देयकों में राहत दी गई है । इसके लिए भी 67 करोड़ का प्रावधान किया गया है । हम जो कहते हैं, वह पूरा करते हैं । जब बिजली बिल हाफ होता है, उसके लिए भी इस अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है ।

श्री सौरभ सिंह :- मोहन जी, 400 यूनिट का प्रावधान है, हाफ नहीं है । सबका बिजली बिल हाफ नहीं है, सिर्फ 400 यूनिट तक का बिल हाफ है ।

श्री मोहन मरकाम :- उपाध्यक्ष महोदय, चाहे शहर की जनता हो या गांव की जनता हो, आज सभी हमशे खुश है इसीलिए सभी 10 नगर निगमों में हमारी सरकार बनी है । माननीय भूपेश बघेल जी जो कहते हैं, उसको पूरा करते हैं । इसके लिए भी अनुपूरक के माध्यम से प्रावधान किया गया है । मांग संख्या-41 में प्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों में औद्योगिक ईकाइयों की लागत पूंजी अनुदान के लिए भी 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है । चाहे शहरों में हो या गांव में हो, हमारी सरकार ने लघु और कुटीर उद्योगों के लिए औद्योगिक नीति बनाई है, उसके लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है । लोगों को फायदा कैसे मिले, लोगों को रोजगार के अवसर कैसे मिले, उसके लिए हमारी सरकार लगातार योजनाएं बना रही है । उसके लिए अलग-अलग श्रेणियों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार योजनाएं बना रही है, उसके लिए इस अनुपूरक में 15 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संचार क्रांति योजना । गांव तक संचार क्रांति कैसे फैले, उसके लिए प्रावधान है ।आपने कहा था 13 वें वित्त, 14 वें वित्त, आपकी सरकार ने संचार क्रांति के नाम से पंचायतों को दबावपूर्वक लगभग 900 करोड़ रूपया निकाल दिया था, लगातार विरोध के कारण 14 वें वित्त का पैसा पंचायतों को वापस कर दिया था । मगर हमारी सरकार ने उसके लिए भी 38 करोड़ का प्रावधान किया है, ताकि गांवों तक लोगों को इसका लाभ मिले । उपाध्यक्ष महोदय, आप पुलों की भी बात करते थे, नवीन पुलों के लिए जवाहर सेतु योजना अंतर्गत पुल निर्माण के लिए अपरिचित नवीन

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मद में 14 पुलों के लिए भी प्रावधान किया गया है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है । आर.आर.पी. फेस-2 योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति, उपयोजना के तहत 41 सड़कों के लिए भी प्रावधान किया गया है । उसके साथ-साथ आर.आर.पी. फेस-2 योजना, अनुसूचित जनजाति उपयोजना अंतर्गत तीन उच्च स्तरीय पुलों के लिए भी प्रावधान किया गया है । आदरणीय चन्द्राकर साहब ने किया था, मेरे जिले के तीन सड़कों के लिए भी प्रावधान किया गया था । जो सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, 90 विधान सभा क्षेत्रों में भी सरकार लगातार काम दे रही है । आप लोग तो चेहरा देखकर काम देते थे, विपक्ष के साथियों के साथ भेदभाव करते थे । हमारी सरकार चाहे किसी भी योजना में हो, हमारे विपक्ष के साथियों को भी और खासकर आपके लिए सौरभ सिंह साहब को तो विशेष प्रावधान...।

श्री शिवरतन शर्मा :- मरकाम जी, आपकी सरकार इतना काम कर रही है कि विधायक दल की बैठक में आपको भी रोना पड़ता है, उस काम का ही प्रमाण है ।

श्रीमती रश्मि आशीष सिंह :- उसको रोना नहीं कहते, आपसी पारिवारिक चर्चा कहते हैं ।

श्री मोहन मरकाम :- उपाध्यक्ष महोदय, जो जनता की बात होती है, हम जनता के नुमाइंदे हैं, हमको भी अपनी सरकार से अपनी बात कहने का अधिकार है । हम भी जनता के प्रतिनिधि हैं, अगर कहीं बात होती है तो अपनी सरकार के मुखिया से अपनी बात कहते हैं । माननीय अध्यक्ष जी, और उसके साथ-साथ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना अनुदान के लिए भी 10 करोड़ का हमारी सरकार ने प्रावधान किया है । मांग संख्या- 64 अनुसूचित जनजाति केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए भी 20 करोड़ 76 लाख का प्रावधान किया गया है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-64 मद क्रमांक का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए भी 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है । आपकी सरकार ने तो प्रायवेट इंश्योरेंस कंपनियों को फसल आधारित कंपनियों को 300 करोड़ से अधिक फायदा पहुंचाया है । करोड़ों रूपये का गोलमाल हुआ था, आप किसकी बात करते हैं, आप लोग तो ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाते थे, जिससे किसानों को कोई फायदा नहीं होता था । मैं किसानों को राहत दिलाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ । पानी हो, ओलावृष्टि हो, उसके लिए तत्काल आर.बी.सी. 6 (4) के तहत प्रश्न उठाया था ना, जिनका बीमा नहीं है उनको कैसे फायदा मिलेगा ? हमारी सरकार ने जिनका भी फसल नुकसान हुआ है, आर.बी.सी. 6 (4) के तहत तत्काल राहत पहुंचाई गई है । हमारी सरकार किसानों के प्रति गंभीर है, यहां के अन्नदाताओं के प्रति गंभीर है, हमारी सरकार की नीतियों को प्रदेश ही नहीं अन्य प्रदेशों से भी प्रशंसा मिल रही है । आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, खरीफ फसल हो, रबी फसल हो, आज जो बातें आ रही है, हमारी सरकार के योजनाओं के कारण लगातार किसान खुश है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस साल ढ़ाई लाख से अधिक किसानों ने ज्यादा पंजीयन करवाया था, भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासनकाल में 15 लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

नहीं करवाया मगर इस साल 19.5 लाख से अधिक किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया। हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की नीति, नीयत साफ है और उसी का परिणाम है कि आज किसान, मजदूर से लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश की 2 करोड़ 80 लाख जनता खुश है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजनांतर्गत भी 24 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। मांग संख्या 64 में राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत देयकों में राहत हेतु अलग से 21 करोड़ 26 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। मांग संख्या 64, मद क्रमांक 13 प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों में उद्योगों पर ब्याज अनुदान के लिए भी 2 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। मांग संख्या 64, मद क्रमांक 14 में औद्योगिक इकाईयों की लागत पूंजी में अनुदान मद में राशि के लिए भी 14 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। मांग संख्या 64 संचार क्रांति योजना के लिए भी 12 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। मांग संख्या 21 में चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अंतर्गत नगर निगमों में सहायता मद में 96 करोड़ 37 लाख 66 हजार रूपये का अनुपूरक में प्रावधान किया गया है। हमारे निगमों में चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो जुम्मा-जुम्मा हमारी सरकार बनी है इस अनुपूरक में उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। मांग संख्या 81 मद क्रमांक 2 चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अंतर्गत नगर पालिकाओं को सहायता हेतु 56 करोड़ रूपये का अनुपूरक में प्रावधान किया गया है। मांग संख्या 81 मद क्रमांक 3 में चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अंतर्गत नगर पंचायतों के सहायता मद में भी 52 करोड़ 67 लाख का प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार लगातार चाहे पंचायत हो या नगरीय निकाय हो उसमें अन्य मदों के लिए जो पैसे का प्रावधान करती है। आज उन नगरीय निकायों और पंचायतों के विकास के लिए सरकार कटिबद्ध है और माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार हमारे खजाने का पैसा जनता के विकास के लिए खर्च करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। आज हमारी सरकार की नीयत, नीति के कारण छत्तीसगढ़ की जनता लगातार हमें जनादेश दे रही है। इसलिए इस सदन में अनुदान मांगों के माध्यम से जो एक हजार छः सौ पच्चीस करोड़, पैंसठ लाख, इकसठ हजार छः सौ रूपये की मांग की गई है मैं इस सदन से निवेदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इसे सर्वसम्मति से समर्थन किया जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस तृतीय अनुपूरक अनुमान का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस सरकार को बने 14 माह पूर्ण हो चुके हैं और ये 15 वें माह में प्रवेश कर चुके हैं। इस सत्र में मुख्य बजट के बाद ये इनका तीसरा बजट है। माननीय मोहन मरकाम जी सरकार की बड़ी तारीफ कर रहे थे। आज ही मेरे प्रश्न में आधे घंटे किसानों के ऊपर चर्चा हुई। कल जब माननीय मुख्यमंत्री जी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जवाब दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि किसानों के लिए हमको जो कुछ करना पड़ेगा हम उनके लिए करेंगे। वास्तव में छत्तीसगढ़ के चौथे चुनाव में कांग्रेस को जो तीन चौथाई बहुमत मिला है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उस बहुत के पीछे सबसे बड़ा कारण, किसानों का समर्थन, इस सरकार को जो मिला वह एक बड़ा कारण हुआ है। पर दुर्भाग्य से सरकार बनने के पश्चात् यह सरकार अगर किसी को धोखा दे रही है, यह सरकार अगर किसी के साथ बेईमानी कर रही है तो सबसे ज्यादा बेईमानी और धोखा किसान के साथ कर रही है। आज पूरे छत्तीसगढ़ का किसान अपने आपको ठगा हुआ महसूस करता है। धान खरीदी की बड़ी बड़ी बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने धान खरीदी के लिये 85 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा। आज ही जब मेरे प्रश्न पर चर्चा हो रही थी तो माननीय मंत्री श्री अमरजीत भगत ने बताया कि 19 लाख 55 हजार 465 किसानों का पंजीयन हुआ। जिन किसानों ने पंजीयन कराया, उन किसानों का रकबा 25 लाख 80 हजार हेक्टेयर था। अगर 25 लाख 80 हजार हेक्टेयर किसानों ने पंजीयन कराया तो सरकार की जो पॉलिसी प्रति एकड़ 15 क्विंटल खरीदने की है, उस हिसाब से सरकार को धान खरीदी का लक्ष्य 107 लाख मीट्रिक टन रखना चाहिए था। पर इन्होंने 85 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य रखा। धान खरीदी 82 लाख मीट्रिक टन की है। माने जो किसान को धान बेचने की जो क्षमता थी, उससे आप लगभग 25 लाख मीट्रिक टन धान कम खरीदें। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि..।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- महोदय, आग्रह करना चाहूंगी कि क्या आपके समय यह फार्मूला एप्लाई होता था ? जो फार्मूला आप कांग्रेस सरकार के लिये प्रस्तुत कर रहे हैं। फार्मूला आपके समय भी एप्लाई हुआ होता तो उसी कमेटी को आगे भी अधिकारी बनाये होते।

श्री रामकुमार यादव :- भाई, सबो धान लो बेच देबो ता खाबो काला। कुछ धानो ला रखही कि अतना ला बेचनच हे करके। महराज, खाए पिये बर घलो रखे बर लगथे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दोनों हमारे नये सदस्य हैं। इस सदन पर 15 साल सरकार ने जो काम किया है। 15 सालों की सरकार की कागजों पर जो चर्चा हुई उसमें दोनों उपस्थित नहीं थे। आप तो इस सदन के सदस्य रहे हैं।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- महोदय, जब से पढ़ना लिखना सीखी हूं। लगातार समाचार पढ़ रही हूं। समाचार पत्रों का वाचन हमेशा करती रही हूँ।

श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिवरतन भैया।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसान के लिये हमको कर्ज लेना पड़े तो हम कर्ज लेंगे। किसानों के लिये हमको जो करना पड़ा, वह हम करेंगे। भैया तो, किसानों को जो 25 लाख मीट्रिक टन धान बच गया है, उन किसानों का धान आप पूरा क्यों नहीं खरीदते ? हमारे शैलेश जी, विनोद जी बार बार बोलते हैं कि हमने पूरा धान बेच लिया।

श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर :- शिवरतन भैया, आपके कार्यकाल का याद दिला दूं। रबी फसल में, जो रबी फसल में धान लगायेगा, उसका कनेक्शन काट दिया जायेगा। ये फरमान आप जारी करते थे। ये तुगलकी फरमान आप जारी करते थे। इसको भी याद रखिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- विनोद जी, सुनिये ना। आप उस फरमान की बात कर रहे हैं मैं उसको स्वीकार करता हूं।

श्री रामकुमार यादव :- आप लोग फसल चक्र की बात करते थे।

श्री शिवरतन शर्मा :- एक मिनट। वह आदेश शासन ने जारी किया था। पर शायद आपने समाचार पत्रों में यह नहीं पढ़ा । उसका सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था और किसके विरोध के बाद शासन ने उस फरमान को वापस लिया ? शायद आपको इसकी जानकारी नहीं है।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- आप बता दीजिए। जरूर आप होंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- उसमें सबसे ज्यादा विशेषज्ञ मैं था और मेरे विरोध के बाद वह फरमान वापस हुआ था।

श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर :- शिवरतन भैया, महासमुंद किसान आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। आज तक अगर किसान के विरोध में जो फैसला हुआ है। उसके विरूद्ध धान खरीदी की मांग किया गया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धान खरीदी के नाम पर पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों को धोखा देने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। इसलिए इस सरकार को किसी प्रकार की बजट देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ धान खरीदी के नाम पर नहीं, अगर अभी सबसे बड़ा किसान आंदोलन कवर्धा में हुआ। कवर्धा में लगभग आठ दिन किसान धरने में बैठे रहे। कवर्धा में तो कलेक्ट्रेट के गेट के सामने जब किसान धरने में बैठ गये, तो कलेक्टर को दूसरी तरफ दीवार फोड़करके जाना पड़ा और आठ दिन फिर अपने ऑफिस वापस आये ही नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी की झूठी घोषणा, मैं झूठी इसलिए कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि किसान का दाना दाना धान खरीदेंगे और उस झूठी घोषणा से प्रभावित होकर, कवर्धा जिले में गन्ने का रकबा 30 प्रतिशत कम हो गया । फसलचक्र परिवर्तन के अंतर्गत लोगों ने धान की खेती छोड़कर गन्ने की खेती करनी शुरू की थी, उधर आकर्षित हुए थे, पर इनकी असत्य घोषणा के चलते कवर्धा क्षेत्र में लगभग 30 प्रतिशत धान की खेती का रकबा बढ़ा और आज वहां किसान आन्दोलित हुए। मुख्य रूप से जो टोकन का धान बचा है वह कवर्धा जिले का ही बचा है पर आज छत्तीसगढ़ में मंत्री जी के जवाब के हिसाब से 19 हजार किसान ऐसे हैं जिनने अपना पंजीयन कराया है और पूरे रकबे का धान नहीं बेच पाये, इसकी जिम्मेदारी किसकी है ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कवर्धा जिले में 6-6 महीने से जो किसान गन्ना बेचे हैं, उन किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। किसानों को 50 रूपये गन्ने में प्रति क्विंटल बोनस देने की बात हुई थी वह बोनस का भुगतान नहीं हुआ है। आप इस पूरे अनुपूरक बजट को उठाकर देख लीजिए पूंजीगत व्यय कितना है ? पूंजीगत व्यय नहीं के बराबर है। अगर सबसे बड़ी व्यवस्था इस अनुपूरक बजट में की

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

गई है तो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो कर्ज लिया है उस कर्ज के ब्याज की अदाएगी की व्यवस्था इस बजट में सबसे ज्यादा है। प्रदेश को कहां लेकर जाना चाहते हो? छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण को 20 वर्ष पूरा हो जाएगा और इन 20 वर्षों में छत्तीसगढ़ की सरकार ने 57 हजार करोड़ रूपये का कर्ज लिया है तो लगभग साढ़े 17 हजार करोड़ का कर्ज इन 14 महीनों के अंदर भूपेश बघेल जी की सरकार ने लिया है। आज आपकी स्थिति ये बन गई है कि कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए आपको कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ गई। आप छत्तीसगढ़ को क्या डिफाल्टर राज्य की श्रेणी में लाना चाहते हो?

श्री रामकुमार यादव :- आमे 45 हजार करोड़ रूपये तोहफा में गे हे।

श्री शिवरतन शर्मा :- मूलभूत योजनाएं, छत्तीसगढ़ में जो मूलभूत काम होता था, वह सब बंद हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास, जिसमें पूरे देश में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मकान बनाने का रिकॉर्ड कायम किया था और छत्तीसगढ़ सरकार को प्रधानमंत्री आवास निर्माण के लिए प्रथम पुरस्कार केन्द्र सरकार ने दिया था। आज स्थिति क्या है?

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके समय में जो मूलभूत काम होते थे वह स्काई वॉक और एक्सप्रेस वे की हालत पूरे छत्तीसगढ़ जान रहा है और देख रहा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रांश तो मिल रहा है पर राज्यांश न देने के कारण प्रधानमंत्री आवास में हम पिछड़ गये। नुकसान किसको हो रहा है? प्रदेश की गरीब जनता को हो रहा है। डॉ. रमन सिंह जी के पिरयड में छत्तीसगढ़ में 25 लाख परिवारों को उज्जवला का गैस कनेक्शन मिला।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- लेकिन अब सिलेण्डर नहीं भरा रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- 15 महीने में कितने परिवारों को गैस का कनेक्शन बंटा है?

श्री रामकुमार यादव :- ओला महंगा कर दे हो, ओला वापस करे बर खोजत हावए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रकार से वह पूरी योजना बंद हो गई। अभी तो इनका जो भी काम चल रहा है, केन्द्र सरकार जो पैसा दे रही है उसी से ये काम चला रहे हैं नहीं तो इनकी स्थिति तो यह बन गई है कि तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं रहेगा।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये केन्द्र सरकार का पैसा नहीं, लोकधन है और लोकधन में किसी केन्द्र सरकार या राज्य सरकार का हक नहीं है। ये जनता का पैसा है जो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- वर्ष 2004 से 2014 तक केन्द्र के मनमोहन सिंह जी ने भेदभाव नहीं किया, तब आपकी सरकार भी चलती थी।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शैलेष पाण्डे :- शिवरतन भईया, 1800 करोड़ रूपये जी.एस.टी.का नहीं दिया। माननीय मोदी जी को आप एक पत्र लिखिये कि हमारे प्रदेश की खुशहाली के लिए 1800 करोड़ रूपये दिये जाएं, वह हमारी जनता का टैक्स है। जनता की मेहनत की कमाई है।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये घमण्ड इनको 14 सीटों में ले आया।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बार-बार एक विषय आता है। माननीय मोहन मरकाम जी बोल रहे थे कि आपकी सरकार पक्षपात करती थी। हमारी सरकार पक्षपात नहीं करती। 14 महीनें में आपने पूरे प्रदेश में कितने नये काम शुरू किये हैं आप यह बता दीजिए ?14 महीने में पी.डब्ल्यू. डी. विभाग में, जल संसाधन विभाग के माननीय मंत्री जी बैठे हैं। आपने कितने नये कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है, जरा आप बता दीजिए ? जो पुराने काम चल रहे हैं वही पुराने काम चल रहे हैं और माननीय डॉ. विनय जायसवाल जी जिस एक्सप्रेस हाईवे की बात कर रहे हैं। निर्माण में गड़बड़ी हुई, गड़बड़ करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए विधान सभा में प्रश्न इधर से लगा था और आपके मंत्री जी 14 महीने तक उस पर कार्यवाही नहीं किये। विधान सभा में हुल्लड़ होने के बाद, ये मामला उठने के बाद सरकार ने कार्यवाही नहीं की।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- आपकी सरकार रहने के दौरान तुर्काडीह पुल पर आवागमन बंद कर दिया गया था, उस पर कोई कार्यवाही आप लोगों ने नहीं की थी। ..(व्यवधान) ..

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हमारी सरकार ने डी.के.एस. के ऊपर में दामाद कल्याण स्कीम जो इनका अस्पताल था, उसके ऊपर कार्यवाही की थी तो ये बदलापुर-बदलापुर बोल रहे थे। आज जब सरकार पूरी जॉंच के बाद कार्यवाही कर रही है तो ये बोल रहे हैं कि हमारे प्रश्न के ऊपर कार्यवाही हो रही है। आप लोगों ने जो 15 साल में किया है, उसको जनता भुगती है, आप लोग 14 में आ गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- विनय जायसवाल जी, आप आगे बोलेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- जायसवाल जी, आपके बदलापुर की कार्यवाही का एक उदाहरण मैंने सदन में थोड़ी देर पहले माननीय अध्यक्ष जी के सामने रखा था।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- बदला शुरू कहां से हुआ, वह तो थोड़ा बताईये। बदला लेने की शुरूआत कहां से हुई है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आई.टी. ने कार्यवाही की, दिल्ली की टीम आई हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी, उधर ध्यान मत दीजिए। रश्मि जी आपको भी बोलना है न।

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी तरफ देखकर बोल रहा हूं। इनके बोलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉ. विनय जायसवाल जी बदलापुर की जो बात कर रहे हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले सदन के सामने बात रखी थी कि आई.टी. के अधिकारी आये हैं, उनकी गाड़ियां पुलिस ने जब्ती

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

की है। न चालान काटा गया और न उन गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- आपको कौन सूचना दिया है ? क्या आपको आई.टी वाले बताये हैं, आपके पास मदद मांगने आये थे ?

श्री शैलेश पांडे :- क्या आपको दिल्ली से फोन आया है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया को उठाकर देख लें, उसमें ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। माननीय उपाध्यक्ष जी, किसानों की खूब बात करते हैं। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को याद होगा इनके जन-घोषणा पत्र में धान खरीदने के साथ-साथ किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा और थी कि डॉ. रमन सिंह की सरकार ने जो दो वर्ष को बोनस नहीं दिया है, उस बोनस को हम देंगे। इस सरकार का 2019-20 का चौथा बजट है, मेरे ख्याल से सरकार बनने के बाद 2018 में एक अनुपूरक बजट और पेश कर चुके हैं। 5 बजट आ गये। वह दो साल का बोनस कहॉ गया जो आप देने की बात कर रहे थे ?

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- शिवरतन भैया, जन-जन में चर्चा है, भूपेश है तो भरोसा है। जनता के विश्वास के कारण ही नगरपालिका, जिला पंचायत, जनपद पंचायत में कांग्रेस की सरकार बनी है। अगर आप लोग केन्द्र सरकार की इतनी प्रशंसा करते जा रहे हैं तो आप लोगों से एक बात का निवेदन करना चाहूंगा कि चलिये आप केन्द्र सरकार से 2100 रुपये के समर्थन मूल्य के लिए मांग करिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- इनने 5 बजट प्रस्तुत कर दिये। एक मुख्य बजट आ गया, 3 तारीख को दूसरा मुख्य बजट आ जायेगा, उनके 4 अनुपूरक बजट आ गये, इन 4 बजटों में दो साल के बोनस के लिए क्या प्रावधान किया है, यह जरा बता दें। हमारी भी ज्ञान वृद्धि हो जायेगी। माननीय अमरजीत जी, आईये, मैं आपकी ही चर्चा कर रहा था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कहते हैं वह करना नहीं है, खाली हम किसानों के लिए कर रहे हैं, खाली यही घोषणा एक साल से चल रही है। नगरीय निकाय चुनाव की सफलता की बात करते हैं, अगर नगरीय निकाय चुनाव लड़ना था तो यदि हिम्मत थी तो प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव लड़ना था, आप लोग डर क्यों गये ? प्रत्यक्ष प्रणाली से भय था।

श्री विकास उपाध्याय :- आपकी सरकार थी तब भी हम 75 प्रतिशत नगर परिषद में हम लोग चुनाव जीतते थे।

श्री शिवरतन शर्मा :- लोकसभा का परिणाम देख चुके थे कि सूपड़ा साफ हो जायेगा, इसलिए परिवर्तन किया गया, प्रत्यक्ष प्रणाली को हटा करके, अत्यप्रक्ष प्रणाली से चुनाव कराये गये।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- इससे पहले 3 तीन बार जो सूपड़ा साफ हुआ, उस पर भी बात कर लीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार निकम्मी सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। यह सरकार प्रदेश की राशि का दुरूपयोग कर रही है, इस सरकार को खर्च करने के लिए किसी प्रकार

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

की राशि नहीं देना चाहिए। इन अनुपूरक मांगों का विरोध करते हुए मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- शिवरतन शर्मा जी, दूसरों की बात में खिंचने की आपको बहुत बड़ी बीमारी है। मैं बोल रहा हूं अगर अंगूर नहीं मिला तो बोल दो खट्टा है। आप लोग चुनाव में हार गये तो बोल रहे हैं कि अप्रत्यक्ष प्रणाली किये हैं इसलिए हम हार गये।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या है श्री अमरजीत जी आपकी पीड़ा को हम सब जानते हैं । आपके मंत्री बनने के बाद भी आपकी क्या गति है इससे पूरा विपक्ष वाकिफ है । हम सभी आपके लिये यह शुभकामनाएं दे सकते हैं कि आपका भविष्य अच्छा रहे, आपकी अधिकारी सुनें ।

उपाध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी, आप अभी उनकी चिंता व्यक्त मत करिए ।

श्री मोहन मरकाम :- भैया, हमारे मंत्री जी की तूती बोलती है ।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह (तखतपुर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2019-20 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों के समर्थन में बोलने की आपसे अनुमति चाहते हुए इस अनुमति को प्रदान करने के लिये धन्यवाद ज्ञापित करती हूं ।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि विदित है कि इस मांग में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त एक हजार छः सौ पच्चीस करोड़, पैंसठ लाख, इकसठ हजार, छः सौ रूपये की अनुपूरक राशि की उम्मीद की गयी है । मुझे तखतपुर विधानसभा के विधायक होने के नाते आशा ही नहीं विश्वास है कि इस अनुपूरक के उपरांत आने वाले वर्ष 2020-21 के मुख्य बजट में मेरी विधानसभा तखतपुर में इस वर्ष की गयी घोषणाओं में जैसे राजस्व के अनुविभाग, एस.डी.एम. कार्यालय की स्थापना, गर्ल्स कॉलेज, सकरी में नवीन कॉलेज, कृषि महाविद्यालय इन सभी का भी समावेश आगामी बजट में होगा । मेरे क्षेत्र में प्रस्तावित नयी सड़कों, नये पंचायत भवनों, शाला भवनों, नये छोटे-बड़े बांधों के लिये, स्टॉपडेम के लिये भी धन की पर्याप्त व्यवस्था का मैं आग्रह करना चाहूंगी । मैं अपने इस समर्थन में अभी-अभी वक्तव्य दिये हुए श्री शिवरतन शर्मा जी की बात का उल्लेख करना चाहूंगी कि वे बार-बार धान खरीदी की चर्चा करते हैं और उसका उल्लेख करते हैं तो मैं कहना चाहूंगी कि किसानों के लिये जितना हमारी सरकार, श्री भूपेश भैया की सरकार ने सोचा है इतना कभी किसी 20 वर्ष की पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं सोचा था । मैं इस बात का उदाहरण देना चाहूंगी कि इस समर्थन का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारे विधानसभा ने जनघोषणा के अनुरूप किसानों ने हमें विजयी बनाया । हमारे 68 विधायक कांग्रेस दल के चुनकर आये और लोकसभा की वे चर्चा करते हैं लेकिन उसके उपरांत अभी जो नगर-निगमों के, नगर-पालिकाओं के चुनाव हुए उसमें भी पार्षदों की जीत हुई । अधिकांश नगर-पालिकाओं में कांग्रेस का अध्यक्ष-उपाध्यक्ष बना। सभी 10 नगर-निगमों में कांग्रेस के मेयर पदासीन हुए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि ये किसानों की बात करते हैं तो मैं कहना चाहूंगी कि पंचायत चुनाव के दौरान ही धान की खरीदी हो रही थी अगर किसानों में असंतोष होता तो उस दौरान होने वाले निर्वाचन में हमारे इतने-इतने जिला पंचायत सदस्यों का जीतना कैसे संभव होता ? सभी जगह के जिला पंचायतों के अध्यक्ष उसी दौरान चुने गये हैं जिस दौरान धान की खरीदी होती रही । ये मुद्दाविहीन हो गये हैं, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं रह गये हैं तो ये इस तरह की बात कर रहे हैं । मैं विपक्षियों से आग्रह करना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ के हित की बात करें, केंद्र की सरकार से जाकर भले ही गोपनीय तरीके से जायें लेकिन केंद्र सरकार के पास जाकर यह कहें कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की बहुत भद्द पीट रही है क्योंकि वह हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार हमारी छत्तीसगढ़ की जनता के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं । ये बार-बार उल्लेख करते हैं तो मैं उनके समय का कहना चाहूंगी कि जब केंद्र में वर्ष 2004 से 2014 तक माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब इस तरह के भेद उस सरकार ने नहीं किये थे जिसे वे अपनी सफलता कहते हैं । निश्चिततौर पर मैं सत्ताधारी दल के अपने कांग्रेस के सहयोगियों से अपेक्षा रखना चाहूंगी कि हमको किसानों के बीच जाकर इस बात का बार-बार उल्लेख करना चाहिए कि हमको वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक केंद्र की श्री मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जो नहीं किया था वह व्यवहार आज श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं जिसके कारण छत्तीसगढ़ का बार-बार जो उल्लेख करते हैं वह सारी वाहवाही चूंकि मैं माननीय भूपेश भैया की बहुत-बहुत प्रशंसा करना चाहूंगी कि सर्वप्रथम किसानों की बात रखी गयी है । इन बातों से ऐसा एहसास होता है कि चित भी मेरा, पट भी मेरा, अंटी...आगे आप समझदार हैं चूंकि आप सभी इस मुहावरे को जानते हैं । यह धान खरीदी की बात करके किसानों का आप हित नहीं सोच रहे हैं भी कहते हैं और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि मूलभूत सुविधाओं के लिये बजट में उल्लेख नहीं किया जा रहा है । आप सच्चे छत्तीसगढ़िया हैं तो छत्तीसगढ़ के बजट में मिलने वाले जो धन की कटौती केंद्र से की जा रही है । हम सबको पता है कि जीएसटी का पैसा कितना रूला-रूलाकर छत्तीसगढ़ को दिया गया है । छत्तीसगढ़ में अपार धन संपदा है, खनिज संपदा है इन सबसे जो जीएसटी में, केंद्र में राजस्व जाने लग गया । जब इनकी सरकार थी तब जीएसटी में इस बात का विरोध होना चाहिए था । जब जीएसटी में ये सारे प्रस्ताव जुड़ रहे थे तब जीएसटी में इस बात का विरोध होना चाहिए था कि छत्तीसगढ़ को भविष्य में आर्थिक नुकसान होगा। आज अगर बजट में इस तरह की बात कहते हैं तो इनके लिए खेद का विषय है । धान खरीदी में जैसा अभी अभी माननीय सदस्य ने कहा कि 19 हजार किसानों के धान की खरीदी अभी भी नहीं हो पाई है । आज के समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने जो टोकन प्राप्त किसानों के धान की खरीदी की घोषणा की, ये उसका क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं । मुझे इस बात का दुख है कि विपक्ष केवल समाचार पत्रों तक सीमित हो गया है । इनका पूरा ध्यान में सदन में चलने वाल कार्यवाहियों में भी केवल समाचार पत्रों में छपने वाले विषयों में ही सीमित हो गया है । इन्हें ऐसा न करके, वास्तव में इन्हें जनता के हितों का

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

ध्यान रखना चाहिए । जितने किसानों का टोकन कटा है उन सबके धान की खरीदी हो जाएगी । मैं आग्रह करना चाहूंगी कि उसके बाद ही धान खरीदी पर चर्चा करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा । मैं अनुपूरक बजट के विषय में कहना चाहूंगी कि अनुपूरक बजट में कृषि यंत्रों में कृषकों के लिए अनुदान की व्यवस्था इस बजट में उल्लेखित की गई है । चना प्रदाय के लिए, अन्त्योदय अन्न योजना के बारे में भी मांग की गई है । पेयजल के लिए भी इसमें धन की व्यवस्था है । उपाध्यक्ष महोदय, जल योजना के संभावित प्रस्तावों में मेरी विधान सभा क्षेत्र तखतपुर में भी गर्मी के दिनों में घोर जल संकट हो जाता है, इसलिए मेरा आग्रह है कि मेरे क्षेत्र के भी ग्रामों में सम्पूर्ण जल व्यवस्था के लिए इसमें उल्लेख किया जाए । जिस ओलावृष्टि की बात विपक्षियों ने बार-बार की है । मैं इस संबंध में बताना चाहूंगी कि सदन में बार-बार इस विषय में चर्चा हो रही थी तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए भी इस अनुपूरक में 200 करोड़ का प्रावधान है । प्रदेश के 96 विकासखंडों में फूड पार्क हेतु जमीन चिन्हांकित की जा चुकी है । फूड पार्क की स्थापना के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है । बिजली बिल हाफ के लिए भी इस अनुपूरक में व्यवस्था की गई है, इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि घोषणा पत्र की बात बार-बार की जाती है, घोषणा पत्र में 400 यूनिट तक आने वाले बिजली के बिल के लिए उपभोक्ता को आधा ही भुगतान करना होगा । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए धन की व्यवस्था की गई है और अनुसूचित जाति की केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए 20 करोड़ की व्यवस्था की गई है । मैं इस अनुपूरक बजट के समर्थन में अपना वक्तव्य समाप्त करती हूं, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद् ।

श्री देवव्रत सिंह (खैरागढ़) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत तृतीय अनुपूरक अनुमान पर चर्चा चल रही है । उपाध्यक्ष जी, माननीय रविन्द्र चौबे जी बैठे हैं आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि तृतीय अनुपूरक अनुमान में एक ऐसी मांग की स्वीकृति माननीय भूपेश बघेल जी ने की है जो लगभग 50-60-70 वर्षों से हमारे क्षेत्र की मांग थी । एक आमनेर नदी है आमनेर नदी पर ग्राम कामठा और बिजलदेही के लिए लगभग 70-80 वर्षों से एक वृहद पुल की मांग होती रही । बीच में 1996-98 में माननीय दिग्विजय सिंह जी ने वहां पर एक कॉजवे स्वीकृत किया था । लेकिन लगातर उस नदी में पानी रहने के कारण लगभग 60 से ज्यादा गांव के लोग राजनांदगांव और दुर्ग जिला नहीं पहुंच पाते थे । उपाध्यक्ष जी, तृतीय अनुपूरक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 11 करोड़ का प्रावधान किया है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा । उपाध्यक्ष जी, तृतीय अनुपूरक अनुमान मुख्य रूप से ऐसे प्रावधान जो शासन कर चुका होता है या शासन ने जिसकी घोषणा की होती है और जिसका पूर्व से बजट में प्रावधान नहीं होता उसे अनुपूरक के रूप में मुख्य बजट से पहले लाया जाता है और मैं समझता हूं कि इसमें से कुछ मांगें निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं । विद्युत उपभोक्ताओं को उनके बिल के भुगतान के लिए जो प्रावधान किया गया है इससे निश्चित रूप से हमारे बिजली बोर्ड को इससे सहायता मिलेगी । प्रधानमंत्री सहज बिजली योजना का ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उपयोग है । इसमें मैचिंग ग्रांट राज्य सरकार को देनी है, उसकी भी व्यवस्था की गई है । प्रधानमंत्री फसल बीमा के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति भी इसमें की जा रही है । मैं माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इसमें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का प्रावधान तो किया है। विगत वर्ष आपके और मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मेरे विधान सभा में छुईदान में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गई, लेकिन आज उस महाविद्यालय को अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है। पदों का निर्माण हो चुका है, लेकिन आज भी बहुत सारी मूलभूत आवश्यकताएं छुईदान के कृषि महाविद्यालय में है। आने वाले मुख्य बजट में कृषि महाविद्यालय छुईदान को उसका लाभ मिल सके, इसका आप निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। मैं माननीय कृषि मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम लोग लगातार इस बात को उठा रहे थे कि जो हमारे डेयरी के संचालक लोग हैं, जो दुग्ध व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन्हें एक बड़ी परेशानी यह होती थी कि उन्हें दुग्ध परिवहन का पैसा नहीं मिलता था और यह बात मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी के पास आने के बाद पहली बार लगभग 776 करोड़ रूपये का पुराना पेमेंट है, उसका भुगतान तृतीय अनुपूरक के माध्यम से किया जा रहा है। निश्चित रूप से डेयरी संचालकों के लिए एक बड़ी राहत का विषय होगा। मैं आपके माध्यम से शासन का और माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि शासन का एक फ्लेगशीप प्रोग्राम है-नरवा, घुरवा, गरवा और बाड़ी। हम सब चाहते हैं कि जिस कार्यक्रम की पूरे विश्व में सराहना हो रही है। अमेरिका में भी काफी बातें इसके संबंध में हुई, इस कार्यक्रम को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे प्रावधान हमें बजट के माध्यम से और नियमों के माध्यम से करना पड़ेगा। आज अगर एक विधायक के रूप में विधायक निधि से हम इस कार्यक्रम के लिए पैसा देना चाहते हैं तो कलेक्टर की यह परेशानी है कि जो विधायक निधि के प्रावधान है, उसमें अभी तक इस कार्यक्रम को शामिल नहीं किया गया है। एक मुख्य समस्या जो आने वाले समय में आने वाली है कि हम लोगों ने जो चारागान विकसित करने की बात की थी, वह अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि उसके लिए कोई वित्तीय प्रावधान नहीं हो पा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से विनती करना चाहूंगा कि जो पंचायतों को राशि मिलती है, जो 14वें वित्त आयोग की राशि मिलती है, उसमें विधायक निधि डी.एम.एफ. आदि में इस बात का प्रावधान होना चाहिए कि हमारे यहां जो गौठान बनाये हैं, उन गौठानों में जो हमारी लक्ष्मी माता को रखते हैं, उनके लिए चारे का इंतजाम और चारे की तैयारी गर्मी के लिए नहीं हो पायेगा तो बहुत सारी मुश्किलें आयेंगी और इसके लिए पंचायती राज संस्थाओं में अलग से वित्तीय राशि दिया जाना चाहिए, जहां-जहां भी गौठान स्वीकृत हुए हैं, ताकि कम से कम सुचारू रूप से वहां गौठान चलाया जा सके। मैं माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि फसल बीमा का जो लाभ है और उसका जो दायरा है, वह अभी तक बहुत सारे जिलों में स्वविवेक से हुआ करता था, लेकिन प्रभारी मंत्री जी माननीय मोहम्मद अकबर जी के निर्देश के बाद हम लोगों ने एक प्रयोग किया। अभी रबी की फसल के लिए

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

राजनांदगांव जिले में आधे से अधिक रकबे का अनिवार्य रूप से बीमा कराया गया है और आज अगर वह बीमा नहीं होता तो जैसे अन्य जिलों में आज भी किसान परेशान हैं कि ओलावृष्टि वगैरह: में कहीं कोई राहत राशि मिलने की गुंजाइश नहीं लग रही है तो कम से कम मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मौसम का रूख बार-बार बदलता है, जिस प्रकार से हम खरीफ की फसल के लिए अनिवार्य बीमा करते हैं। मुझे लगता है कि रबी की फसल के लिए भी अनिवार्य बीमा किसानों के लिए किया जाना चाहिए था। ताकि शासन कम से कम इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं हों तो उनकी मदद कर सके। वैसे तो बहुत सारी बातें मैं मुख्य बजट में कहना चाहूंगा, लेकिन माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा। कल भी मैंने दो-तीन पहले इस बात को कहा था कि धान खरीदी के विषय में राज्य शासन को एक लंबे समय की योजना बनानी चाहिए। मुझे लगता है कि धान खरीदी छत्तीसगढ़ में एक ऐसा विषय बन गया है कि धान खरीदी में शासन का बजट इतना ज्यादा इनवाल्व हो जाता है कि दूसरी सारी योजनाएं लगभग बंद होने के कगार पर पहुंच गई हैं। इस विषय पर अगर हम गंभीरता से बात नहीं करेंगे तो हर साल धान का रकबा बढ़ता चला जायेगा और धान के रकबे के साथ हम किसानों को टाइम पर पैसा नहीं दे पायेंगे तो उसे कहीं न कहीं नुकसान होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि एक नया मॉडल, एक पायलट प्रोजेक्ट हमें बनानी चाहिए। जब नरवा, घुरवा, बाड़ी के माध्यम से हम जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ जिले जैसे-राजनांदगांव, धमतरी, बालोद, भाटापारा, बेमेतरा, ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहां धान का बड़ा रकबा उत्पादन होता है और वहां पर सिंचाई के संसाधन होने के कारण धान का उत्पादन अच्छा होता है। मैं यह कहना चाहूंगा कि शासन 2500 रूपये क्विंटल में धान खरीदती है। शासन एक योजना बनाए। पायलट प्रोजेक्ट कुछ विकासखंडों के लिए बनाये, उसमें अगर सुगंधित धान की वैरायटी जैविक रूप में अगर सरकार प्रोत्साहित करती है और किसान खरीदता है तो शासन का काम है कि 2750 रूपये में खरीदेंगे। मैं आपको बतना चाहूंगा कि मैं लगभग 80 से 90 एकड़ में सुगंधित धान की खेती करता हूं ।

समय :
2:40 बजे

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं लगभग 80 से 90 एकड़ में सुगंधित धान की खेती करता हूं और जैविक पद्धत्ति से खेती करता हूं। जब हम चावल को बेचते हैं तो लगभग 75 रूपये से लेकर 90 रूपये किलो तक चावल को बेचने में सफल हो जाते हैं। मुझे लगता है कि यदि हम मण्डी एक्ट में छोटा सा प्रावधान करें, कुछ विकासखण्ड, कुछ तहसील, कुछ मण्डी क्षेत्र को मण्डी एक्ट से हटाकर सीधे रूप से दिल्ली, मुम्बई की बड़ी प्रायवेट कम्पनियां हैं, जो आर्गेनिक धान या चावल

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

खरीदती है, उनको सीधे खरीदने का अधिकार दे दें। अगर हम 2750 रूपये, 2800 रूपये प्रति क्विंटल भी धान का दर निर्धारित करेंगे, तो निश्चित रूप से किसान वहां पर जैविक धान लगायेगा और बाहर के जो लोग हैं, यहां आकर जैविक धान को खरीदेंगे भी। यदि हम चाहते हैं कि किसान आत्मनिर्भर बने, यदि धान वाला किसान है तो किसान की शासन पर निर्भरता है, वह धीरे-धीरे क्रमानुसार आने वाले 10 वर्षों में समाप्त करनी पड़ेगी। हम अभी जो धान पैदा करते हैं, चाहे उसकी अरवा मीलिंग हो, चाहे उसकी उसना मीलिंग हो, छत्तीसगढ़ में धान की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है कि बाहर उसके चावल का रेट आये। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि धान के सम्बन्ध में सरकार को एक बड़ी योजना बनानी पड़ेगी। अथवा राज्य सरकार का पूरा बजट धान खरीदने में निकल जायेगा। हमको किसानों के लिए एक विकल्प पैदा करना पड़ेगा कि यदि किसान जैविक धान पैदा करते हैं तो सरकार उसको 2800 रूपये क्विंटल में खरीदे। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि यदि आप मण्डी एक्ट में संशोधन करेंगे तो देश-विदेशन की बड़ी-बड़ी प्रायवेट कम्पनियां हैं, जो आर्गेनिक चावल बनवाती हैं, वे आकर सीधे किसानों से डायरेक्ट आपकी सहमति से समिति में आकर 03 हजार रूपये क्विंटल में खरीदने को तैयार रहेंगे। मुझे लगता है कि प्रायवेट सेक्टर जब तक धान खरीदी में इनवाल्व नहीं होगा और जब तक सरकार की निर्भरता समाप्त नहीं होगी तब तक राज्य शासन का बजट आगे जा नहीं सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस बात को कहना चाहूंगा कि धान खरीदी एक बड़ा मुद्दा है। जब तक प्रदेश सरकार की नजर धान की खेती पर पूरी तरीके से नहीं पड़ेगी, बदलाव नहीं होगा तो मैं समझता हूं कि प्रदेश का अधिकतर बजट इसी में निकल जायेगा। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शैलेश पाण्डेय (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं वर्ष 2019-2020 की तृतीय अनुपूरक अनुमान अनुदान मांग संख्या- 1,3, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 24, 28, 30, 32, 33, 34, 39, 41, 42, 54, 55, 64, 65, 71 एवं 81 का समर्थन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो अपनी इस सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत कुशलता से पिछले 15 महीने से प्रदेश को चलाया है। माननीय सभापति महोदय, आप बहुत अच्छे से यह जानते हैं कि पिछले 15 वर्षों से किस प्रकार से सरकार ने जनता के साथ अन्याय किया है। सबसे बड़ा अन्यास किसानों के साथ किया। पिछले 15 वर्षों में न जाने कितने किसानों ने आत्महत्या किया है। वे क्यों कर रहे थे ? इस बात का अहसास हमारे पूर्ववर्ती सरकार को नहीं था। उनको यह ध्यान नहीं था कि हमारे प्रदेश के जो किसान हैं, उनकी जो उपज है, उनको उसका सही मूल्य नहीं मिल पाता है। आज हम यह जानते हैं कि हमारे प्रदेश की आबादी के 70 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। गांव में रहते हैं यानि गांव में किसान रहते हैं। अगर हमारा किसान भूख है, अगर हमारा किसान परेशान है, अगर हमारा किसान त्रस्त है, तो उसके लिए सरकार

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

संवेदनशील नहीं थी। आप यह जानते हैं कि कितने किसानों ने आत्महत्याएं की। इन किसानों के आत्महत्या करने का कारण उनके उपज का उचिम मूल्य नहीं मिल पाना था। जब 2018 में चुनाव आया। कांग्रेस पार्टी ने किसानों के समर्थन में बहुत सारे आंदोलन किए, पूरे प्रदेश की जनता का विश्वास जीता। जब चुनाव आया तब आपने देखा कि उस समय ठंड का समय था, सभापति महोदय आपको याद होगा किसानों ने अपना धान रोकर लिया था, बेचने से मना कर दिया था। क्यों ? क्योंकि उनको विश्वास था जो सरकार आयेगी, वह सरकार हमारा धान खरीदेगी और उस पर भरोसा किया। जबकि उस समय हमारी सरकार नहीं थी। यानि कि पूर्ववर्ती जो सरकार थी, उसने किसानों का विश्वास खो दिया था और किसान त्रस्त थे। यह बात बिलकुल सत्य है , उसको आप स्वीकार करेंगे। । सभापति महोदय, अगर आप अनुमति देंगे तो मैं चार लाईन की कविता सुनाना चाहता हूं :

गरीबी चाहकर भी जो निवाले छू न पाई,
गरीबी चाहकर भी जो निवाले छू न पाई ।
अमीरी प्लेट में रख रोज उसको फेकती आई ।
कल फिर एक बुढ़ा मर गया गेहूं के खेतों में,
कल फिर एक बुढ़ा मर गया गेहूं के खेतों में
हजारों ऐसे भी घर हैं, जहां नवरात्रि नहीं आई ।

हमारी सरकार का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सभी सम्माननीय मंत्रियों का ये दर्द था और उन्होंने सबसे पहले घोषणा की, आप इस बात को जानते हैं, यहां पर इस बात को बोलना चाहिए या नहीं, उस वक्त हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी भी थे, उन्होंने कहा था कि अगर 10 दिनों के अंदर किसानों का कर्ज माफ नहीं किया जाएगा तो हम मुख्यमंत्री भी हटा देंगे । यह मुझे याद है और आपको भी याद होगा । जैसे ही हमारी सरकार बनी, सरकार बनते ही दो घंटे के अंदर मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, माननीय टी.एस. सिंहदेव और माननीय ताम्रध्वज साहू ने मंत्री पद की शपथ ली और सबसे पहले मंत्रिमण्डल की बैठक हुई, उसमें किसानों का ऋण माफ किया गया, किसानों को राहत दी गई, किसानों को जो वायदा किया था, वह हमारी सरकार ने पूरा किया । सभापति महोदय, मैं ये बोलने के लिए आपका संरक्षण चाहता हूं कि आप जानते हैं कि बिलासपुर में 15 वर्षों से जनता किस प्रकार से परेशान थी। पहले मैं उन बातों को रखना चाहता हूं । मुझे ऐसा लगता था कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कोई और है और बिलासपुर का मुख्यमंत्री कोई और है । जिस प्रकार से 15 वर्षों की सीवरेज परियोजना के बारे में आप जानते हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, जैसे इनको लगता था कि प्रदेश का मुख्यमंत्री अलग है, बिलासपुर का मुख्यमंत्री अलग है। अभी भी उनको वही लगता है कि वहां का विधायक कोई और है, वहां के विधायक पाण्डेय जी नही हैं ।

श्री शैलेश पाण्डे :- आपको अनुमति है, आप बीच-बीच में बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है । जिस प्रकार से सीवरेज परियोजना लाई गई । चूंकि अनुपूरक बजट का सवाल है, मैं अपने क्षेत्र की जनता का दर्द बताना चाहता हूं कि अनुपूरक तो छोड़िए, बिलासपुर के क्षेत्र में मूल बजट का पैसा भी नहीं जाता था । जो बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाकर वहां के लिए लाई जाती थी, पुरानी सरकार पता नहीं क्या सोचकर बिलासपुर के लिए योजना बनाती थी, जनता को ध्यान में रखकर योजना बनाती थी या किसी नेता को ध्यान में रखकर योजना बनाती थी, यह बात मुझे समझ में नहीं आई । सीवरेज परियोजना को 10-11 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी सीवरेज परियोजना पूरी नहीं हुई । जब वह योजना आई थी तो 193 करोड़ की योजना थी, उसके बाद वह 423 करोड़ तक पहुंचा दी गई । इतना बड़ा चेंज आया । उसके पीछे क्या हुआ होगा, आप समझ सकते हैं । पूरे शहर को खोद दिया गया, पूरा शहर खोदापुर बना दिया गया । सड़कें धंसने लगीं, उसमें लगभग 18 लोगों की जानें भी गईं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा ।

श्री सौरभ सिंह:- महाराज, अमृत मिशन का भी बहुत बड़ा गड्डा है, उसको भी बता दीजिए ।

श्री शैलेश पाण्डे :- मैं उसमें भी आ रहा हूं ।

सभापति महोदय :- शैलेश जी, थोड़ा संक्षेप करें, दो मिनट में समाप्त करें ।

श्री शैलेश पाण्डे :- सभापति महोदय, आपका संरक्षण चाहता हूं । हम नये विधायकों को संरक्षित नहीं करेंगे तो हम लोग कहां जाएंगे ।

सभापति महोदय :- दो मिनट बोलिए ।

श्री शैलेश पाण्डे :- अभी तो मैंने शुरूआत की है ।

सभापति महोदय :- आप 7 मिनट बोल चुके हैं ।

श्री शैलेश पाण्डे :- मैं जल्दी-जल्दी बोलता हूं । सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो हाल सीवरेज का था, वही हाल अरपा का भी किया गया । अरपा के लिए 2828 करोड़ की परियोजना बनाई गई, वह केवल कागजों में चलता रहा । अरपा को खोदा जाता रहा, अरपा बरबाद हो गई, मृतप्राय हो गई, कुछ नहीं हुआ और उसके कारण बिलासपुर में पानी के लिए हाहाकार हो गया । मुझे इस सदन में कहते हुए बड़ी लज्जा आ रही है, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि जब मैं विधायक बना, तब हमारे नगर निगम के पास चार बोर कराने का भी पैसा नहीं था, ये स्थिति थी । 12 बोर पी.एच.ई. विभाग के थे और 10 बोर का पैसा एस.ई.सी.एल. ने दिया था, तब हम बिलासपुर की जनता को पानी पिला पाए थे । यह स्थिति थी । पैसा कहां जाता है, किसको दिया जाता है, क्या उपयोग किया जाता है, यह मैं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पुरानी सरकार के समय की बातें बता रहा हूं, अभी की सरकार की बातें आपको पता है । सबसे बड़ी समस्या यही थी, आपने पिछली विधान सभा सत्र में देखा, जल आवर्धन योजना को लेकर मैंने सवाल उठाया था । जिसमें जनता को पानी पिलाने के लिए 16 टंकिया बनाई गई, उसमें 100 करोड़ रूपये का बजट था । 10 साल होने के बाद भी वह टंकिया हैण्डओव्हर नहीं की गई । एक बूंद पानी जनता को नहीं मिला । पिछली बार आपको याद होगा कि माननीय मंत्री जी ने सस्पेंड किया था । बिलासपुर की जो स्थिति है, सभापति महोदय बहुत ही इंम्पार्टेंट बात है, आप भी सुनिये । एक बात और बताना चाहता हूँ कि नगर में सरकारी जो स्कूल हैं, 15 साल में वह भी बंद करवा दिये गये । बिलासपुर शहर के सरकारी स्कूल बंद हो गये । वहां बच्चे पढने नहीं जाते थे, इस स्थिति में सरकारी स्कूलों को, शहर के सरकारी स्कूलों को, ला दिया गया था । यह कितनी बड़ी बात है । मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार है...।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये समाप्त करिये ।

श्री शैलेष पाण्डेय :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी जो सरकार है, वह अच्छे कार्यों में पैसा खर्च कर रही है । मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ कि चकरभाठा के एअरपोर्ट को लेकर....।

श्री अजय चन्द्राकर :- 100 रूपया दिये है ।

श्री शैलेष पाण्डेय :- 100 रूपया अभी दिया है, लेकिन माननीय चन्द्राकर जी आज भुगतान थोड़ी करना है । भुगतान जब करना है तो मूल बजट में इसी महीना में पैसा आ जायेगा ।

सभापति महोदय :- डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी ।

श्री शैलेष पाण्डेय :- सर, अभी मेरा दो मिनट ।

श्री नारायण चंदेल :- क्या है, शिवरतन जी । वे कालेज चलाते हैं, पूरा एक पीरियड 40 मिनट बोलेंगे ।

श्री शैलेष पाण्डेय :- 50 मिनट । माननीय सभापति महोदय, मैं चकरभाठा के एअरपोर्ट के लिए सड़क, नाली, बिजली, नगरीय प्रशासन विभाग का 205 करोड़ का है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए, प्रदेश में आदिवासी क्षेत्र के उद्योग एवं ब्याज अनुदान के लिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए और संचार क्रांति के लिए, लोक निर्माण विभाग बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव में जो सेतु बन रहे हैं, मैं इन सभी की मांगों का समर्थन करता हूँ और आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ । मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगली बार जब मैं बोलूं, तो मुझे इससे ज्यादा समय दीजिएगा । धन्यवाद ।

डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक अनुमान बजट के विरोध में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ । यद्यपि मैंने विरोध शब्द का प्रयोग किया है । माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार भी व्यक्त करना चाहती हूँ । जब से नया राज्य

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बना है, गौरेला, मरवाही, पेण्ड्रा को जिला बनाने के लिए 20 वर्ष पुरानी एक लंबित मांग थी, उन्होंने 15 अगस्त को उसकी घोषणा की । यह हम लोगों के लिए एक आश्चर्य से कम नहीं था । अंतत: 10 फरवरी को उसका विधिवत लोकार्पण माननीय स्व. राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला जी के जन्म दिवस पर किया गया । इस बजट को मैं ध्यान से पढ़ रही थी...।

श्री मोहन मरकाम :- मैडम, आप बधाई नहीं दिये । सदन में बधाई तो दे दीजिए ।

डॉ. रेणु जोगी :- दे तो दी अभी बधाई । मैंने अभी वही तो कहा ।

सभापति महोदय :- उन्होंने धन्यवाद दिया है भई ।

डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी :- धन्यवाद और आभार भी व्यक्त किया, सब कुछ । परंतु बजट में 1 करोड़ रूपया अधिकारियों के वेतन के लिए स्वीकृत हुआ है, 25 लाख फर्नीचर की खरीदी के लिए, 1 लाख रूपये मजदूरी के उपयोग के लिए खर्च हुआ है । मैं यह कहना चाहूंगी कि पेण्ड्रा रोड एक जंक्शन का भी स्वरूप ले रहा है, लगभग 75 प्रतिशत काम पूरा हो गया है । वहां उद्योग और पर्यटन की भी अपार संभावनायें हैं । छत्तीसगढ़ सरकार चाहे अमरकंटक को विकसित करे या न करे, पूरे देश से वहां लोग नर्मदा की परिक्रमा करने के लिए या अन्य कारणों से वहां बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, मैं समझती हूँ कि पूरे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक होगी । उद्योग में जैसे मध्यप्रदेश में, पिछड़ों जिलों को, हमारे तीनों विकासखण्ड आदिवासी क्षेत्र हैं, वहां पर उद्योगों को लगाने के लिए जंक्शन भी हो गया, जिला भी हो गया और पूर्व में अंजनि ग्राम पंचायत में जो भूमि आवंटित थी वह पूरी भर गई है, वहां तरह-तरह के छोटे-मोटे उद्योग लगे हैं तो उसे विस्तारीकरण करके छूट देने की मांग है। उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा जी भी संयोग से आ गये हैं, मैं उनका ध्यान आकृष्ट करूंगी कि आप उद्योग मंत्री हैं, हमारा जो पेंड्रा जिला बना है उसके तीनों विकासखंड आदिवासी घोषित हैं। जैसे मध्यप्रदेश के जमाने में जो कि हमारा बड़ा भाई कहलाता है, उस समय आदिवासी जिलों में उद्योग लगाने में छूट दी जाती थी, पूर्व में भी जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तब छूट दी गई थी पर किन्हीं कारणों से वह छूट वापस ले ली गई है। न सिर्फ आपसे निवेदन है कि आप छूट दीजिए बल्कि उद्योग के क्षेत्रफल का विस्तारीकरण भी करें। मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि इस क्षेत्र में अच्छे अधिकारी भेजें क्योंकि बहुत से काम स्वीकृत हैं। उदाहरण स्वरूप पेंड्रा में बहुत संकरा मुख्य मार्ग है, दो-दो बायपास दोनों तरफ से स्वीकृत हैं, प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल गई है पर किन्हीं कारणोंवश वह अभी तक प्रारंभ नहीं हुए हैं। इसी प्रकार से अमरकंटक नजदीक है और वहां पर भी उसे बनाने के लिए राशि स्वीकृत हो गई है पर वह नहीं बन पाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि वहां अरपा का उद्गम स्थल भी है, सोनकुंड जो कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में आता है, सोन नदी तो पूर्व की तरफ चली जाती है, नर्मदा का भी उद्गम स्थल अमरकंटक में है और तमाम नदी नाले वहां हैं तो वहां पर एनीकट बनाया जाए। अभी हमारे राज्य में प्रमुखता से नरवा, गरूआ, घुरवा की घोषणा है तो एनीकट की जो मांग आती है उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

गरूआ से याद आया कि अंग्रेजों के जमाने से 200 एकड़ में वहां एक शासकीय पशु प्रजनन केन्द्र है। मैं चाहूंगी और वहां के लोग भी चाहते हैं कि वहां एक वेटनरी कालेज खुले। वह 200 एकड़ में है, करीब 2000 गाय, 500 के करीब अच्छी और उन्नत नस्ल की बकरियां, शाहीवाल गायें हैं जो कि बहुत देशी और हरियाणा की तरफ की भी हैं। यदि शासन के पास पैसा नहीं है और वहां निजी लोग भी उत्सुक हैं तो जिस प्रकार से देश में जयपुर में एक निजी पशु चिकित्सालय खुला है और चूंकि बिलासपुर में एक शासकीय पशु चिकित्सालय खुल चुका है तो सदन से और संबंधित विभाग के मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि अगर वह अनुमति दें तो एक प्रायवेट वेटनरी कॉलेज वहां खुल जाए।

सभापति महोदय, हमारे पेंड्रा और गौरेला दोनों जगह बड़े-बड़े भवन माननीय शुक्ला जी के समय के बने हुए हैं। जैसे पेंड्रा में तीन बड़े-बड़े भवन हैं, उपयोग एक ही का हो रहा है। वहां 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं और पता नहीं किन्हीं कारणोंवश अन्य दो का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से गौरेला में बिल्डिंग इतनी बड़ी है कि 2000 बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था है। स्टेडियम बना है और सब कुछ है पर वहां केवल 500 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो विशेष ध्यान दिया जाए। कलेक्टर तो आ गई हैं परंतु शासन का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी क्योंकि हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण भी बैठे हैं तो इस बात की अनुमति दें क्योंकि तीनों ब्लॉक आदिवासी हैं और अभी पसान की भी 40 ग्राम पंचायतें जुड़ने वाली हैं तो उनके भविष्य को देखते हुए शिक्षा की कमी वहां दूर हो सके। गौरेला और पेंड्रा में मंगल भवन और ऑडिटोरियम 75-75 लाख रूपये के स्वीकृत पड़े हैं परंतु वह भी नहीं बन पा रहे हैं। मेरा कहने का अर्थ कि अतिरिक्त खर्च किए बगैर जो-जो काम स्वीकृत हैं ।

सभापति महोदय :- संक्षेप कर लें।

डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी :- अतिरिक्त खर्च किये बगैर जो-जो काम स्वीकृत हैं, अच्छे सक्षम अधिकारी भेजें और उस क्षेत्र का विकास करे। भले ही आपने एक ही करोड़ रूपये की राशि दी है। वहां की जो प्रमुख समस्या है, अभी तक वहां एस.डी.एम. बैठते थे। जाति प्रमाण पत्र बनाने में बहुत लोगों को दिक्कत होती है। खासकर वहां पर एक हार्टिकल्चर कॉलेज है। जहां फ्री में पढ़ने के लिये दो बैगा सीट है। दस साल से वह रिक्त जा रही है। क्योंकि बैगा लोगों का प्रमाण पत्र ही नहीं बन पा रहा है। पिछली सरकार के समय भी मैंने यह बात प्रमुखता से उठाई थी। क्योंकि बैगा जनजाति के लोग कवर्धा, बिलासपुर, तखतपुर में शायद थोड़े से हैं, मरवाही क्षेत्र में है। कवर्धा में, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी का क्षेत्र था तो उन्होंने उनको सर्टिफिकेट देना शुरू किया था। हमारे क्षेत्र में भी 10 साल से दो सीटें फ्री की है, वह व्यर्थ जा रही है। उसका जाति प्रमाण पत्र सरलता से लोगों को उपलब्ध हो सके। मेरे क्षेत्र में पहले पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का एक प्रस्ताव था। मध्यप्रदेश, अमरकंटक में क्योंकि वहां जंगल बहुत है, अचानकमार का जंगल लगा हुआ है। फारेस्ट रेंजर या अन्य वन विभाग से संबंधित छोटे कर्मचारियों का ट्रेनिंग सेंटर मध्यप्रदेश, अमरकंटक में तो कार्यरत हैं, मैं चाहती हूं कि वहां की आबो हवा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

देखकर जो अमरकंटक रोड के इस तरफ का हिस्सा है, खाली पड़ा है, विरान पड़ा है, वहां वन विभाग से संबंधित कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर खुलना चाहिए और एक बार बात उठी कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी वहां कि आबो हवा और खाली जमीन देखकर प्रारंभ किया जाये ताकि उस क्षेत्र का आर्थिक विकास भी हो सके। अंत में ज्यादा न कहते हुए मेरे और श्री धर्मजीत सिंह जी के क्षेत्र में पंडरिया और रतनपुर के बीच में एक ए.डी.बी. की रोड बन रही है। चूंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है। कोटा का कार्य एक साल से पूरी रोड खोद दी है, बनाने की योजना जरूर है, पर उसमें गतिरोध आ गया है। वहां के लोगों को चूंकि पूरी रोड खुदी हुई है, चलने और आने जाने में धूल और उबड़ काबड़ होने के कारण पर्याप्त असुविधा हो रही है, उस रोड का निर्माण जिंदल कंस्ट्रक्सन लोरमी के कोई पवन अग्रवाल जी ही हैं। पी. डब्ल्यू डी. विभाग के अधिकारी उसको शीघ्रता से बनाने का कष्ट करें। अंतिम बात के रूप में मैं कहना चाहूंगी कि पिछले कार्यकाल में विधायकों को सेरीखेड़ी में हाऊसिंग बोर्ड के द्वारा भूखंड आबंटित किये गये थे। अब चूंकि मुख्यमंत्री जी का, अधिकारियों को, मंत्रियों का, राज्यपाल जी का निवास स्थान अटल नगर नया रायपुर में बन रहा है। हम लोगों का भी, जिन विधायकों ने उसमें पंजीकृत करा के पहली किस्त जमा की है, उसे भी यदि वहीं आस पास शिफ्ट कर दिया जाये तो अच्छा रहेगा। नहीं तो पूर्व विधायक या वर्तमान में भी कुछ विधायक हैं तो आधे लोग सेरीखेड़ी में रहेंगे आधे सब वहां रहेंगे। विधानसभा का भी निर्माण वहां हो तो एक व्यवस्थित बसाहट हो सकती है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं धन्यवाद देती हूं।

सभापति महोदय :- श्री प्रकाश शक्राजीत नायक। श्री गुलाब कमरो।

श्री गुलाब कमरो (भरतपुर-सोनहट) :- माननीय सभापति महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2019-20 के तृतीय अनुपूरक अनुदान मांगों के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। निश्चित रूप से मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ का बेटा, किसान के बेटा माननीय भूपेश बघेल जी, को बधाई, धन्यवाद दूंगा। छत्तीसगढ़ की सरकार बनते ही उन्होंने पहला काम किया, वह किसानों के लिए किया। इसके लिए मैं बहुत-बहुत बधाई छत्तीसगढ़ प्रदेश की तरफ से और अपने विधान सभा की तरफ से बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से कई दिनों से चर्चा का विषय है कि किसानों के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने कुछ नहीं किया। लोग आन्दोलन पर है लोग चक्का जाम, आन्दोलन किये हैं पर निश्चित रूप से सदन के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने 15 सालों के इतिहास को बदला है और बदलने वाला देश, प्रदेश का बेटा माननीय भूपेश बघेल जी है इसके लिए मैं इसके लिए मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूँ । उन्होंने प्रदेश की सरकार बनते ही 2 घण्टे के अंदर किसानों का कर्जा माफ किया। अगर प्रदेश के किसानों के लिए 2500 रूपया क्विंटल धान का समर्थन मूल्य देने वाली सरकार है तो माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। इस बार 19 लाख किसानों का पंजीयन हुआ था जिसमें हमने 18 लाख से ज्यादा किसानों का 83 लाख मिट्रिक टन धान खरीदी किये हैं। इस बार काफी वर्षा होने के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कारण कोरिया जिले में भी कई सालों के बाद इतनी वर्षा हुई जिसके कारण से किसानों की खेती में बढ़ोत्तरी हुई। इसके कारण थोड़ी सी दिक्कत हुई। दिक्कतों के कारण किसानों को फायदा हुआ है इस पर अंतिम कोई नहीं गया। हम लोगों ने कड़ाई से किसानों का धान खरीदा। कड़ाईयों पर थोड़ी कठिनाई जरूर महसूस हुई, पर जो किसान अपना धान 1100-1300 रूपये में बेचते थे, थोड़ी सी कठिनाई महसूस होने के बाद जब उस किसान को पता चला कि यदि हम 15-20 दिन रूके और इसके बाद अगर अपना धान बेचा तो 2500 रूपये क्विंटल का दाम मिलेगा। इसलिये किसानों को बाद में लगा कि नहीं, ये हमारे हितों के लिए हुआ। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की सरकार ने तेजी से काम किया है। वह कहने के लिए नहीं है यह किसी से छुपा नहीं है इसलिए अगर इस अनुपूरक बजट में पहला किसानों के लिए काम किया, अगर मुख्यमंत्री महोदय ने प्रावधान रखा है तो फसल बीमा के लिए हमने 10 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा है। इसी के तहत आदिवासी उपयोजना के तहत हमने 31 सड़कों के निर्माण के लिए प्रावधान रखा गया है। 3 उच्च स्तरीय पुल के निर्माण के लिए प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा उच्च स्तरीय पुल पुलिया के लिए 9 पुलों के निर्माण के लिए प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही जवाहर सेतु योजना के तहत 14 पुलों के निर्माण का प्रावधान रखा गया है।

समय :
3:08 बजे

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए)

मानननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही सौभाग्य योजना के तहत छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहा था कि हम बिजली बिल हाफ करेंगे। उस घोषणा के अनुरूप हमने इस बजट में 400 यूनिट का बिजली का प्रावधान रखा है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की सरकार ने प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण के तहत पेण्ड्रा, गौरेला, मरवाही को नया जिला बनाया है, उसके लिए भी प्रावधान रखा है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने 14 महीने की सरकार में इतनी तेजी से काम किया। देश और प्रदेश की यह पहली सरकार है जिसने इतनी तेजी से काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए वहां के रहने वाले लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार एक से एक योजना लेकर आयी है। पंचायती राज को सशक्त करने के लिए छोटे-छोटे ग्राम पंचायत किये गये हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में धारा 129 के तहत जहां पर 1 हजार जनसंख्या की बाध्यता थी उसको समाप्त करते हुए प्रदेश में 704 ग्राम पंचायत बनाये गये हैं। ग्रामीण विकास के तहत ग्रामों का तेजी से विकास होगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की सरकार ने जितने भी पहले फिजूलखर्च होते थे उसमें भी कटौती की है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने यहां के रहने वाले लोगों के जीवन में बदलाव के लिए एक से एक योजना लेकर आयी है। इसी तरह हम लोगों ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक तरफ आप 15 सालों की सरकार को देख लीजिए और

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

दूसरी तरफ आप 14 महीने की सरकार ने तेजी से काम किया है। चाहे वह भगवान राम का नाम लेकर वोट मांगते थे, लेकिन इन्होंने कभी भी भगवान राम का सम्मान नहीं किया। भरतपुर विधान जीरो नंबर वन से शुरू होती है, हरचौका में भगवान राम का वन गमन हुआ था, वहां के लिए हजारो, करोड़ों रुपये की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है।

सभापति महोदय :- माननीय कमरो जी, जल्दी समाप्त करेंगे।

श्री गुलाब कमरो :- मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने तेजी से काम किया है, हमारे आदिवासी भाईयों के उत्थान के लिए, एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के उत्थान के लिए योजनायें बनाई गई हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की सरकार ने तेजी से काम किया है। चाहे वह किसानों के लिए हो या यहां के रहने वाले लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए हो। आप देख रहे होंगे, विपक्ष लगातार दो दिन से सदन नहीं चलने दे रहा है, भ्रष्टाचार, किसानों की बात करते हैं। अभी एक्सप्रेस वे सड़क की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि विधानसभा में हमने प्रश्न लगाया है। मैं शिवरतन भैया को धन्यवाद दूंगा, वह मेरे से बहुत सीनियर हैं, पर उनको बताना चाहूंगा कि इसकी शुरूआत हमने की थी। मैंने 10 बिन्दुओं में शिकायत की थी, विधायक दल में भी शिकायत की थी और पिछली बार मैंने ध्यानाकर्षण लगाया था। आपकी सरकार में सी.जी.आर.डी.सी. का गठन किया गया था, उसको आपने भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए गठन किया था। आपने क्यों बनाया?

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें। माननीय दलेश्वर साहू जी।

श्री गुलाब कमरो :- माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इन अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- माननीय सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2019-2020 के तृतीय अनुपूरक अनुदान मांगों के समर्थन में मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। हमारे पास एक साल पहले दो चुनौतियॉ हमारे सामने थीं। पहली चुनौती थी कि प्रचलित कुशासन में तत्काल रोक लगाकर जनहितकारी सरकार का सपना साकार करना, दूसरी चुनौती थी राज्य की सामाजिक, आर्थिक नीतियों को दिशा देना और किसानों के हित में काम करना। द्वितीय अनुपूरक को अध्ययन करने का बहुत कम समय मिला। पर मुझे लगा कि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने जो आवश्यक है, जो किसानों के हित में है, प्रशासन को चलाने में, समन्वय बनाने में जो बजट रखना चाहिए वह निश्चित रूप से देखने को मिला। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नवीन जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही की कार्यालय स्थापना के लिए बजट में प्रावधान रखा है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य योजना) के लिए भी बजट में प्रावधान रखा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के हित में कितनी आवश्यक है। अभी आकस्मिक रूप से ओलावृष्टि एवं बेमौसम बारिश से हुई क्षति का मामला उठा रहे थे, ऐसे दृष्टिकोण से

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमारे लिए कितनी हितकारी है। इसके लिए भी बजट का प्रावधान रखा गया है। कृषि यांत्रिकी करण मिशन के अंतर्गत बजट का प्रावधान करना, दूग्ध परिवहन को अनुदान देना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत जल जीवन मिशन योजना हेतु प्रावधान रखना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन महिलाओं के लिए कितनी हितकारी योजना है, अगर इस योजना में प्रावधानित नहीं करते, उनके लिए पैसा नहीं देते तो निश्चित रूप से इस मिशन में महिलाओं को जोड़ने में गतिरोध होता, महिलाओं का विशेष ध्यान रख करके इस बजट में प्रावधान करना, मैं मानता हूं कि यह हमारी सरकार की सोच है। राज्य मिशन के अंतर्गत प्रबंध इकाई और जिला प्रशासन प्रबंध इकाई के लिए प्रावधान रखा गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, विकासखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर व्यवस्था को सुधारने के लिए संविदा में 165 पद के लिए अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है जिससे सुचारू रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन चल सके। यह बड़ी सोच है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। आजीविका मिशन एक ऐसा मिशन है जिसमें महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना, उनके जीवनयापन को सुधारना और उनको मूलभूत सुविधायें प्रदान करना है। उनके लिए सुचारू रूप से यह जमीनी स्तर पर क्रियान्वित हो, इसके लिए संविदा में नियुक्ति के लिए अनुपूरक बजट में 165 पद का प्रावधान किया है, यह हमारे प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। दूसरा पूर्ववर्ती सरकार का कुछ खेद व्यक्त भी है कि मैं लगातार विधानसभा के माध्यम से एक आदिवासी उपयोजना एकीकृत परियोजना है, मैं माननीय सभापति महोदय जी का भी ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा । चूंकि आपका क्षेत्र अभी माड़हा क्षेत्र लघुवंचल में आता है, आदिवासी परियोजना के अंतर्गत उड़ीसा मॉडल के दर्ज में हर विकासखंड में एक-एक गोकुल ग्राम डेयरी योजना के लिये पैसा आया हुआ है और यह वर्ष 2016-17 से पैसा आया हुआ पड़ा है । यह कितना अच्छा पैसा है और आज तक इस पैसे का उपयोग नहीं हो पाया । मैं सहकारिता मंत्री जी को भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह आपके अधीन है, पैसा मांगने की जरूरत नहीं है, आपके पास पैसा आया हुआ है । पिछली सरकार कुछ नहीं कर पायी तो नहीं कर पायी, हमारे पास अभी समय है । मैं ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि उस पैसे का उपयोग करें । कितना अच्छा गोकुल ग्राम, डेयरी, एक-एक विकास के लिये, एक-एक गांव के लिये 25-25 लाख रूपये आना तो ऐसे पैसे का उपयोग होना चाहिए ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको एक और नया समाचार आपको बताना चाहूंगा कि संचालनालय कृषि द्वारा कुल मिलाकर 7 करोड़ और करीब-करीब 12 करोड़ रूपये प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के लिये एक डीपीआर बनाने के लिये हमारे पास वर्ष 2012-13 का पैसा आया हुआ है । हम लोग सिंचाई योजनाओं की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और जब हम ऐसे पैसे का यूटिलाईजेशन न करें, हम

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अपने कर्तव्य का निर्वहन न कर सकें तो यह दुर्भाग्यजनक बात है । जब हम विधानसभा में आते हैं तभी हम बात करते हैं तो ऐसे विषय को यदि थोड़ा गंभीरतापूर्वक लें ।

सभापति महोदय :- थोड़ा संक्षेप करेंगे ।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, केवल एक आखिरी बात बोलूंगा । धान खरीदी के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छा प्रावधान दिया कि सभी किसानों का धान खरीदने का पूरे स्तर पर लगा रहा लेकिन हम लोगों का भी दायित्व रहता है कि क्या इस धान खरीदी के समय कोई विधायक अपने वहां गया होगा । वहां पर जरूर प्रशासन अपने स्तर पर काम करता है, चूंकि हम लोगों को तो 5 साल में एक बार जनता के पास जाना पड़ता है, परीक्षा देना पड़ता है और जिन अधिकारी और कर्मचारियों के ऊपर हम लोग विश्वास करते हैं, वे तो एक बार परीक्षा दे दिये और 5 साल फुर्सत तो वह तो चाहे वहां चला जायेगा या यहां चला जायेगा और अगर हम 5 साल में किसी को सस्पेंड करते हैं या किसी को अगर पनिसमेंट देते हैं तो कितने परसेंट ? मैं कहता हूं कि जीरो 5 परसेंट भी हम लोग पनिशमेंट नहीं दे पाते हैं । हमें हमारे दायित्व का निर्वहन किस तरीके से करना चाहिए चूंकि हम अपने ईलाके में गये और हमें कहीं पता चला कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 2500 रूपये क्विंटल में देने के बावजूद भी हमारे लोगों में नाराजगी व्यक्त हो रही है, हमने सुगबुगाहट सुनी, उनकी नाराजगी का अवलोकन करने की कोशिश की । हम वहां पर तत्काल गये और सबसे पहले मैंने रजिस्टर मंगवाया और मैंने पूछा कि ठीक है तुमने कितना टोकन बांटा है, क्या कर रहे हो ? क्या प्राथमिक जो किसान धान बेचने के लिये आपके पास जो नक्शा-खसरा, पर्चा दिया है क्या उसका मैनअुल रजिस्टर आपने तैयार किया है कि नहीं किया है ? तो मैंने कहीं भी ऐसी सोसाईटी में कहीं एक जगह भी मुझे देखने को नहीं मिला, मैंने कहा कि आज शाम तक मैनुअल रजिस्टर किसानों के हित में बन जाना चाहिए और उसके बाद खुद किसानों को पता चल जायेगा कि हमारा टोकन कब मिलेगा । हमारा भी एक दायित्व होता है, हमारा भी एक फर्ज है ।

सभापति महोदय :- माननीय दलेश्वर जी कृपया समाप्त करेंगे ।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने व्यवस्था दी है । कुछ अधिकारी और कर्मचारियों के कारण हमारे किसान भाईयों को थोड़ी परेशानी हुई उसका खेद है और निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन घोषणा करके यह बात कही कि जायज किसान का जो मामला है, उनको जो टोकन दिया गया है निश्चित रूप से उनका धान खरीदेंगे । मैं पुन: मुख्यमंत्री जी और पूरे मंत्रिमण्डल का हृदय से आभार मानता हूं ।

सभापति महोदय :- माननीय दलेश्वर जी, आपकी विधानसभा में जुडने वाली शिवनाथ नदी पर बेंदरकट्टा-कोहका, डोंगरगांव मार्ग पर एक 13 करोड़ की पुलिया स्वीकृत हुई है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैं एक्चुल में आपको बताना चाहूंगा कि यह एक्चुअल में श्री राजेश मूणत जी की घोषणा थी । देखिये बजट में आ जाने से हम लोग बहुत प्रफुल्लित होते हैं लेकिन प्रशासकीय स्वीकृति देने में थोड़ी सी दिक्कत है । यह श्री राजेश मूणत जी की घोषणा थी, उन्होंने अपने कार्यकाल में चूंकि एक उसमें आने के बाद 2 साल का वेलिडिटी रहता है तो 2 साल में प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिली तो माननीय मुख्यमंत्री जी सांकरदहरा में गये हुए थे तो मैंने उनसे कहा कि आप घोषणा कर दीजिये तो वह तो वेलिडिटी खत्म हो गयी थी लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की ।

सभापति महोदय :- आप आभार व्यक्त कर दीजिए 13 करोड़ का है, यह बड़ी उपलब्धि है ।

श्री दलेश्वर साहू :- अब मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि अब वेलिड हो गया है । बहुत बहुत धन्यवाद् ।

समय :
3:20 बजे (अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

डॉ. विनय जायसवाल (मनेन्द्रगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तृतीय अनुपूरक बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । सबसे पहले मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने नये जिले के रूप में पेंड्रा-गौरेला को 28 वें जिले के रूप में मान्यता दी । उसी प्रकार से एक बहुत पुरानी मांग रही है कोरिया जिले में जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं आता 40 साल से पुरानी मांग है कि मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी को मिलाकर एक नये जिले का दर्जा दिया जाए । क्योंकि जिस समय शेष सरगुजा से अलग होकर कोरिया बना, उस समय मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ को बनना था लेकिन किसी वजह से मनेन्द्रगढ़ जिला नहीं बन पाया । इसलिए मैं अपनी विधान सभा के लिए मांग करूंगा कि चिरमिरी-मनेन्द्रगढ़ को मिलाकर एक नया जिला बनाया जाए ।

अध्यक्ष महोदय :- चिरमिरी और मनेन्द्रगढ़ एक ही विधान सभा क्षेत्र में हैं या अलग-अलग विधान सभा क्षेत्र में हैं ?

डॉ. विनय जायसवाल :- एक ही विधान सभा है ।

अध्यक्ष महोदय :- संयुक्त जिला बनाना है ?

डॉ. विनय जायसवाल :- जी, जैसे पेंड्रा-मरवाही-गौरेला को मिलाकर बनाया गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- उसमें तीन विधान सभा क्षेत्र शामिल है । आप एक विधान सभा क्षेत्र में एक जिला बनाने की बात कर रहे हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. विनय जायसवाल :- मैं डेढ़ विधान सभा में एक जिला बनाने की बात कर रहा हूं । जैसे अभी पेंड्रा मरवाही भी डेढ़ विधान सभा का एक जिला बना है अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- उसमें कोटा और तानाखार भी शामिल है । पढ़कर आया करें ।

डॉ. विनय जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, मैं..

अध्यक्ष महोदय :- (हंसी) चलिए, चलिए ।

डॉ. विनय जायसवाल :- मैं तृतीय अनुपूरक बजट के समर्थन में ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, वैसे उनकी मांग जायज है । सही बोल रहे हैं कि जिला मनेन्द्रगढ़ को ही बनना था, किसी कारण से छूट गया । अब छूटने के बाद आपने एक अच्छा काम किया और मुख्यमंत्री जी ने भी एक अच्छा काम किया । अब नये जिले की घोषणा शुरू हो गई तो बाकी जो सदस्य हैं, जैसे सारंगढ़ वालों को बहुत लम्बे समय से मांग चल रही है कि सारंगढ़ जिला बन जाए, वैसे ही मनेन्द्रगढ़ का चल जाए । अब अवसर आया है आपकी कृपा दृष्टि रहेगी तो बाकी लोगों को भी जिला मिल जाएगा ।

डॉ. विनय जायसवाल :- और आपकी कृपा दृष्टि तो उस क्षेत्र में वैसे भी रही है, अध्यक्ष महोदय । आप वहां के सांसद भी रहे हैं, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि यदि नये जिले की घोषणा होती है तो सबसे पहले मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी नये जिले के रूप में अस्तित्व में आए तो मनेन्द्रगढ़ के लोग आपके आभारी होंगे । अध्यक्ष महोदय, पिछले 4 दिनों से लगातार धान खरीदी को लेकर ।

अध्यक्ष महोदय :- आप दया करो धान के बारे में मत बोलो, बजट पर बोलो।

डॉ. विनय जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- हां, मैं चुप हो जाता हूं ।

डॉ. विनय जायसवाल :- पहले एक लोक धन का बंदरबांट होता था और माननीय भूपेश बघेल की सरकार में लोकधन का उपयोग होता है । इसके बारे में 4-5 प्वाइंट में अंतर बताना चाहूंगा कि लोकधन का बंदरबांट कैसे होता था ? स्कायवाक जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, इसके ऊपर लोकधन का उपयोग होता था । नया रायपुर के बारे में आज भी विशेषज्ञों का कहना है नया रायपुर को बसने में वहां पर जनसंख्या आने में लगभग 20 वर्ष लगेंगे । हमारी सरकार भी चिंतित है वह भी नया रायपुर के में बसाहट के लिए कुछ कदम उठा रही है । लेकिन पिछली सरकार ने किसानों के लिए कोई काम नहीं किया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- डॉक्टर साहब, ये मुख्यमंत्री का बंगला, राज्यपाल का बंगला, राज्यपाल का बंगला वहां पर क्यों बना रहे हो ?

डॉ. विनय जायसवाल :- आप लोगों ने वहां पर अरबो-खरबों रूपया खर्च कर दिया है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 200-300 करोड़ रूपए क्यों खर्च कर रहे हो, कोई रहने वाला नहीं है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. विनय जायसवाल :- आपने इंफ्रास्ट्रकचर डेवलप करके वहां खरबों रूपए खर्च कर दिये । उसका उपयोग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, आप रहने जाएंगे वहां पर ?

अध्यक्ष महोदय :- वहां मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष लोग जायेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कोई नहीं जाने वाला। मुख्यमंत्री को बने हुए सवा साल हो गये और सवा साल में कितने बैठके हुईं? केबिनेट की कितनी बैठकें हुई हैं। केबिनेट की पूरी बैठक घर में होती है।

डॉ. विनय जायसवाल :- मतलब बृजमोहन अग्रवाल जी इस बात को मान रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं।

श्री कवासी लखमा :- अब इसमें भी उंगली कर रहे हैं।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बृजमोहन अग्रवाल जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और हम सब उनसे सीखते हैं। खुद बृजमोहन अग्रवाल जी पूरे सदन में स्वीकार कर रहे हैं कि अरबों-खरबों रूपये उनकी सरकार ने नया रायपुर में व्यर्थ खर्च किया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, डॉ. साहब को थाना के चौकी का प्रभारी बनाये हैं।

अध्यक्ष महोदय :- किसका?

डॉ. विनय जायसवाल :- सरकार की दृष्टि होती है। सरकार का विजन होता है। आप विषय को विषयांतर मत करिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- थाना के चौकी तक में अपना प्रभारी बनाये हैं। डॉ. साहब हर चौकी में प्रभारी बने हैं।

डॉ. विनय जायसवाल :- एक विधायक कितने प्रतिनिधि बनायेगा? क्या करेगा ? यह उसका विशेषाधिकार है।

श्री अजय चन्द्राकर :- पटवारी हल्का के हिसाब से हर पटवारी विधायक प्रतिनिधि हैं डॉ. साहब के ।

डॉ. विनय जायसवाल :- आप पहले पत्र को लाकर दिखायें। मैं यह बोलना चाह रहा हूं कि सरकार की दृष्टि होती है। अभी तृतीय अनुपूरक बजट पेश हुआ है कि लोक धन का उपयोग या दुरूपयोग क्या होना चाहिए? उसके लिए किसानों को मजबूत करने का काम हमारी सरकार ने किया। राशन कार्ड का जो वितरण हुआ। सार्वभौम जो पी.डी.एस. है, उसके ऊपर हमारी सरकार ने काम किया। गुड़ और चना देने का काम किया। सुपोषण के ऊपर काम किया। पहली बार भूपेश बघेल की सरकार ने जो कुपोषित बच्चे हैं, उनको टारगेट में रखकर सीधे जो हितग्राहीमूलक कार्यक्रम हैं, उसके लिए हमारी सरकार ने काम किया। ये स्काई वॉक के ऊपर काम किये। ये नया रायपुर के ऊपर काम किये। ये चाइनीज मोबाइल बांटने का काम किये और हमारे माननीय साथी बिलासपुर को खोदकर सीवरेज की बात कर रहे थे, जिसे

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

खोदापुर कर दिये। यह काम इन्होंने किया। जबकि हमारी सरकार ने किसान के सशक्तीकरण के लिए काम किया। हमारी सरकार ने 400 यूनिट बिजली बिल हाफ करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया। बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं फिर एक बार जो मेरे विधान सभा की मांग है कि अगर नये जिले के रूप में मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी को जिला बनाया जाता है तो उसके लिए बहुत-बहुत आभारी रहेंगे। इतना बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- विकास उपाध्याय, साढ़े तीन मिनट।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, साढ़े तीन मिनट में क्या होगा ? (हंसी)

श्री विकास उपाध्याय (रायपुर पश्चिम) :- अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं वर्ष 2019-20 की तृतीय अनुपूरक बजट की मांग संख्या 12, 21, 34, 39, 65 के समर्थन में बात करना चाहता हूं। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की शुरूआत के साथ 14 महीने पहले इस सरकार की शुरूआत हुई। लगातार सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है जरूर इस प्रदेश के शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रदेश में युवा किसान सबको आगे बढ़ाने में इस सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस प्रकार से गांव खुशहाल है। शहर खुशहाल है। हर जगह सोचने का काम यह सरकार कर रही है। मैं हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अनुपूरक बजट में चाहे शक्कर को पी.डी.एस. सिस्टम से बांटने की बात की गई हो। हम लोगों ने वह समय भी देखा है और वह क्षण भी देखा है जहां राशन कार्ड के लिए लोग लाइन लगाते थे और जब राशन दुकान में राशन लेने की बात आती थी तो उन्हें राशन नहीं मिलता था। बहनों के नाम से राशन कार्ड बनाया गया था। जब बहनें अपने रोजगार को छोड़कर, दिहाड़ी को छोड़कर राशन दुकान में खड़ी होती थी तो राशन दुकान से राशन नहीं मिलता था, अब जब हमारी सरकार ने पी.डी.एस. के माध्यम से बी.पी.एल. शक्कर से लेकर राशन कार्ड तक हर सहूलियत देने का अनुपूरक बजट में प्रावधान किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। सदन में विपक्ष के बहुत सारे सदस्य बिजली बिल हाफ के विषय में बात कर रहे थे। वह भी क्षण हम लोगों ने देखा है। बिजली बिल हाफ होना मतलब उन लोगों का बिजली बिल हाफ हुआ जो लोग एक समय का बिजली बिल भी नहीं पटा पा रहे थे। एक मकान में दो कमरा, दो ट्यूब लाइट, एक टेलीविजन होता था, परंतु बिजली बिल दो हजार रूपया आता था। अब जाकर उनकी स्थितियों को पूछिए। बिजली तो सबको चाहिए। 10 हजार रूपये के एक छोटे से मकान में रहने वाले से लेकर 1 करोड़ रूपये का मकान बनाने वाले व्यक्ति को भी बिजली उसकी आवश्यकता होती है। हमारी सरकार ने बिजली बिल हाफ करने का काम किया। इस प्रदेश में सरकार ने सबसे बड़ी राहत किसी को राहत दी है तो बिजल बिल हाफ करके राहत राहत देने का काम हमारी सरकार ने किया है। विपक्ष के साथी इस बात को कह रहे थे, मैं सौरभ जी की बात सुन रहा था, माननीय बहुत सीनियर विधायक शर्मा जी की भी बात को सुन रहा था। आज लोग खुश हैं इसीलिए तो

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जनादेश हमारे साथ है। नगर पालिका परिषद, जिला परिषद, निगम परिषद में तो सौ प्रतिशत चुनाव जीतकर हम लोग आये, जनादेश हमारे साथ था। जिला पंचायत, जनपद में 70 प्रतिशत लोगों ने हमको चुनकर भेजा है। सदस्य एक तरफ बात कर रहे थे कि पहले निगम एवं परिषदों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि डायरेक्ट इलेक्शन से चुनाव जीतकर आता था। हम लोग उस समय भी 75 प्रतिशत जगहों में चुनाव जीतकर आते थे। हमारी सोच, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच जनता के साथ काम करना, कैसे उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना है, उसको लेकर है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल माननीय मुख्यमंत्री जी का राज्यपाल महोदया जी के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर धन्यवाद का भाषण सुन रहाथा। वे जितने कान्फीडेंस के साथ अपनी बात को रख रहे थे, वह कान्फीडेंस सड़क पर रहकर, लड़ाई लड़कर आता है। हम लोगों ने लाठी खाई, जेल गये। हम लोगों ने सड़क पर आम आदमी के लड़ाई को लड़ने का काम ने किया है। इसलिए इतने कान्फीडेंस के साथ इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अपनी बात को रखते हैं। जिस प्रकार से लगातार चाहे वरिष्ठ नागरिक योजना में शामिल किया गया है, यह भी अपने आप में बड़ी चीज है। जो वृद्ध लोग, वरिष्ठ लोग परिवार के सदस्य हैं, हमने उनके लिए बजट में प्रावधान रखा है। यह सरकार लगातार यह चाहती है, अभी माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी बात कह रहे थे कि नई राजधानी में कोई नहीं जायेगा। पिछली सरकार ने रायपुर राजधानी को दो हिस्सों में बांट दिया था, दो राजधानी बना दिया था। एक राजधानी वह, जहां 15 लाख लोग रहते थे, जहां हम लोग रहते थे और एक राजधानी वह, एक नई राजधानी वह जहां 6 हजार करोड़ रूपये खर्च करने के बाद भी एक आदमी वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के बाद अधिकारियों को निर्देश दिया कि वहां तुरन्त मकान बनाईये, मैं सबसे पहले वहां जाऊंगा। बृजमोहन अग्रवाल जी इस बात को कह रहे थे कि मुख्य सचिव शायद नई राजधानी में शिफ्ट हो गये हैं, अब शुरूआत हो गई है। वहां जाने की आवश्यकता है और लोग वहां जा रहे हैं। वहां उसके लिए वहां शापिंग सेन्टर के लिए बजट में प्रावधान रखा है। मैं उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मुख्य सचिव का रिटायरमेंट कब है अब और कितने दिन रहेंगे ?

श्री विकास उपाध्याय :- देखिये, इसकी शुरूआत इस सरकार की सोच है। मैं इस पूरे अनुपूरक बजट को देख रहा था। इस अनुपूरक में वह सारे काम है, जो एक आम आदमी, आखिरी आदमी का काम है। हमने इसमें कहीं कोई स्काई वाक, एक्सप्रेस वे का प्रावधान नहीं रखा है। वह एक्सप्रेस वे जिसमें करोड़ो-अरबों रूपया सरकार का लग गया और वह अभी तक आम आदमी के लिए चालू नहीं कर पा रहे हैं। कल तो यहां कार्रवाई हुई, जिसके ऊपर कार्रवाई हुई, वे तो अधिकारी थे। लेकिन इसमें जो दोषी लोग हैं, जिन लोगों ने आनन-फानन में नियम-कानून को ताक में रखकर निर्वाचन के पहले, चुनाव आचार-संहिता के पहले शुभारंभ कराया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनको भी इस कार्रवाई में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जोड़ना चाहिए। स्काईवाक एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हमने जनता के पैसे के दुरूपयोग करने की बात नहीं कही है। लेकिन पिछली सरकार ने इस प्रकार के काम किए, हम लोगों के पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। मैं जब बोलने के लिए खड़ा हुआ तो सोच रहा था कि क्या बोलूंगा। लेकिन हमारे पास बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं और विपक्ष के पास बोलने के लिए कोई बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इस अनुपूरक में बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सेवनलाल चन्द्राकर (महासुन्दर) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2019-20 के तृतीय अनुपूरक अनुमान, अनुदान मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय हेतु 1,625 करोड़ रूपये की इस अनुपूरक बजट में मांग की गई है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जनघोषणा लेकर कांग्रेस सरकार 68 सीटों के साथ इस सरकार में आई है। 15 लाख तेन्दूपत्ता के संग्राहक परिवार यहां निवासरत हैं। 15 लाख गुणा 4 करो तो 60 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक होते हैं । अगर एक तेंदूपत्ता संग्राहक 15 से 20 दिन अच्छे से मेहनत कर लें, 4 तेंदूपत्ता संग्राहक अच्छे से मेहनत कर ले तो आराम से 25 से 30 हजार रूपए साल कमा लेते हैं, जो बस्तर के आदिवासी, वनवासी भाइयों के लिए प्राणदायी राशि होती है । भूपेश बघेल जी की सरकार एक आम आदमी की सरकार है, सभी को लेकर साथ चलने वाली सरकार है । उन्होंने सबसे पहले सरकार में आते ही किसानों का कर्ज माफ किया, 25 सौ रूपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी, तेंदूपत्ता का रेट 25 सौ रूपए से 4 हजार रूपए किया । इसके पहले की सरकार को हमने देखा है कि रंगेनीलाक और कुसमीलाक में लगभग 100-150 रूपए समर्थन मूल्य में कमी कर दी गई, जिसका सीधा घाटा हमारे संग्राहकों को हुआ । कल आदरणीय अजय भैया कह रहे थे कि तेंदूपत्ता की जो समिति है, वह लघु वनोपज सहकारी समितियां घाटे में चल रही हैं । मैं चैलेंज करता हूं कि कहीं पर समितियां घाटे में नहीं चल रही हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भाजपा की सरकार थी तो बोनस का पैसा ये लोग उड़ाते रहे हैं । बोनस का त्यौहार मनाकर कई करोड़ रूपए खर्च किए । हमारी सरकार ने एक भी पैसा व्यर्थ में नहीं गंवाया, हमारी सरकार लगातार आम आदमी के लिए काम कर रही है । प्रधानमंत्री सहज बिजली योजना जिसको सौभाग्य योजना बोलते हैं, उसमें 35 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । हमारी बी.पी.एल. के भाइयों को इसका लाभ मिलेगा। घरेलू विद्युत उपभोक्ता के विद्युत देयकों के लिए 177 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । हमारी सरकार ने घोषणा की थी कि हम 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ करेंगे । ये आम आदमी के हित की बात है । पिछले कार्यकाल में हम देखते थे कि कृषि उपकरण में मार्केट में कोई स्पीयर 12 सौ रूपए में मिल रहा है तो वही स्पीयर उस विभाग में 24 सौ रूपए में मिलता था, जिसमें कहते थे कि हम 60 प्रतिशत अनुदान दे रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार किसानों के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हित के लिए काम कर रही है, जिसके लिए 2 करोड़, 87 लाख का प्रावधान किया गया है । अगर हम 25 लाख रूपए का सामान खरीदते हैं तो उसमें 10 लाख रूपए की छूट है, 15 लाख रूपए का सामान लेते हैं, उसमें 7.50 लाख रूपए की छूट है ।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी राज्य की सहभागिता लगभग बराबर रहती है चाहे रबी फसल में हो या खरीफ फसल में हो। ये भी किसानों के हित के लिए बड़े फैसलें हैं । 14वें वित्त आयोग के पैसे की बात करें तो 14वें वित्त आयोग में शहरों में पेयजल की व्यवस्था की जाएगी और सफाई की व्यवस्था की जाएगी । यह हमारे शहर के लोगों के लिए अच्छी चीज है । मैं पहले बताना चाहूंगा कि भाजपा की सरकार में, 15 सालों में किसानों के बिजली काटने की बात कही जाती थी । अगर वे रबी फसल लेंगे तो किसानों का कनेक्शन काटा दिया जाएगा । ट्यूब वेल करने की अनुमति नहीं दी जाती थी । इस प्रकार से किसानों को प्रताड़ित किया जाता था । हमारी सरकार बनते ही पूरे 27 जिले में बिजली के कनेक्शन काटने की बात नहीं की जाती और सभी जगह रबी फसल ली गई ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने जिले की बात करूंगा । राज्य सरकार ने महासमद जिले में 100 सीट के मेडिकल कॉलेज के लिए लगभग स्वीकृति दे दी है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा । मेरे विधान सभा क्षेत्र के चिरको में एक महाविद्यालय है, उसके भवन के लिए मैं बजट की मांग करता हूं । साथ ही कृषि महाविद्यालय के लिए एक और भवन की आवश्यकता है, उसके लिए भी मांग करता हूं । मैं इतना ही कहना चाहूंगा । जो अनुपूरक बजट की मांग की गई है, उसको सर्वानुमति से पारित किया जाए । आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- कौशिक जी । माननीय मुख्यमंत्री जी आ ही रहे हैं, आप अपना भाषण शुरू कर दें ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2019-2020 तृतीय अनुपूरक मांग संख्या 1, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 24, 28, 30, 32, 33, 34, 39,41, 42, 54, 55, 64, 65, 71 एवं 81 कुलमिलाकर एक हजार छै:सौ पच्चीस करोड़, पैंसठ लाख, इकसठ हजार, छ:सौ रूपये के इस अनुपूरक मांग का मैं विरोध करता हूँ । अध्यक्ष महोदय, विरोध करने का कारण है, यदि इस मांग में प्रदेश के विकास के लिए साथ ही लंबित योजनाओं को पूरा करने के लिए, साथ ही किसानों के हित में, यदि यह राशि का निर्धारण करते तो निश्चित रूप से मैं इसका समर्थन करता । पूरे अनुमान को देखेंगे, तो इस अनुदान मांग में राशि की जो व्यवस्था की गई है, न तो

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

इससे प्रदेश का भला होने वाला है, न तो इस प्रदेश में रहने वाले ढ़ाई करोड़ लोगों के भले होने की बात है । इस एक हजार छै: सौ पच्चीस करोड़ रूपये में 1346 करोड़ राजस्व व्यय के है । यदि हम पूंजीगत देखेंगे तो लगभग 138 करोड़ रूपये, यदि प्रतिशत में निकालेंगे तो 10 प्रतिशत से कम है । जहां पर राजस्व व्यय होगी और पूंजीगत व्यय नहीं होगी, निश्चित रूप से आने वाले समय में प्रदेश की क्या तस्वीर होगी और उसका दूरगामी परिणाम क्या होगा, इस अनुपूरक के माध्यम से हम सब देख सकते हैं । मैंने इसीलिए कहा कि मैं समर्थन करता, लेकिन विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि इसका कोई लाभ कि प्रदेश के जनता के हितों में जो होना चाहिये, पूंजीगत निर्माण होना चाहिये, जिसका लाभ इस प्रदेश के लोगों को मिल सके, वह दूर-दूर तक नहीं है । मैं मद क्रमांक 1 और 2 राज्य शासन द्वारा लिये गये बाजार ऋणों के उधार पर ब्याज के भुगतान हेतु कि सरकार ने जो कर्जा लिया, अब उस कर्जे को पटाने के लिए, उसके जो ब्याज है, उसका प्रावधान है । सरकार को कर्जे को पटाना नहीं है, ब्याज को पटाना है । उस ब्याज के लिए एक बड़ी राशि 7155 लाख रूपये इसमें निर्धारित की गई है । मद क्रमांक 3 से 4 देखेंगे, सामान्य भविष्य निधियों पर ब्याज भुगतान हेतु इसी प्रकार इसमें लगभग व्यवस्था की गई है । या तो जो कर्जा लिये हैं, या कर्मचारी के भविष्य निधि का पैसा उठाये हैं, उनके ब्याज की राशि का भरपाई इस अनुदान मांग के द्वारा अनुपूरक के द्वारा की गई है । उसके बाद में हम देखेंगे, वेतन का जो भुगतान होना है, क्यों उन वेतन के भुगतान के लिए व्यवस्था की गई है ? पिछले बार चुनाव में जो वाहन लगे हुये हैं, उन वाहनों का भुगतान नहीं हुआ है, उस वाहन के भुगतान के लिए है । माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे प्रदेश के लोगों को क्या लाभ होगा ? जिस प्रकार से इसमें राशि का निर्धारण हुआ है या तो ब्याज के देय के लिए राशि है या वेतन भुगतान के लिए राशि है। नये जिले के समय मैंने मंच से ही कहा था कि मुख्यमंत्री जी मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने एक नये जिले का निर्माण किया । मैंने उसमें कहा था कि उस नये जिले के निर्माण के लिए उस जिले का स्वरूप दिखाई देने लगे, उसके लिए जैसे ही कोई वित्त विभाग से संबंधित मामला आये, अनुपूरक आये, उसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए राशि का प्रावधान जरूर रखेंगे । आज मैं देख रहा हूँ, उसमें केवल उनके जो अधिकारी, कर्मचारी के जो तन्ख्वाह है और दो वाहन के लिए उसमें राशि निर्धारित की गई है। जब किसी भी जिले को बनायेंगे तो जिले को बनाने के बाद उसके भवन से लेकर यदि उसकी सारी योजना को आप आज बजट में रखेंगे तो आज बजट में रखने के बाद कम से कम 3-3.5 साल का समय लगेगा कि वहां पर जिला पूर्ण स्वरूप में दिखाई दे। मैं निश्चित रूप से अपेक्षा किया था कि शायद यह दिखाई देगा लेकिन केवल वहां पर नियुक्त कलेक्टर से लेकर जो बाकी कर्मचारी/चपराशी हैं उनके केवल वेतन देने के लिए प्रतीक के रूप में रखा गया है। इसी प्रकार से यदि हम प्रदेश के विकास के दृष्टिकोण से बात करें, पिछले लंबे समय से जब किसानों के द्वारा सिंचाई पंप के लिए आफिस में आवेदन पत्र जमा किया जाता था, तो उनको विचार करने के लिए समय नहीं लगता था, उसकी स्वीकृति मिल जाती थी और किसानों को पंप

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

का कनेक्शन मिल जाता था और उनकी सिंचाई की सुविधा प्रारंभ हो जाती थी। यदि यह भी इस बजट में रख दिया गया होता तो किसानों का भला होता। लेकिन मुझे तो आपकी दिग्विजय सिंह सरकार का समय याद आने लगा है कि मध्यप्रदेश में जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय लक्ष्य होता था, कोटा फिक्स किया जाता था कि एक साल में कितने कनेक्शन दिये जायेंगे।

श्री रविन्द्र चौबे :- आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप इतने अनुभवी हैं, अभी कलेक्ट्रेट के बारे में कहा कि केवल वेतन-भत्ते रखे गये। मुख्य बजट तो 03 मार्च को आयेगा, सारी बातें होंगी, इसमें तो टोकन ही है, आप तो समझदार हैं। ऐसा सारा सालभर का लक्ष्य रख देते? जरूरी इसलिए है कि केवल भाषण देना है इसलिए देना है? (अजय चन्द्राकर सदस्य द्वारा बोलने हेतु उठने पर) अजय जी, आप संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं, मेरा यह आशय था कि तथ्यात्मक बातें आनी चाहिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष बहुत अच्छा बोल रहे हैं, खूब अच्छा सुझाव दे रहे हैं, लेकिन मुख्य बजट में जब बातें होंगी ना तब यह आयेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपकी ओर से इतने तथ्यात्मक भाषण होते हैं कि उत्तर ही नहीं मिलता। कम से कम तथ्य मत दिलवाओ, उत्तर तो दिलवा दो।

श्री रविन्द्र चौबे :- अभी तो उत्तर आदरणीय मुख्यमंत्री जी देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी तो उनको देखेंगे, बाकी, आप भी शामिल हैं उसमें।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसीलिए इसमें बहुत लंबी-चौंड़ी बात नहीं की क्योंकि मुख्य बजट में हम पूरे प्रदेश के विकास की आपकी अवधारणा देखेंगे।

श्री रविन्द्र चौबे :- लेकिन जो आप शिवनाथ नदी और नदी किनारे उसको पूरा बताईये, वह आधा छूट गया था।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता जी को विरोध करना है इसीलिए तो बोल रहे हैं।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोध करना है इसलिए विरोध में कहना है ऐसा नहीं है।

श्री रविन्द्र चौबे :- हमारे आदरणीय नेता जी के भाषण में अभी तक एक भी विरोध नहीं है। बहुत अच्छे रचनात्मक सुझाव हैं, हम लोग आपका स्वागत करेंगे।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसीलिए कहा कि मध्यप्रदेश का समय हमको याद आने लगा कि उस समय पंप का लक्ष्य निर्धारित किया जाता था। लेकिन यह छत्तीसगढ़ में पहली बार देखने को मिला कि यहां पर किसान आवेदन लगाया है और आवेदन पत्र लगाने के बाद आप लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं कि इस साल हम 1000 देंगे, 2000 देंगे जबकि हजारों की संख्या में आपके पंप के कनेक्शन लंबित हैं। यदि पंप के कनेक्शन पेंडिंग हैं और उसका निराकरण नहीं होगा, उसके लिए

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

यदि इस बजट में आप प्रावधान नहीं रखेंगे तो आपकी पेंडेंसी बढ़ती जायेगी। इसलिए कि छत्तीसगढ़ में आज जो बिजली का उत्पादन है और जो उसकी खपत है तो मुझे नहीं लगता कि किसानों के लिए पंप में हमें इतनी कोताही बरतनी चाहिए। आपको इसे बड़े दिल से स्वीकार करना चाहिए। आप बाकी में कोताही कर दें लेकिन पंप के कनेक्शन में कटौती न करें और जो भी कनेक्शन के आवेदन आये हैं उन्हें तत्काल कनेक्शन मिले और उनके आवेदन स्वीकार करके उन किसानों को जो पंप खुदाकर रखे हुए हैं, पंप लगाकर रखे हैं, बोर खुदाकर रखे हैं केवल आपका इंतजार कर रहे हैं। ये इंतजार समाप्त होनी चाहिए और जितने पंप के लंबित आवेदन हैं, वह आवेदन तत्काल उनका निराकरण करके कनेक्शन मिलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, नौ महीने बाद में तो ले दे करके गन्ना का उनको भुगतान हुआ और भुगतान होने के बाद आज भी अंबिकापुर, कवर्धा, पंडरिया जो उनको पचास रूपये की राशि दी जाती है। वह पचास रूपये की राशि का भुगतान आज भी नहीं हुआ है। अब चौबे जी बोलेंगे कि ये आप मुख्य बजट के बाद करिए। पचास रूपये किसान को उसमें क्विंटल के हिसाब से मिलना है, वह कितनी बड़ी राशि है। छोटी-छोटी राशि है, ये सप्लीमेंट्री में नहीं होगा तो किसमें होगा ? जो प्रोत्साहन राशि है वह प्रोत्साहन राशि उनको मिल जाये। यह प्रोत्साहन राशि मिले तो निश्चित रूप से जो किसान हैं, वे उत्साहित होंगे, बड़े रकबे में गन्ने की ओर जायेंगे। आखिर आप आने वाले समय में इस बात को देखेंगे, आप कृषि मंत्री हैं, गन्ना का रकबा घटा है कि बढ़ा है। मैं आपसे इस बात को पूछूंगा। आप जिस प्रकार से काम कर रहे हैं ना तो गन्ना किसान हतोत्साहित है। गन्ना किसान हतोत्साहित होने के कारण में गन्ना का रकबा घटता जा रहा है। गन्ना का रकबा घटाने का मुख्य रूप से श्रेय इस सरकार को जा रही है। समय पर भुगतान नहीं होना, समय पर खरीदी ना होना, उनको समय पर लाभांश नहीं मिलना। यदि आप इसमें व्यवस्था किये होते तो निश्चित रूप से किसानों को प्रोत्साहन मिलता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि आपकी 2500 रूपये अंतराल की राशि हमको मुख्य बजट में पढ़ने को मिलेगा। मैं समझता हूं, अब दो साल की बोनस के लिये इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। शायद आप इसमें टोकन भी जारी कर देते कि हमने बोनस की राशि कहा है हम बोनस की राशि देंगे। आपका मुख्य बजट चला गया, पिछला सप्लीमेंट्री चला गया, बीच का सप्लीमेंट्री चल दिया, अनुपूरक चला गया, ये लास्ट अनुपूरक है। इस अनुपूरक में यदि आप उसको केवल बजटेड कर देते, प्रतीक रूप में रख देते तो किसानों को भरोसा होता कि अब हमको बोनस की भुगतान की राशि मिल जायेगी। लेकिन आपने बोनस की राशि को भी संदर्भित नहीं किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप लोगों ने घोषणा पत्र में तो बड़ी बड़ी बातें की है। यदि बड़ी-बड़ी बातें करने के बाद में जब यहां पर बात रखी जाती है तब बोलते हैं कि पांच साल के लिये है। आपके पांच साल के लिये होंगे। लेकिन आपके हर बजट में कुछ ना कुछ है। आपके जो जन घोषणा पत्र है, वह बजट में भी दिखाई देना चाहिए। आपने युवाओं के लिए इस बजट में क्या रखा है ? आपने बड़ी बड़ी बातें की है। हम युवाओं को रोजगार

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

देंगे। युवाओं को प्रशिक्षण देंगे। यदि प्रशिक्षण नहीं दिये तो हम भत्ता देंगे। आज पूरे बजट के बाद में और अनुपूरक के बाद में आप कहने की स्थिति में हैं ? एक भी जो बेरोजगार युवक हैं, उनको हम टोकन स्वरूप में भी उनके लिये निर्धारित किये हैं कि आने वाले समय में हम उनको शुरू कर सकें। आप उन दस लाख लोगों को मत दीजिए। अब तो दस लाख की संख्या बढ़ गयी है। लेकिन कम से कम कहीं ना कहीं से शुरूआत होनी चाहिए ना। आप दस लाख मत दीजिए, दस हजार की बात करिए। आप दस हजार की बात मत करिये आप दस सौ की बात तो करिए। हमने कहा है तो हम उनको देंगे। लेकिन आपके बजट में वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे जो युवा साथी इंतजार कर रहे हैं, यह जो घोषणा पत्र में सरकार के द्वारा कही गयी बातें हैं, उन कही गयी बातों का कहीं तो उल्लेख होना चाहिए। कहीं तो उम्मीद जगनी चाहिए। देने की तो बात छोड़ दीजिए, आप उम्मीद भी नहीं जगा पा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, महिलाओं को इन्होंने कहा की स्व सहायता समूह है। उनके जो कर्जे हैं उस कर्जे को हम माफ करेंगे। उस कर्जे को माफ करने के लिये तो कहीं कोई दिखाई देना चाहिए। कहीं तो बजट में उसका अंश दिखना चाहिए।

समय
03:54 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मंडावी) पीठासीन हुए।)**

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये सारी चीजों का अभाव चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, आपने किसानों के नाम पर क्या दिया है ? जो केन्द्रांश की राशि है, राज्यांश आपको देना पड़ेगा। यदि केन्द्रांश की राशि नहीं होती तो आप फसल बीमा योजना किसान का उसका भी उल्लेख नहीं मिलता। ये तो आपको इसलिए देना पड़ेगा कि केन्द्रांश की राशि है। तो आपको राज्यांश देने की आवश्यकता पड़ेगी और इसलिए आप उसको निर्धारण करके, किसानों की बात में इतिश्री नहीं कर सकते हैं। मैं किसानों की बात बोल रहा हूँ। यदि वास्तविक में किसानों के प्रति आपके मन में हमदर्दी है और उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो मैंने छोटी-छोटी बातों का जिक्र किया है। मैंने बड़ी बातों का जिक्र नहीं किया है। वह तो दिखायी देनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद में हमारे मूल बजट आएगें। मैं माननीय चौबे जी से जिस बात की चर्चा कर रहा था कि वास्तविक में आपने ये कहा है कि हम 5 सालों में सिंचाई के रकबे को बढ़ायेंगे। आप नहरें, बांध बनाईये। उस बजट में ज्यादा से ज्यादा शामिल कीजिए, जिससे किसानों की सिंचाई का रकबा बढ़ सके, लेकिन मैं एक सुझाव और आग्रह भी करना चाहता हूँ कि हमारे यहां शिवनाथ नदी से लेकर बड़ी नदियों में जो एनीकट बना हुआ है और ऐसे एनीकटों में 12 महीने पानी मिलेगा और जो पानी है, उसकी मात्रा भी कम नहीं है। हमारे यहां शिवनाथ नदी में आपके राजनांदगांव, दुर्ग, नांदघाट से लेकर शिवरीनारायण तक में एनीकट की श्रृंखला है और उस एनीकट की श्रृंखला में 12

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

महीने पानी है। यदि आप उसमें बिजली का लाईन बिछवा दीजिए, आप उसमें खम्भा लगवा दीजिए और यदि बिजली का खम्भा लगाकर तार बिछायेंगे तो हमारे जो छोटे-छोटे किसान हैं जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वहां पर दूर से लाकर बिजली का खम्भा लगवा सकें और वहां से अपने पम्प का कनेक्शन ले सकें। आज हम सब कोई देख रहे हैं कि सिंचाई के ट्यूबवेल की बात तो छोड़ दीजिए। हमने पानी टंकी बना दी है, हम पाईप लाईन बिछा दिये हैं और पानी टंकी बनाने और पाईप लाईन बिछाने के बाद में हम यदि वहां पर पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं इस कारण से गांव में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि आपका वॉटर लेवल हर साल डाऊन हो रहा है और लगातार वॉटर लेवल डाऊन होने के कारण जब एक टंकी गांव का ट्यूबवेल भरने की स्थिति में नहीं है तो सिंचाई के लिए ट्यूबवेल कराकर कितने दिनों तक हम उसका दोहन करेंगे। इसलिए जो नदियों में पानी है आपका जो बरसात का पानी है जिसको एनीकट के माध्यम से रोका गया है ऐसे तमाम् एनीकट जो नदियों में बने हुए हैं यदि आप वहां पर खम्भा लगाकर बिजली उपलब्ध करवा देंगे, बिजली का तार बिछा देंगे। मैं ऐसा समझता हूँ कि आपके जो सिंचाई के रकबे में न केवल वृद्धि होगी। बल्कि जो किसान केवल पानी के कारण से नदी के ऊपर उनका गांव और खेत है और वह देख रहे हैं, उसके पास में पानी है, लेकिन खेत तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। यदि आप इस काम को करेंगे और उनको सुविधा देंगे तो निश्चित रूप से आपका जो मिशन है कि सिंचाई के रकबे में वृद्धि हो और दूसरी जो बात है कि हम किसानों को सिंचाई के लिए मदद कर सकें, इससे किसानों को लाभ मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ में ऐसे बहुत सारे विषय हैं। हमारा आने वाला जो मूल बजट है सिंचाई के हमारे जो कार्य प्रारंभ हो गये हैं चाहे वह जलाशय, बांध या केनाल के माध्यम से हो, ऐसे सारे जो लंबित कार्य हैं यदि आप बजट में उन लंबित कार्यों को जोड़ेंगे तो बजट में उसके लिए राशि उपलब्ध करायेंगे तो निश्चित रूप से इससे किसानों का भला होगा। ये इसके माध्यम से न आपके निर्माण कार्य होने वाले हैं न कोई स्कूल भवन बनने वाले हैं। पिछले 14 महीने इस सरकार में आने के बाद में आप पूरे जिले को देखेंगे तो न कोई स्कूल भवन, अस्पताल भवन का निर्माण हो रहा, न वहां पर सिंचाई के साधन हो रहे हैं। पूरे हम साल भर का कार्यकाल देखने के बाद में यही निष्कर्ष में हैं कि जिस बात का आप उल्लेख कर रहे हैं कि इस प्रदेश को विकास की दिशा में ले जाना है तो आपके पास शिक्षा के क्षेत्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र, विकास कार्य के लिए पैसे नहीं हैं और मैं तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से बोलने वाला था कि आप कैबिनेट की बैठक लेने सतरेंगा जाने वाले थे। मैं आग्रह करने वाला था कि मुख्यमंत्री जी आप हेलीकॉप्टर के बजाय सड़क मार्ग से यहां से बिलासपुर, बिलासपुर से रतनपुर, पाली और पाली से कटघोरा और कटघोरा के बाद में आप कोरबा जाते। माननीय ननकीराम जी इतना परेशान हैं, वह पूरा चक्काजाम कर लिये लेकिन चक्काजाम करने के बाद भी वह जो सड़क खराब है, उन सड़कों का निर्माण नहीं करा पा रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- क्या है कि माननीय ननकीराम जी का दूध-भात रहता है, आप सरकार में थे तो भी वह चक्काजाम कर देते थे।

श्री ननकीराम कंवर :- महाराज, आप लोगों को तो चिंतामुक्त होना चाहिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों में गढ्ढों का पेंच रिपेयर तो हो जाये, बरसात के बाद में उसकी मरम्मत तो हो जाये। आप उसी के ए.आर. के लिए कुछ पैसा इसमें रख देते। जिन सड़कों में गढ्ढे हो गये हैं, उन सड़कों का निर्माण हो जाता, उन सड़कों के गढ्ढों की भराई हो जाती। आज जिस प्रकार से सड़कों की स्थिति बनी हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसीलिए कहा कि इस बजट में मुझे बहुत लंबा-चौडा बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वास्तविक में यदि मैं एक लाईन में इस अनुपूरक बजट के बारे में बोलूं तो केवल ब्याज की अदायगी, सरकार ने जो कर्ज लिया, केवल उसका ब्याज पटाना है, तनख्वाह के लिए पैसा देना है, जो पिछले चुनाव हुए हैं, उसके चुनाव कार्य में लगे हुए वाहनों के जो भुगतान नहीं हुए हैं, उनका भुगतान करना है और निर्माण कार्य के नाम पर देखेंगे तो शून्य है।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- नेता जी, अधिकांश कर्ज आपके मुख्यमंत्री के समय का है, कर्ज तो पटाना ही पड़ेगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- हमने उसको भी बता दिया है कि हमने एक साल में कितना कर्ज लिया है। मैं कर्ज में अभी इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मूल बजट आयेगा तो आपका कर्ज कम नहीं होगा बल्कि बढ़ने वाला है। जिस प्रकार से सरकार चल रही है, भगत जी, आप कर्ज पटाने की बात को भूल जायें, आप ब्याज ही पटायेंगे। क्योंकि 15 साल में सरकार ने जो कर्ज लिया है, आपने तो उसको एक साल में पार कर दिया। उसको मूल बजट में बात करेंगे, इसलिए कर्ज वाली बात में मैं नहीं जा रहा हूं। मैंने यह कहा कि आपकी केवल जो लेनगी है, उसकी देनदारियॉ हैं, विकास के लिए इस बजट में कोई राशि नहीं है। न किसानों का भला होगा, न युवाओं का भला होने वाला है, न महिलाओं का भला होगा, न कोई हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

समय :
4:03 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास मंहत) पीठासीन हुए)**

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2019-2020 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की चर्चा में जिन साथियों ने भाग लिया है, सर्व श्री सौरभ सिंह जी, मोहन मरकाम जी, शिवरतन शर्मा जी, श्रीमती रश्मि आशिष सिंह जी, देवव्रत सिंह जी, शैलेश पांडे जी, डॉ.रेणु अजीत जोगी जी, गुलाब कमरो जी, दलेश्वर साहू जी, डॉ. विनय जायसवाल जी, विकास उपाध्याय जी, विनोद

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सेवनलाल चन्द्राकर जी और अंत में हमारे नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक जी, मैं सभी को धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता जी बहुत अच्छी-अच्छी बात करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि वह काम राज्य सरकार का है या केन्द्र सरकार का है। कल ही उन्होंने कहा कि हमारे जवान आत्महत्या कर रहे हैं, गोली मार रहे हैं। मैंने बताया भी कि यह आई.टी.बी.पी. और सी.आर.पी.एफ. के हैं और हमने भी भारत सरकार से निवेदन किया है, अधिकारियों से कहा है। अध्यक्ष महोदय, आज भी वही बात शुरू किये। उन्होंने कहा कि सड़कों की हालत खराब है। यहां से बिलासपुर, कटघोरा और कोरबा चल दीजिए। आपने बिल्कुल सही फरमाया है। मैं आपकी बात से शत-प्रतिशत सहमत हूं। न केवल कोरबा तक बल्कि उसके आगे भी, और वहां से निकल जायें, पीछे चले जायें, बस्तर की रोड कभी खराब नहीं होती थी, वह भी खराब है। चलने में बड़ी तकलीफ होती है। अजय जी भी जानते हैं, मोहन मरकाम जी और बस्तर के लोग इससे बड़े पीड़ित हैं। लेकिन ये सारे जो मार्ग हैं, जितनी खराब सड़कें हैं, वह सब राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। जितनी हालत खराब है, वह सब राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और पिछले एक साल से कोई काम नहीं हो रहा है । हमने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात भी की और उन्होंने कहा भी लेकिन जितने भी ठेकेदार हैं या तो **Bankrupt** हो गये हैं या काम नहीं करना चाहते । अब **Bankrupt** क्यों हो गये हैं क्योंकि भारत सरकार उनको पैसा नहीं दे रही है । अब पैसा नहीं देंगे तो बैंक से उठा तो लिये हैं । सड़कों का पेमेंट नहीं होगा तो ठेकेदार **Bankrupt** नहीं होंगे तो आपसे यही निवेदन है कि चलिये किसी दिन समय लेते हैं और माननीय गडकरी साहब से मुलाकात करते हैं और जितने हमारे छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जो अधूरे पड़े हैं या जो स्वीकृत हो गये हैं, जिनका काम शुरू नहीं हुआ है या जो स्वीकृत हो गये हैं वे अधूरे पड़े हैं । अभी आपके बिलासपुर रोड के लिये तो कितनी बार माननीय उच्च न्यायालय ने इसको संज्ञान में लिया और उन्होंने निर्देश दिया तब भी नहीं बन पा रहा है तो आप यह बिल्कुल सही कह रहे हैं लेकिन गलत जगह पर आ जाते हैं । आपसे निवेदन है कि हम लोग चलें, उनसे समय लेते हैं, आप भी चलें, हम लोग भी चलें क्योंकि प्रदेश के विकास का मामला है ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- उनकी तो सुनते नहीं हैं, डांट पड़ती है ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तृतीय अनुपूरक अनुमान 2019-20 को एक नजर में रखना चाहूंगा । वर्ष 2019-20 के मुख्य बजट के कुल 95,899 करोड़, प्रथम अनुपूरक में 4341 करोड़, द्वितीय अनुपूरक में 4546 करोड़ का प्रावधान किया गया था और यह तृतीय अनुपूरक है इसमें 1625 करोड़ का प्रावधान किया गया है । कुल मिलाकर तीनों अनुपूरक मिलाकर और मुख्य बजट मिलाकर हमारा जो बजट है उसका साईज 1 लाख 6413 करोड़ का है । इसमें जो मुख्य प्रावधान है उसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रीमियम अंश के 200 करोड़, मुख्य बजट सहित 516 करोड़ का प्रावधान है । फसल बीमा की क्या स्थिति है इसके बारे में चर्चा पहले भी हो चुकी है कि किसानों का

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

फसल बीमा किया जाता है लेकिन उसका लाभ किसानों को नहीं बल्कि जो बीमा कंपनी हैं उन लोगों को ज्यादा हो रहा है तो सारे आंकड़े हैं उस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सप्लीमेंट्री बजट में हमने जो रखा है वह ट्रेक्टर और एस्ट्राबेलर के क्रय हेतु 2 करोड़ 87 लाख । चूंकि पूरे देश में इस बात की चिंता है कि हम पैरा जला देते हैं इसके कारण प्रदूषण बढ़ रहा है वैसे प्रदूषण बढ़ने के और बहुत सारे कारण है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी चिंता जाहिर की कि इसमें दिल्ली के पड़ौसी राज्यों में जो पैरा जला देते हैं उसके कारण से जो पूरा दिल्ली है उसके कारण से पूरा जो दिल्ली है वह गैस का चैंबर बन जाता है और उस बात को ध्यान में रखते हुए हम यह पैरा इकट्ठा करें और इकट्ठा करके गोठान में लायें ताकि वह जले भी मत और जमीन की उर्वरा शक्ति भी कम न हो और इसके लिये हर ब्लॉक में हम लोगों की कोशिश है कि एस्ट्राबेलर लें और इसके लिये 2 करोड़ 87 लाख का प्रावधान किया गया है ताकि पर्यावरण का बचाव हो, प्रदूषण भी न हो और जमीन की उर्वराशक्ति भी बची रहे और साथ ही आज जो मवेशी खुले में चरते हैं, उसके लिये गोठान में यदि पैरा इकट्ठा हो जाता है तो उससे बहुत सारे लाभ होंगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मुख्यमंत्री जी, इसमें एक सुझाव है कि जितने हार्वेस्टर धान की कटाई करते हैं उन सबके साथ में एक बेलर मशीन लग जाये तो बेलर मशीन की बंडलिंग हो जायेगी, पैरा जलाना बंद हो जायेगा और हमारे सब गोठानों को पैरा मिल जायेगा । यह आदेश पूर्व के शासन में हुआ था कि सभी हार्वेस्टर के साथ में बेलर मशीन लगनी चाहिए लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, उसको हम आवश्यक कर देंगे तो हमारे गोठानों के लिये चारा मिल जायेगा और चारा जलना बंद हो जायेगा और पर्यावरण भी ठीक हो जायेगा ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अच्छा सुझाव है । इसके लिये धन्यवाद । कृषि मंत्री जी इसके ऊपर निश्चित रूप से विचार करेंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, दुग्ध उत्पादकों को परिवहन अनुदान हेतु 7 करोड़ 67 लाख रूपये की राशि रखी गयी है । इसी प्रकार से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वेतन भत्ते हेतु 10 करोड़ । अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवारों के राशनकार्डधारियों को 2 किलो चना, वितरण के लिये 107 करोड़ 28 लाख मुख्य बजट सहित 278 करोड़। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी राशनकार्डधारियों को शक्कर प्रदाय हेतु 202 करोड़, 97 लाख, मुख्य बजट सहित 303 करोड़ । अभी आप गन्ने के रकबे के बारे में चिंता कर रहे थे, आपकी चिंता में हम सब सम्मिलित हैं । आखिर गन्ने का रकबा क्यों कम हो रहा है ? गन्ना उत्पादकों को पेमेंट नहीं हो रहा है । अभी स्थिति यह है कि हमारी 3 लाख क्विंटल शक्कर गोदाम में पड़ी हुई है । बाज़ार रेट कम है, अब भारत सरकार ने प्रत्येक शक्कर कारखाने के लिए कोटा फिक्स कर दिया है । आप इससे अधिक उत्पादन नहीं कर सकते, अगर ज्यादा उत्पादन करेंगे तो लायसेंस निरस्त हो जाएगा । आखिर गन्ना किसान जाएगा कहां और शक्कर कारखाने की स्थिति क्या है ? आप एक तरफ कहते हैं कि उत्पादन करो और दूसरी तरफ

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कहते हैं कि इससे ज्यादा शक्कर नहीं बना सकते । अध्यक्ष महोदय, यह केवल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है, यह पूरे देश के लिए है । यह स्थिति है, क्योंकि शक्कर का उत्पादन हो चुका है वह गोदाम में पड़ी हुई है । उनको पेमेंट करना है । अब शक्कर नहीं बिकेगी तो गन्ना किसानों को पेमेंट कैसे होगी ? शक्कर मार्केट में बिक नहीं पा रही है और सरकार को जितनी जरूरत है वह उतनी ही लेगी । ऐसी स्थिति में हमने एक रास्ता निकाला और भारत सरकार से भी निवेदन किया कि हमें एथेनॉल प्लांट के लिए अनुमति दें । इसके लिए हमें अनुदान दें, सहयोग दें ताकि गन्ने से भी एथेनॉल बनाया जा सकता है और उसके लिए किसानों को और प्रोत्साहित करें, चाहे उसको बोनस देना पड़े तो बोनस दें, लेकिन आप तो बोनस के घोर विरोधी हैं । न खुद दे पा रहे हैं और न ही हमको देने दे रहे हैं । किसान गन्ने की खेती की तरफ कैसे बढ़ेंगे, आकर्षित कैसे होंगे ? जब गन्ना सूखे मत और उत्पादन होते ही खरीदी शुरू हो जाए तब तो किसान गन्ना उत्पादन करेगा । लेकिन आपने कैप लगा दिया है, बेचने भी नहीं दे रहे हैं, बिक भी नहीं रहा है । यह स्थित गन्ने की है ।

अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 202 करोड़, बस्तर में ग्रामीण सड़क कार्यक्रम आरआरपी फेस-2 के अंतर्गत 31 ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना है । उसके लिए, अभी गृहमंत्री जी आए थे उनसे भी चर्चा हुई । हमने कहा जब हमारी सरकार थी तो एल.डब्ल्यू.ए. में जहां सड़कें बन रही हैं वहां शत-प्रतिशत ग्रांट मिलता था लेकिन आपने उसे 60/40 कर दिया है । वहां हमने यह भी कहा कि इसका निर्माण टुकड़े-टुकड़े में किया जाए, क्योंकि यदि बड़ी सड़क का ठेका दे दिया और ठेकेदार नहीं आया तो फिर वह सड़क बंद । यदि छोटे टुकड़े में निर्माण होगा और स्थानीय लोगों दे दिया जाए तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सड़क निर्माण भी हो जाएगा । यह सुझाव हमने दिया है ।

अध्यक्ष महोदय, नाबार्ड सहायता से जवाहर सेतु योजना अंतर्गत बस्तर में कुल 14 पुलों एवं सरगुजा क्षेत्र में 9 पलों का निर्माण होना है । 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ की योजना है, इसके लिए 177 करोड़, मुख्य बजट सहित 977 करोड़ । प्रधानमंत्री सहज बिजली सौभाग्य योजना हेतु 35 करोड़, जो दूरस्थ अंचल हैं जहां बिजली के तार नहीं पहुंच पाए हैं वहां हम लोगों को सोलर लाईट के माध्यम से घरों को उजाला करना है, उसके लिए एक योजना है उसमें लगातार लगे हुए हैं । नक्सली क्षेत्रों में जहां जा भी नहीं पा रहे हैं हमारी कोशिश है कि उन घरों तक भी प्रकाश पहुंचाया जाए । एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के लिए 9 करोड़, 90 लाख। एकीकृत बाल सेवा योजना बच्चों के सुपोषण की निगरानी हेतु उपकरण क्रय हेतु 15 करोड़, 40 लाख । सूक्ष्म औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु लागत पूंजी अनुदान मद में 44 करोड़, अब आप कहते हैं कि यहां कोई काम नहीं हो रहा है । सूक्ष्य औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु जो अनुदान देते हैं जो पहले बजट में 119 करोड़ था, वह समाप्त हो गया, अब 44 करोड़ और दे रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु ब्याज अनुदान के लिए 6 करोड़, 14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत नगरीय निकायों के अनुदान के लिए

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

205 करोड़, अनुसूचित जाति वर्ग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन एवं जातिगत भेदभाव के आधार पर होने वाली प्रताड़ना पर आर्थिक सहायता हेतु 20 करोड़, 76 लाख । अध्यक्ष महोदय, अब हमारे नेता जी कह रहे हैं कि केवल ब्याज ही पटाएंगे, यहां की स्थिति ठीक नहीं है । हमारे विपक्ष के साथी रोज रोना रोते हैं । मीडिया में भी कहते हैं। हाउस में भी कह रहे हैं। मैं आपको रिजर्व बैंक की जो रिपोर्ट है, उसे मैं बताना चाहूंगा। वर्ष 2019-20 का जो रिपोर्ट आया है। राज्य के कुल बजट में विकासमूलक कार्यों पर 77.8 प्रतिशत व्यय के साथ राज्य देश में प्रथम स्थान पर है नेता जी। (मेजों की थपथपाहट) राज्य के कुल ऋणदेयता जी.एस.डी.पी. पर 21.68 प्रतिशत एवं ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों पर 5.9 प्रतिशत सभी राज्यों में न्यूनतम है। (मेजों की थपथपाहट) आप जो ब्याज देने की बात कर रहे हैं, पूरे देश में जितने राज्य हैं। आपने तो एक राज्य घटा दिया। पहले 29 राज्य था और अब 28 हो गया। इन 28 राज्यों में भी अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के जो ब्याज देयता है, वह सबसे न्यून है। उसमें हम प्रथम हैं। कुल बजट में से कमिटेड व्यय मात्र 19.3 प्रतिशत है जो कि सभी राज्यों में न्यूनतम है। सामाजिक क्षेत्र पर कुल बजट में 46.1 प्रतिशत व्यय जोकि राष्ट्रीय औसत से अधिक है। जो आपका राष्ट्रीय औसत है, उससे भी अधिक सामाजिक क्षेत्र में हमारा व्यय है। हमने वित्तीय अनुशासन बनाकर रखा है। बहुत ज्यादा और न कहते हुए सभी साथियों को धन्यवाद देते हुए इस अनुपूरक बजट को सर्वसम्मति से पारित करें, ऐसी अपेक्षा करते हुए आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 24, 28, 30, 32, 33, 34, 39, 41, 42, 54, 55, 64, 65, 71, 81 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर एक हजार छः सौ पच्चीस करोड़, पैंसठ लाख, इकसठ हजार, छः सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

अनुपूरक अनुदान की मांगों पर प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

समय :
4:17 बजे

<u>शासकीय विधि विषयक कार्य</u>

<u>छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2020 (क्रमांक 1 सन् 2020)</u>

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2020 (क्रमांक 1 सन् 2020) का पुर: स्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2020 (क्रमांक 1 सन् 2020) पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2020 (क्रमांक 1 सन् 2020) पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2020 (क्रमांक 1 सन् 2020) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2020 (क्रमांक 1 सन् 2020) पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2020 (क्रमांक 1 सन् 2020) पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2020 (क्रमांक 1 सन् 2020) पर पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- अब अशासकीय संकल्प लिये जायेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :
4:20 बजे

अशासकीय संकल्प

(1) छत्तीसगढ़ में निवासरत देवार एवं बेलदार जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाना।

अध्यक्ष महोदय :- अब अशासकीय संकल्प लिये जायेंगे।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि" छत्तीसगढ़ में निवासरत देवार एवं बेलदार जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाये।"

अध्यक्ष महोदय :- अब क्यों दर्जा दिया जाए, इस पर विचार व्यक्त करें।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह संकल्प प्रस्तुत किया है कि छत्तीसगढ़ में जो विशेष जाति हैं देवार और बेलदार हैं, जिन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के लिए अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मुझे भारतीय संविधान 1950 का संशोधन अनुसूची भाग-22 के पश्चात 23 में मुझे अनुसूचित जातियों की जानकारी प्राप्त हुई है। उसमें क्रमांक-10 पर बेलदार और क्रमांक-19 पर देवार जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है। मेरी प्रमुख रूप से मांग है कि इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाये। लेकिन मेरा आपसे आग्रह इसलिए कि इनका कोई स्थाई रिकार्ड किसी भी ग्राम में नहीं मिलेगा। मेरे यहां अर्जुन्दा में देवार जाति के 20 परिवार ऐसे हैं, जिनका आज तक न तो कोई जन्म का पंजीयन है न तो मृत्यु का पंजीयन है और न ही कोई शैक्षणिक रिकार्ड है। मेरे साथ स्वयं मेरा क्लासमेट पूनाराम पढ़ा हुआ है, उसका आज तक रिकार्ड नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- पूनाराम निषाद ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- पूनाराम देवार जाति का लड़का है, जो मेरा क्लासमेट रहा है। अभी अर्जुन्दा में 7 बच्चें देवार जाति से हैं, वे भी अभी विद्या अध्ययन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप माननीय विधायक जी, मुझे एक बात बतायें वे लोग आपके गांव में रहते हैं, जब बच्चा पैदा होते हैं तो कोटवार को लिखवाते क्यों नहीं है कि बच्चा पैदा हुआ है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- वही बात है सर, उनको जानकारी नहीं हो पा रही है। शासन की जानकारी स्पष्ट रूप से उन तक नहीं पहुंच पा रही है। मुझे भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं लगातार सम्पर्क में रहा और चुनाव के पहले गांव में सर्वे किया तो उसके यहां के लगभग 7 बच्चें पढ़ रहे हैं। एक काजल नाम की लड़की 8 वीं कक्षा में पढ़ रही है, रंजीता 6वीं कक्षा पढ़ रही है, विक्की मरकाम ने जाति प्रमाण-पत्र नहीं बनने के कारण 11वीं पढ़कर छोड़ दिया है। या तो फिर उसमें ऐसा कोई संशोधन किया

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जाये। उनके प्रमाण-पत्र बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाये। क्योंकि ये घुमन्तू जाति के हैं, इनका कोई स्थाई रिकार्ड नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। जब गांव में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसमें कोटवार की ड्यूटी रहती है और कोटवार के यहां लिखा जाता है कि इसके यहां इस नंबर का बच्चा पैदा हुआ। तो वह आपके यहां दर्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी, हमर गांव मन मा रिवाज हे जब बेटा पैदा होथे तो दू ठन फटाका फोड़थे-एटम बम अउ बेटी पैदा होथे तो एक ठन फोड़थे। तो गांव के कोटवार ला पता हो जाना चाही न।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- तो ये मन गांव ले बाहिर रहथे न गा।

अध्यक्ष महोदय :- ये मन फटक्का नइ फोड़त होही न।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- नहीं, ज्यादा फोड़थे। ये मन सब ले ज्यादा फटाका फोड़थे। ये मन बहुत फटाका फोड़थे, लेकिन ये मन गांव ले बाहिर रहथे। तो पता नइ चल पाय कि इनकर इहां छट्ठी के फटाका हे या कोने दूसर खुशी के फटाका हे। तो मैं सीधा-सीधा कहना चाहू कि जेन शासकीय प्रक्रिया हे..।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, मैं उसको मजाक के शब्द में नहीं बोल रहा हूं। यह हम सब लोग की ड्यूटी है कि अपने गांव के कोटवार को, अपने साथियों के गांव के कोटवार को कहें कि ऐसे बच्चें पैदा होते हैं तब भी जाकर उसके नाम को रजिस्टर करे और उसमें इन्द्राज करें। पुलिस थाने में सूचना दें कि इनका बच्चा पैदा हुआ। तो यह धीरे-धीरे ठीक होता जायेगा। ताकि इस तरह से आने वाली कठिनाई भविष्य में न हो। यहां राजस्व मंत्री जी नहीं हैं, मैं उनसे कहूंगा कि सब कोटवारों को निर्देश दिये जायें कि गांव में जिसका भी बच्चा पैदा होता हो, वह उसको रजिस्टर करे। जैसा कि नियम है कि पुलिस थाने के रजिस्टर में दर्ज करें।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मोर ये निवेदन हे कि शासन-प्रशासन स्तर में जोन इकर मन के जाति अउ निवासी प्रमाण-पत्र बनाए के जो प्रक्रिया हे, ओला सरलीकरण किया जाए । काबर कि इकर मन के कोई स्थायी घर नहीं हे । न जाति प्रमाण-पत्र बनथे, न निवासी प्रमाण-पत्र बनथे । एमन आज भी भटकथे अउ पूरा प्रदेश में हजारों के संख्या के तादाद में हे और सबसे बड़े बात कि देवार जाति के मूल संस्कृति जोन आज देवार कर्मा के नाम से पूरा छत्तीसगढ़ के विरासत रिहिसे । मैं भी कला से जुड़े हव, ओकर सानिध्य में 20 से 25 साल तक रेहेंव । हबीर तनवीर जी के साथ, किस्मत बाई, माला बाई फिदा, रेखा देवार जेकर गान आज भी सुनथें, पूरा छत्तीसगढ़ के इतिहास में, संस्कृति में बहुत बड़े योगदान हे। आप जानत होहू ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

4:26 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए)**

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- करना का हे, ऐला बता ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- करना ये हे कि एकर संरक्षण, संवर्धन बर शासन के तरफ से एक विशेष योजना चलाए जाए काबर के ये ह घूमक्कड़ जनजाति हे, ओकर मन के कोई स्थायी रिकार्ड नहीं हे । ये मन ला शासन-प्रशासन से सहयोग मिले, चाहे एकर संस्कृति के संरक्षण बर सहयोग मिलना, चाहे आर्थिक उन्नति अउ विकास बर संरक्षण मिलना चाहिए ।

श्री सौरभ सिंह :- निषाद जी, ओला स्पष्ट बोलव की ओमा करना का हे । ओमन आलरेडी अनुसूचित जाति में हवय ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जाति में हे । अनुसूचित जनजाति में लगाए रेहेंव । मोला पूरा प्रमाण अनुसूचित जाति के हे । ठीक है, लेकिन ओकर आज भी शासन स्तर में प्रमाण-पत्र बनाए के जोन प्रक्रिया हे, ओला सरलीकरण किया जाए, ए मोर सदन से मांग हे और सरकार से यह निवेदन करना चाहहूं कि छत्तीसगढ़ के संस्कृति में देवार जाति के जोन योगदान हे, ओला संस्कृति के क्षेत्र में भी संरक्षण अउ संवर्धन मिले, अतका निवेदन करथव । माननीय संस्कृति मंत्री से मोर विशेष निवेदन हे, आग्रह हे । अमरजीत भैया, संस्कृति में देवार जाति के बहुत योगदान हे । देवार कर्मा जेन छत्तीसगढ़ में कर्मा के शुरूआत अब उद्‌भव माने जाथे तो देवार कर्मा से हे। ओकर रूंझू, चिकारा, मांदर आज गांव में सुन्ना हो गे हे, नहीं बाजय ।

उपाध्यक्ष महोदय :- निषाद जी, देवार जाति तो आदिवासी हे ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आदरणीय उपाध्यक्ष जी, अनुसूचित जाति में शामिल हे ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप मन आदिवासी कहात रेहेव, अनुसूचित जाति ला।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैं अनुसूचित जनजाति में मांग करे हंव ।

श्री धर्मजीत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, आप अभी तक तो मांग ही नहीं रहे हैं न । आप बोलो न कि इसको शामिल किया जाए ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मांगे हंव, अपन बात ला रखे हंव ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- अरे भैया हो गे न । तोर बात आ गे । जोन कहाथन तेन ला ले ले ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैं मांगे हव न भई, ताकि इकर मन के जाति प्रमाण-पत्र, निवासी प्रमाण-पत्र बने में सरलीकरण होवय । एला अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, ओकर संस्कृति के संरक्षण अउ संवर्धन किया जाए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उपाध्यक्ष महोदय :- अनुसूचित जाति ला अनुसूचित जनजाति में शामिल कइसे सम्मिलित हो जाही ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष जी, ओला मांग करन दे न ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैं मांग करथव ।

उपाध्यक्ष महोदय :- कुछ भी ठीक नहीं है न । ठीक है, मैं एकर बात नहीं कर सकव ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अनुसूचित जाति में शामिल हे, लेकिन आज भी ओला वह व्यवस्था नहीं मिलय, मैं वही बात बार-बार बोलथव, वही बात अभी भी बोलथंव।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, इसमें क्या इस प्रकार का प्रस्ताव इस सदन से हम पास कर सकते हैं ? जिनको जाति की सुविधा मिल रही है, उनको जनजाति में शामिल कर लिया जाए क्योंकि किसी को कोई सुविधा नहीं मिल रही है तो उसको जनजाति में शामिल करें, जाति में शामिल करें, यह प्रस्ताव तो हम ला सकते हैं, पर हम संविधान के अनुसार जिनका जाति में उल्लेख है, उनको क्या जनजाति में ले जा सकते हैं और क्या ऐसा प्रस्ताव विधान सभा में आ सकता है क्या ? इसके ऊपर परीक्षण करना चाहिए । मुझे लगता है कि ऐसा प्रस्ताव नहीं आ सकता । क्योंकि यह संविधान के खिलाफ है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अनुसूचित जाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करना उचित है क्या ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- उपाध्यक्ष महोदय, शामिल मत किया जाए, लेकिन मेरे कहने का आशय यह है कि उनके जो प्रमाण-पत्र बन रहे हैं, उस प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया को सरलीकरण किया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपकी यह मांग ठीक है । मैं क्या कहूं, आसंदी से व्यवस्था देना ठीक नहीं है, पर मेरे हिसाब से किसी जाति को जनजाति में शामिल करना ठीक नहीं है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का आशय यह है कि ये अभी एस.सी. में हैं तो उनको एस.सी. के बराबर सुविधाएं मिलनी चाहिए ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप कोई व्यवस्था दीजिए न। अगर प्रक्रिया में कुछ है तो व्यवस्था दीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- हां, ये ठीक है । अगर एस.सी. में हैं तो एस.सी. की सुविधा मिलनी चाहिए ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- एस.सी. की सुविधा मिलनी चाहिए, उनका प्रमाण-पत्र बनाने की प्रक्रिया में सरलीकरण किया जाए क्योंकि उसका कोई स्थायी रिकार्ड नहीं है। बस यह होनी चाहिए । मैंने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, उसको वापस लेता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, संकल्प कैसे वापस हो सकता है। संकल्प वापस लेने की भी एक प्रक्रिया है । अगर संकल्प वापस ही लेना होता तो फिर इसको लगाया क्यों था ? सदन में पूरी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए । मंत्री जी, पूरी प्रक्रिया का पालन हो जाने दो, उसके बाद वापस हो जाएगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, वापस लेने की भी एक प्रक्रिया है, अगर वापस ही नहीं होता तो इसको लगाया ही क्यों था ? सदन में पूरी प्रक्रिया का तो पालन होना चाहिये । प्रक्रिया का पालन हो जाने दो, उसके बाद वापस हो जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय :- संकल्प प्रस्तुत हुआ कि इस सदन का यह मत है कि यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि छत्तीसगढ़ में निवासरत् देवार एवं बेलदार जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि सदन का यह मत है कि यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि छत्तीसगढ़ में निवासरत् देवार एवं बेलदार जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाये । मंत्री जी कुछ ।

आदिम जति विकस मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी जाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में लाने के लिए उसमें बहुत सी प्रक्रिया निर्धारित करना पड़ता है । जांच होती है । आदिम में प्राचीन लक्षण के संकेत, कृषि संस्कृति, भौगोलिक लगाव, बड़े पैमाने पर समुदाय का संपर्क, संकोच, इत्यादि जो मापदण्ड हैं, उन सब मापदण्डों का ई.आर.आई. परीक्षण करता है, उसके बाद वहां पर भेजता है।

समय :
4:32 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुये ।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, यह संकल्प जो है, इस सदन में आ ही नहीं सकता । आपने स्वीकृति दी है, मेरा आपसे आग्रह है, यह संविधान की भावना के विरूद्ध है, जो किसी जाति में शामिल है, उसको जनजाति में शामिल करना, यह कभी भी संभव नहीं है । इसलिए भविष्य में आपसे इस बात का आग्रह है कि जब संकल्प आते हैं, संवैधानिक स्थिति क्या होती है, उसके बारे में विचार करना चाहिये । किसी सामान्य के बारे में तो हम बात कर सकते हैं, जो आलरेडी संविधान में जाति में शामिल है, वह जनजाति में कैसे शामिल होगा । यह संविधान की भावना के विरूद्ध है । ऐसे संकल्प सदन में नहीं आना चाहिये ।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष जी, अगर परमिशन हो तो इसी में दो शब्द ।

अध्यक्ष महोदय :- बाद में इनके बाद ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बेलदार और देवार पहले से ही अनुसूचित जाति के श्रेणी में हैं, क्रमांक 10 में बेलदार और 19 में देवार जाति का उल्लेख है । किसी भी जाति का दूसरे में जायेंगे तो पूरा अलग से करना पड़ेगा । जरूरी नहीं है कि फिर उसमें आ जाये । मैं समझता हूँ कि एक बार यह अनुसूचित जाति की श्रेणी में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा लिपिबद्ध है, उनकी जो सुविधायें मिलनी चाहिये, वह तो मिलेगी ही, इसकी हम व्यवस्था करेंगे । लेकिन इनको फिर से अनुसूचित जनजाति बनाना उपर्युक्त नहीं रहेगा । इसलिए आग्रह करना चाहता हूँ कि इसको वासस ले लें । जो इनको सुविधा नहीं मिली है, उसके लिए हम करेंगे ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- वही निवेदन है माननीय अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- अनुसूचित जाति का जो शासन के द्वारा प्रदत्त सुविधा है, वह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- नहीं मिल रहा है, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र आज भी नहीं बन पा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, सुविधायें नहीं मिल रही है, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो अनुसूचित जाति की सुविधा तो मिले ?

डॉ.प्रेमसायसिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वही बात कह रहा था । अनुसूचित जाति की श्रेणी में लिपिबद्ध है, उनको जो सुविधा नहीं मिल रही है, उसके लिए हम निर्देश जारी करेंगे कि उसको सुविधा मिले । इनका जाति प्रमाण पत्र बने । इनकी अन्य जो सुविधा हो सकती है, वह मिलना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय :- पूरे प्रदेश में देवार जाति हैं, बेलदार जाति हैं ?

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, देवार जाति छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, बस्तर और सरगुजा, रायगढ़ यहां पर देवार जाति निवास करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- पूरे प्रदेश में है, खासकर नाचने का काम करते हैं । गरीब लोग हैं, बाहर जाकर रहते हैं, दूसरे गांव छोड़कर जाते हैं, बांस का काम करते हैं, बहुत सारी इनकी परिस्थितियां हैं । आप एक निर्देश जारी कर दें कि ऐसे जाति के लोग जिस स्थान पर रहते हैं या घुमन्तु जाति हैं, इनको घुमन्तु जाति के रूप में लिखें, मगर इसकी जाति तो लिखें कि देवार है, अनुसूचित जाति है, जो सुविधा मिलनी चाहिये, वह सुविधा इनको दिया जाये । इस तरह से आप आदेश जारी करें।

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, आपका आदेश शिरोधार्य है । आपके आदेशानुसार हम पूरा निर्देश जारी करेंगे । जहां-जहां पर है, अनुसूचित जाति का जो भी सुविधा मिलना चाहिये, वह उनको प्रापर मिले । जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे जो भी हो । इनकी जो सुविधा मिलनी चाहिये, वह मिलनी चाहिये ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी, देवार और बेलदार जाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में कितनी है ?

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, जनसंख्या तो अभी मेरे पास नहीं है । कहां-कहां निवास करते हैं, इसकी जानकारी मेरे पास है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इसमें यही है कि- बेचारे गरीब हैं, जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, घुमन्तु हैं, ये नाचते-गाते हैं, ये अपने जीवन यापन करने के लिए कई-कई किलोमीटर तक चूहों को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और बाकी चीजों के लिए जाते हैं तो इनका जीवन बड़ा दुरूह है और इनको जो अनुसूचित जाति की जो सुविधाएं नहीं मिलती हैं उसके बारे में आपके निर्देश जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि स्पष्ट रूप से जारी हों और मेरे विचार से इनकी जनगणना भी होनी चाहिए। जैसा हमारे प्रीमिटिव ट्राईब्स हैं वैसे ही ये हमारे प्रिमिटिव कास्ट हैं।

डॉ. विनय जायसवाल:- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य गलत बोल रहे हैं, कोई भी जातीय जनगणना सेंसेस में नहीं है।

श्री सौरभ सिंह :- जो अंतिम जनगणना हुई है, एस.सी. और एस.टी. की जो जनगणना हुई है तो एस.सी. और एस.टी. की जनगणना का डाटा है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि लास्ट सेंसेस में देवार की संख्या 28 हजार है।

अध्यक्ष महोदय :- मुझे जो जानकारी है कि 1930 में जातिगत जनगणना हुई थी जिसमें पिछड़े वर्गों की भी कितनी-कितनी जातियां हैं वह दर्ज हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बारे में आज भी गणना होती है।

डॉ. विनय जायसवाल:- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ग का है, जातिगत जनगणना नहीं है।

श्री सौरभ सिंह :- एस.सी./एस.टी. की गणना होती है और देवार एस.सी. में आते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इसमें जनगणना की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहां देवार, बेलदार जाति के कितने लोग हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सरकार का संरक्षण मत करिये, इन जातियों का संरक्षण करने की बात करें।

डॉ.(श्रीमती) रश्मि आशिष सिंह :- पिछली जनगणना में जाति का कॉलम था।

अध्यक्ष महोदय :- जी हॉ, है। माननीय सदस्य श्री कुंवर सिंह निषाद ने देवार जाति एवं बेलदार जाति के प्रति जो अपनी भावना व्यक्त की है, हम सब उनकी चिन्ता के साथ हैं और माननीय कुंवर सिंह निषाद जी से कहेंगे कि वह अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मंत्री जी आग्रह करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने आग्रह कर लिया है, मैं पूछ रहा हूं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- मैंने माननीय सदस्य से आग्रह किया है कि इसे वापस ले लें।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- मैं समझा रहा हूं क्योंकि वह भी नये सदस्य हैं, इन सदस्य को भी जवाब देने नहीं आ रहा है इसलिए मैं समझा रहा हूं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अध्यक्ष महोदय, बस, मोर ऐके आग्रह रहिस कि ओ मन ला शासन स्तर पर जो सुविधा मिलना चहिए वह मिले। माननीय मंत्री जी के जवाब ले अऊ आपके मार्गदर्शन से मैं आश्वस्त हों, संतुष्ट भी हों, मैं अपन अशासकीय संकल्प ला वापस लेवथों।

अध्यक्ष महोदय :-क्या माननीय सदस्य संकल्प वापस लेने के लिए सहमत हैं?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जी हॉ, सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय :- क्या सदन इस संकल्प को वापस लेने की अनुमति देता है?

(अनुमति प्रदान की गई।)

(संकल्प वापस हुआ।)

अध्यक्ष महोदय :- अशासकीय संकल्प पर इस तरह की चर्चा नहीं होती। संभव है नए सदस्य आये हैं लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि पहली बार चर्चा हो रही है तो इस प्रक्रिया की भी जानकारी आप सबको होना चाहिए, यह मेरा निवेदन है।

(2) यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "बिलासपुर-नागपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस 12855 का स्टॉपेज भिलाई पॉवर हाऊस किया जाय।"

श्री देवेन्द्र यादव (भिलाई नगर):- मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "बिलासपुर-नागपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस 12855 का स्टॉपेज भिलाई पॉवर हाऊस किया जाय।"

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि दुर्ग से रायपुर के मध्य काफी संख्या में कारखाने, उद्योग, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग्स, स्पोर्ट्स कोचिंग और हर तरह के ऐसे प्रतिष्ठान हैं जिसके कारण भिलाई से लोग दूसरे शहरों की ओर जाते हैं और दूसरे शहरों से लोग भिलाई की ओर आते हैं और आसपास के कई जिलों से लोग आकर वहां पर नौकरी भी करते हैं, प्रशिक्षण भी लेते हैं और वहां के लोग भी आसपास के जिले में जाकर नौकरी करते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसका जो मुख्य साधन है रेलमार्ग है, जिसके माध्यम से काफी सारे लोग ट्रेवलिंग करते हैं। रेल के माध्यम से हर रोज लगभग 700-1000 की संख्या में लोग नौकरी या अन्य कामों से आना-जाना करते हैं। इसके लिए भारतीय रेल्वे ने पूरी व्यवस्था भी की है। लेकिन जो व्यवस्था है उसके बाद भी कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कमी रही है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि भारतीय रेल द्वारा बिलासपुर से नागपुर के मध्य इंटरसीटी एक्सप्रेस के नाम से यात्रीगाड़ी चलाई जाती है। जो नागपुर से

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बिलासपुर गाड़ी क्रमांक 12856 जाते समय सुबह 10:54 बजे भिलाई पावर हाऊस स्टेशन पर रूकती है। लेकिन जब वह बिलासपुर से नागपुर की ओर गाड़ी क्रमांक 12855 जाते समय..।

श्री बृहमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, इस पर भाषण की कोई जरूरत नहीं है। इसको पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- थोड़ा सा, बोलने दीजिए ना।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बस एक चीज बता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- हां बोलिये, बोलिये।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भाषण नहीं दूंगा, बस दो मिनट और लूंगा..।

अध्यक्ष महोदय :- हां लीजिए लीजिए।

श्री देवेन्द्र यादव :- अगर आप अनुमति दें तो।

अध्यक्ष महोदय :- मैं अनुमति दे रहा हूं ना। आपको पूरा अनुमति दे रहा हूं।

श्री देवेन्द्र यादव :- गाड़ी क्रमांक 12855 जाते समय 06:23 बजे वहां भिलाई पावर हाऊस स्टेशन से गुजरती है लेकिन वह वहां पर रूकती नहीं है। इस पर यह है कि...।

श्री धर्मजीत सिंह :- किधर नहीं रूकती है।

श्री देवेन्द्र यादव :- जी, जब बिलासपुर से नागपुर की ओर जाते समय नहीं रूकती है। जब नागपुर से बिलासपुर आती है तब रूकती है। इसलिए ये अति आवश्यक है। माननीय सभी सदस्य कह रहे हैं कि इसमें आप सब लोग सहमत भी हैं तो मैं इसको और बहुत ज्यादा लंबा नहीं खीचूंगा। लेकिन मेरा यह अनुरोध है कि यह अति आवश्यक है। चूंकि भिलाई से लोग कारखानों से, उद्योग से, स्पोर्ट्स से, एजुकेशन से, कल्चरल एक्टीविटीस से, हर तरह से भिलाई से जुड़े हुए हैं और भिलाई के लोग भी रायपुर और राजनांदगांव से जुड़े हुए हैं तो यह बहुत आवश्यक है। इस पर यहां विधानसभा से एक संकल्प सभी सदस्यों की सहमति से भेजा जाये जिसके कारण हम लोगों को ये सुविधा मिल सके। अगर पावर हाऊस रेलवे स्टेशन पर रूकती है तो उससे रेलवे को राजस्व में भी बढ़ोत्तरी होगी, मैं यह भी कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा, माननीय सदस्य यह बताएं बैठकर, बताईयेगा तब खड़ा होकर बताईयेगा। कितनी गाड़ियां संख्या में हैं, जो नागपुर से बिलासपुर की ओर आती है और भिलाई शहर में रूकती हैं और कितनी गाड़ियां हैं, जो बिलासपुर से नागपुर शहर की ओर जाती है और भिलाई में नहीं रूकती हैं।

श्री देवेन्द्र यादव :- मैं आपको गाड़ियों की एग्जेट संख्या नहीं बता सकता। लेकिन ऐसी कम से कम 8 से 10 ट्रेनें तो हैं जो रेगुलर ट्रैवलिंग में रहती हैं। लेकिन जो समय है, 06:23 मिनट जब बिलासपुर से नागपुर की ओर जाती है उस समय और ट्रेन नहीं है जो पावर हाऊस में रूकती है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- मैं समझ रहा हूं। मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं वह प्रश्न आपको रेलवे विभाग पूछेगा। इसलिए आप तैयारी कर लें।

श्री देवेन्द्र यादव :- जी-जी।

अध्यक्ष महोदयय :- जब ये गाड़ी 12856 बनकर भिलाई से गुजरती है तो इसमें कितने सवारी चढ़ते हैं, जो रायपुर और बिलासपुर जाते हैं। आपको पता है।

श्री देवेन्द्र यादव :- जी, इसकी मैंने एक करेक्ट जानकारी तो नहीं है लेकिन मैंने अपने सोर्सेस से जो जानकारी ली थी, दो दिन पहले की जानकारी ली थी, लगभग 400 लोगों ने वहां से टिकटें ली थी। जो मुझे वहां के स्टेशन मास्टर से अपने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके पूछा तो उन्होंने मुझे यह बताया।

अध्यक्ष महोदय :- आपने अपने भाषण में कहा है कि सात सौ से हजार लोग प्रति दिन यात्री के लिये जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- जी, मैंने दो दिन पहले की जानकारी आपको दी थी। मैंने हमेशा की नहीं, उस दिन के हिसाब से आपको जानकारी दिया है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं आपने अपने भाषण में कहा है।

श्री देवेन्द्र यादव :- जी-जी। मैंने कहा है कि सात सौ से एक हजार कहा है।

अध्यक्ष महोदय :- तो जब यह गाड़ी 12855 बनकर बिलासपुर से भिलाई की ओर आती है तो आप क्या समझते हैं कि उसमें ऐसे कितने सवारी होंगे जो उतरेंगे।

श्री देवेन्द्र यादव :- जी, काफी बड़ी संख्या में रहेंगे, क्योंकि जो पावर हाऊस रेलवे स्टेशन है, वह भिलाई, वैशाली नगर, हमारा अहिवारा विधानसभा, पाटन विधानसभा ये सभी के मध्य का है तो ये सब के लिये एक मिनी जंक्शन है। दुर्ग हमारा जो मेन रेलवे स्टेशन है, वहां से दुर्ग शहर कनेक्टिव होता है लेकिन भिलाई पावर हाऊस रेलवे स्टेशन से ये चार विधानसभा कनेक्ट होती है, वहां के लोग कनेक्ट होते हैं और जितने भी कारखाने हैं या और इंस्टीट्यूशंस हैं, वे सारे वहीं के हैं। जो हमारी शासकीय कर्मचारी जो यहां पर मंत्रालय, संचनालय या रायपुर में काम करने आते हैं, वे भी वापसी में जब उनके लिये कोई सुविधाजनक स्टेशन कहें तो वह दुर्ग स्टेशन नहीं होता, वह पावर हाऊस स्टेशन होता है, क्योंकि पावर हाऊस से उनका जो रहने का डिस्टेंस है, भले वह वैशाली नगर हो, भिलाई टाउनशिप हो, रिसाली, दुर्ग ग्रामीण विधानसभा हो या पाटन हो या अहिवारा हो, वह उनको नियरबाई रहता है और सेंटर रहता है इसलिए यह आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय :- आप भिलाई के मेयर हैं। इसके बारे में एक परीक्षण करवा लें।

श्री देवेन्द्र यादव :- जी।

अध्यक्ष महोदय :- पूरा, जैसा मैं कह रहा हूं कि 12855 पर कितने लोग आ सकते हैं और

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

12856 से कितने लोग जा सकते हैं। ये जब तक पूरी जानकारी ले लें। उसके बाद आगे लिखें तो उस पर कार्यवाही हो पाएगी।

श्री देवेन्द्र यादव :- जी। ठीक है।

अध्यक्ष महोदय :- संकल्प प्रस्तुत हुआ कि सदन का यह मत है कि यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि ''बिलासपुर-नागपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस 12855 का स्टॉपेज भिलाई पॉवर हाऊस किया जाए।''

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री देवेन्द्र यादव जी का ये संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण है । इनको ईमानदारी से संकल्प लाना था कि रायपुर से राजनांदगांव तक मेट्रो की सुविधा केन्द्र सरकार से मांगना चाहिए। भिलाई इस्पात नगरी है और रेल की जो पांत बनती है, वह भिलाई में बनती है और भिलाई का प्रमुख स्टेशन ही पॉवर हाऊस स्टेशन है। जब इधर से बिलासपुर से जाने में ट्रेन नहीं रूकती है तो उसका मतलब है कि बिलासपुर में जो बच्चे पढ़ते हैं, भिलाई में शंकरा इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां पर चंदूलाल मेडीकल कॉलेज, सेक्टर-9 का हॉस्पिटल है वगैरह-वगैरह है। इस तरह से भिलाई का अपना महत्व है और उसमें जाने के लिए बिलासपुर की तरफ से अगर वह ट्रेन आये और दो मिनट रूके तो कोई बहुत आसमान तो फटना नहीं है क्योंकि भोपाल में आप और हम सब जानते हैं कि हबीबगंज स्टेशन भी 4 किलोमीटर दूर में हैं वहां भी ट्रेन रूकती है। बिलासपुर में उसलापुर में ट्रेन रूकती है तो अगर छत्तीसगढ़ में रेल्वे की सुविधा हो जाए, वहां पर रेल्वे 2 मिनट का स्टापेज देगा तो कोई बहुत बड़ी बात रेल्वे के लिए नहीं होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर पूरे देश में सर्वाधिक आमदनी रेल्वे को कहीं से होती है तो वह छत्तीसगढ़ से होती है, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि अगर पूरे देश में सबसे ज्यादा उपेक्षित रेल्वे सर्विस कहीं है तो वह छत्तीसगढ़ में है। उसका कारण है कि ये लोग ट्रेक नहीं है दुनिया भर की बहाने बाजी करते हैं सीमेंट, कोयले, बाक्साईट और दुनिया भर की चीजों का प्रोड्क्शन यहां से होता है और उसको वे लोग मालगाड़ी से ले जाते हैं पैसा कमाते हैं रेल्वे की सुविधा नहीं है यहां ठीक से बर्थ, कोच, स्टेशन नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो पॉवर हाऊस का स्टेशन है वह बहुत ही बदतर है तो ये प्रस्ताव तो हम पास कर देंगे क्योंकि इसमें आपकी और पूरे सदन की भी रूचि है। सवाल सिर्फ प्रस्ताव पास करने से नहीं है, ये प्रस्ताव वहां जाने के बाद क्या हश्र होता है हम लोग बहुत सा प्रस्ताव देखे हुए हैं। मैं तो इसमें एक बात और आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप केन्द्रीय मंत्री रहे हैं आप तो रेल्वे और पूरे केन्द्र की सरकार की रीति-नीति को अच्छे से समझते हैं मैं आपसे और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ये प्रस्ताव तो जाये ही, लेकिन यहां पर बिलासपुर के जी.एम. और रायपुर के डी.आर.एम. को बुलाकर एक मिटिंग लेना चाहिए और न केवल पॉवर हाऊस में रेल्वे को रोकने का सुनिश्चित करना

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

चाहिए, बल्कि यहां के रेल्वे स्टेशनों का अपग्रेडशन का काम हो, रेल्वे स्टेशनों की जो सुविधाएं, कैटरिंग, परदे हैं कोच के अंदर का जो परदा, सीट है, वह अच्छी स्थिति में नहीं रहते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक किस्सा बता देता हूँ। मैं एक बार राजधानी एक्सप्रेस या संपर्क क्रांति ट्रेन में बिलासपुर से बाहर जा रहा था और जब वहां पहुंचा तो मैं उसमें सब्जी का एक डिब्बा लेकर जा रहा था, रात को उसको चूहा काट लिया। इतना बड़ा छेद हो गया। यहां की ट्रेन के डिब्बों का ये तो हाल है तो रेल्वे को भी इस बात की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए चाहे वह केन्द्र सरकार का हो या कुछ भी हो। अगर छत्तीसगढ़ की धरती में रेल चलाकर कमाई करते हो तो छत्तीसगढ़ के लोगों को सुविधा देने का काम भी रेल्वे का है और इसलिए ये प्रस्ताव तो पास होगा ही।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय धर्मजीत भईया, किस चीज को चूहा काट लिया?

श्री धर्मजीत सिंह :- सब्जी के डिब्बे को काट लिया।

श्री अमरजीत भगत :- मैं बोला कि ..।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं। बाकी कहीं कोई खतरा नहीं है आप चिंता मत करिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि -

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप जो समझ रहे हैं वह सही सलामत है।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां। (हंसी) अमरजीत जी, पहले तो रेल में ही जाते थे। आपके साथ भी कई बार घटनाएं हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे केवल यह आग्रह कर रहा हूँ कि मैं व्यक्तिगत रूप से आग्रह कर रहा हूँ कि भाई देवेन्द्र यादव मेयर, विधायक भी हैं और उस शहर के प्रथम नागरिक हैं वे, मुख्यमंत्री जी और आप डी.आर.एम. वगैरह को बुलाईये। ये लोग तो कभी कटसी में भी नहीं मिलने आते हैं। आप क्यों नहीं आएंगे? आप डी.आर.एम. हो या जी.एम. हो तो क्या भारत के राष्ट्रपति हो गये हो ? उनको यहां पर बुलाना चाहिए और अगर इस प्रदेश में उनको रेल चलाना है तो इस प्रदेश की सुविधा के लिए सोचना पड़ेगा। उनका फोर्सफुली प्रपोजल बनाकर भिजवाईये और केन्द्रीय सरकार के पास विधान सभा का अशासकीय संकल्प जाएगा, इसका अपना महत्व है, लेकिन आप कृपा करके एक बार मिटिंग बुलवा लीजिये या जब आप बिलासपुर जाते हैं तो वहीं इनको बुलवा लीजिए। वहां पर मिटिंग ले लीजिए। मेरा यही आग्रह है।

अध्यक्ष महोदय :- मेरा ये अध्यक्षीय व्यवस्था नहीं है। मगर मैं समझता हूँ कि विधान सभा में पास होने लायक, ये विषय नहीं है। बहुत छोटा विषय है। आप उसको निर्देश या यह कह रहे हैं कि डी.आर.एम. को बुलाकर कह दें, यह उसी के लायक है। दिल्ली तक भेजने लायक नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो आपसे अपनी बात कह दिया। अब जो

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

व्यवस्था में आता हो, वह आप कर लीजिए। फिर भी आपसे ये आग्रह है कि चाहे सदन में प्रस्तुत हो या वह वापस लें, लेकिन कृपा करके आप उसमें पहल कर दीजियेगा।

अध्यक्ष महोदय :- फिर भी चूंकि संकल्प आ गया है, मेरी ये मजबूरी है कि मैं माननीय मंत्री जी से उनका अभिमत लूं। इसलिए मैं माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वह अपना अभिमत दें।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभिमत ले लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष जी, मुझे इस बात की आपत्ति है कि शासन की तरफ से इस संकल्प का कोई जवाब नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय :- आयेगा न।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं आया है, बताईये कोई जवाब आयेगा ?

अध्यक्ष महोदय :- जवाब आयेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और बड़ी बात शासन की तरफ से इसको cognizance में नहीं लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- यह अशासकीय संकल्प है, जवाब आयेगा, धीरे-धीरे आता है, माननीय मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धीरे-धीरे नहीं आ रहा है। विधानसभा सचिवालय को मैनेज करना पड़ रहा है कि कौन मंत्री जवाब देगा। किसी मंत्री की जानकारी में नहीं है कि कौन मंत्री जवाब देगा। यह दुर्भाग्यजनक स्थिति है।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- सब जानकारी है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इस सरकार की बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है। मंत्री जी, इस सदन में जब हम बैठे हैं तो कम से कम हम सही बातों को, वास्तविक बातों को स्वीकार करें।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये न, आपका भी मान लेते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो मजाक हो रहा है। सदन के प्रति ऐसी अवमानना, ऐसा मजाक नहीं होना चाहिए। अगर सदन में संकल्प आया है तो उसका जवाब देने के लिए किसी को तैयार करना पड़े, यह बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति है। इसका जवाब तो परिवहन मंत्री को देना चाहिए।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- देखिये क्या है परिवहन मंत्री जी का जवाब लखमा जी देंगे और लखमा जी का जवाब परिवहन मंत्री जी देंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कवसी लखमा जी का दूध-भात है, उनके बारे में हम कुछ नहीं बोलते।

अध्यक्ष महोदय :- आप जवाब दे रहे हैं या आप जवाब दे रहे हैं ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी है और जो मंत्री है वह जवाब दे सकता है।

अध्यक्ष महोदय :- हॉं दीजिए।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बिलासपुर-नागपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस 12855 का स्टॉपेज भिलाई पॉवर हाऊस किये जाने संबंधी जो संकल्प लाया है, यह जनहित का मामला है, इसको पास करके भारत सरकार को भेजा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- सदन का यह मत है कि- यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "बिलासपुर-नागपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस 12855 का स्टॉपेज भिलाई पॉवर हाऊस किया जाये।"

संकल्प स्वीकृत हुआ।

(3) सदन का यह मत है कि "यातायात नियमों से संबंधित विषय को प्रदेश के शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाये।"

श्री शिशुपाल सोरी (कांकेर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि सदन का यह मत है कि "यातायात नियमों से संबंधित विषय को प्रदेश के शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाये।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, खासकर नौजवानों के साथ जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, अन्य कारण के साथ ही साथ एक कारण यातायात नियमों का ज्ञान न होना भी है। यातायात नियमों का ज्ञान न केवल चालकों को होना चाहिए बल्कि जो सड़क का उपयोग करते हैं, पैदल चलने वाले, साइकिल चलाने वाले, सारे लोगों को यातायात नियमों की जानकारी होनी चाहिए। यह इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इसको जब तक हम प्राथमिक शिक्षा में या मिडिल स्तर तक में न लायें, इसका जनसामान्य में पर्याप्त प्रचार-प्रसार न हो, तब तक दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहेंगी। ये एक सामान्य चिंता है, जो आम नागरिक को होती है। मैं इसको और चर्चा में नहीं लाना चाहता, एक नागरिक होने के नाते सभी लोगों की तरफ से मैं निवेदन करता हूं कि यह जो विषय है, इसे अनिवार्य विषय के रूप में बच्चों को पढ़ाया जाये यह संकल्प मैं लाया हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद । आपने अच्छा सुझाव दिया है ।

संकल्प प्रस्तुत हुआ कि सदन का यह मत है कि यह सदन केंद्र से अनुरोध करता है कि "यातायात नियमों से संबंधित विषय को प्रदेश के शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाये" । क्या इस पर कोई और सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहता है ?

Uncorrected and unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सोरी जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प प्रस्ताव का हम सब समर्थन करते हैं । वास्तव में आज छत्तीसगढ़ में अगर सबसे ज्यादा मृत्यु हो रही है तो उस मृत्यु का बड़ा कारण है सड़क एक्सीडेंट । यानी नक्सलवादी घटनाओं से ज्यादा मृत्यु सड़क दुघटना में हो रही है । हम लोगों ने इस पर एक ध्यानाकर्षण भी लगाया है, सुबह शून्यकाल में श्री अजय चंद्राकर जी ने इस पर अपनी बात रखी थी । निश्चित रूप से यहां के जीवन को बचाने के लिये और खासतौर पर युवा पीढ़ी को यातायात नियमों से संबंधित विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए और हम इस अशासकीय संकल्प का समर्थन करते हैं ।

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय शिशुपाल सोरी जी ने जो संकल्प लाया है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं और हमारे माननीय शिवरतन शर्मा जी ने इसमें अपनी चिंता व्यक्त की है और समर्थन दिया है इसके लिये भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। यह जरूरी भी है कि बच्चों को यातायात के नियमों की जानकारी होनी चाहिए ताकि दुर्घटनाएं न हों । मुझे सदन को यह बताते हुए बहुत खुशी है कि शिक्षा विभाग की ओर से काफी काम पहले से कर रखा है । पहली कक्षा में ही हम लोगों ने जेब्रा क्रॉसिंग के चित्र के साथ पढ़ाये जाने के पाठ्यक्रम को रखा है । तीसरी कक्षा में पर्यावरण के साथ-साथ सड़क पर चलने को भी यानी उसमें किस प्रकार ध्यान दिया जाये कि उसमें संभलकर चलें । यह पूरा पाठ्यक्रम हम लोगों ने रखा है और कक्षा पांचवीं में हम लोगों ने एक पाठ्यक्रम में - मैं सड़क हूं इसे रखा गया है ताकि बच्चे उसे पढ़कर समझ सकें कि सड़कों में किसी प्रकार से दुर्घटना न हो और लोग संभलकर चलें । यह पूरा हमने पाठ्यक्रम में रखा है । सड़क पार करते समय हमें जो आसपास जरूरी ध्यान रखने की चीजें हैं कि हमेशा फूट पार्क पर चलना चाहिए ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी तो सदन में लेकर नहीं आ पाये और न शासन की तरफ से उसमें कोई पहल हुई । माननीय सदस्य जो संकल्प लेकर आये हैं वास्तव में रोड एक्सीडेंट गंभीर चिंता का विषय है और जिस प्रकार से लोग इंज्यूर्ड हो रहे हैं, कालकवलित हो रहे हैं तो उसकी और जानकारी होनी चाहिए तो माननीय सदस्य की भावना का सम्मान करते हुए पाठ्यक्रम में आप जोड़ देंगे, उसको वापस लेने के लिये नहीं बोलेंगे, उसको जोड़ देंगे तो बहुत अच्छा होगा, आपको धन्यवाद देंगे ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि हमने पाठ्यक्रम में पहले से ही इसे रखा हुआ है । उसमें जो आवश्यक चीजें हैं कि सड़क किस प्रकार पार करना चाहिए, फूट पार्क पर कैसे चलना चाहिए, अगर कोई वाहन आ रहा है तो उसे देखकर सड़क पार करना चाहिए । यह सारी बातें हमने शिक्षा के पाठ्यक्रम में रखा है और सातवीं कक्षा में - जीवन अनमोल है, सावधानी से

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सुरक्षित रहें, हमेशा सड़क के बायीं ओर से चलें, अगर किसी वाहन से आगे निकलना है तो ओवरटेक न करें, जेब्रा क्रॉसिंग से पार करें, बड़े लोग छोटे बच्चों का हाथ पकड़कर चलें, सड़क पर चलते समय मोबाईल का उपयोग न करें, वाहन नशे की हालत में न चलायें, ट्रेफिक नियम का पालन करें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अरे भई, ट्रेफिक नियम ही तो बच्चों को सिखाना है इसीलिये तो श्री सोरी जी ने अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया है ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्रेफिक नियमों की जानकारी के लिये ही हमने उसमें रखा है कि कहां पर रूकना है, दांये चलना है कि बांये चलना है, इन सारी चीजों का हमने चित्र के साथ इसमें रखा है । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप इसे एक लाईन में बताईये कि आप इस संकल्प को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहता हूं । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सदन का आग्रह है कि इस संकल्प को शासन को स्वीकार करना चाहिए और आपको निर्देश देना चाहिए ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- श्री बृजमोहन भाई, मैं बता रहा हूं ।

समय :
5:00 बजे

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सदन का आग्रह है कि इस संकल्प को शासन को स्वीकार करना चाहिए । अध्यक्ष जी, आपको निर्देश देना चाहिए । सत्ता पक्ष के सदस्य ने यह संकल्प लाया है और इसको पारित करना चाहिए ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- बृजमोहन भाई, मैं बता रहा हूं कि कोर्स में यह पहले से ही प्रावधान किया गया है । मैं माननीय सदस्य शिशुपाल शोरी जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वे अपने संकल्प को वापस लें ।

श्री शिशुपाल सोरी :- मैंने एक निवेदन किया था कि यह अनिवार्य शिक्षा में है या ऑप्शनल है ?

श्री धरमलाल कौशिक :- बाकी जो सदस्य बैठे हैं वे सब इसका समर्थन कर रहे हैं । इसलिए माननीय मंत्री जी को इसको स्वीकार करना चाहिए ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- अध्यक्ष महोदय, यह पहले से ही पाठ्यक्रम में है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इस संकल्प में लिखा गया है कि पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, अनिवार्य भी नहीं लिखा है । पाठ्यक्रम में शामिल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है । मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ के हित में इस संकल्प को पारित करना चाहिए ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, जो सुझाव आ रहे हैं उसको शामिल करेंगे लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि पहले से ही कोर्स में यह उपलब्ध है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इसका पूरी तरह से पाठ्यक्रम बनाना चाहिए । पाठ्यक्रम बनाकर, एक्स्पर्ट की एडवाइज़ लेकर इसका कोर्स बनाकर कि पहली कक्षा में यह पढ़ाएंगे, दूसरी में यह पढ़ाएंगे, तीसरी में यह पढ़ाएंगे, चौथी में यह पढ़ाएंगे, पांचवी में यह पढ़ाएंगे, इस तरह 12वीं तक का कोर्स तैयार करके एक्सपर्ट को लेकर इसका प्रशिक्षण देना चाहिए । ताकि हमारी नई पीढ़ी, नई पीढ़ी बहुत बड़ी संख्या में दुर्घटनाओं के कारण मर रही है । उसकी मृत्यु हो रही है, काल कवलित हो रहे हैं । आज रायपुर शहर की सबसे बड़ी समस्या है तो वह यातायात की समस्या है । बाकी समस्याओं से हम निजात पा लेंगे । इसके बारे में बच्चों को प्रशिक्षित करना सबसे बड़ी आवश्यकता है । बच्चे, मां-बाप से ज़िद करके गाड़ी खरीदवा लेते हैं, उनकी उम्र 15-16 साल होती है । उन्हें भी मजबूरी में गाड़ी खरीदकर देना पड़ता है क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे । यह मजबूरी है, हम इस बात को सार्वजनिक रूप से बोलते नहीं हैं । हमें आज के समय में बच्चों को इसके लिए प्रशिक्षित करना सबसे अधिक आवश्यक है । मुझे लगता है कि सरकार को खुले दिल से इसको स्वीकार करना चाहिए और स्वीकार करके इसको शिक्षा में शामिल करने के लिए मान्य करना चाहिए ।

श्री शिशुपाल सोरी :- अध्यक्ष महोदय, यहां पर बहुत सारे कोर्सेस चलते हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के द्वारा बाध्य किया जा रहा है । माननीय सदस्य की भावनाओं को आहत किया जा रहा है ।

श्री शिशुपाल सोरी :- इसको अनिवार्य ही रख दिया जाए क्योंकि अलग-अलग कोर्सेस चलते हैं । यह स्टेट पाठ्यक्रम में होगा, इंटरनेशनल पाठ्यक्रम है, सीबीएसई है तो क्या यह सभी में चल रहा है, अगर चल रहा होगा तो बहुत सारे लोगों को संकेतक नहीं मालूम है । मैंने तो बहुत सारे ड्रायवर्स से भी बात की है, उनको भी नहीं मालूम है । इसलिए अगर एक एडवांस कोर्स दसवीं में, उसके बाद डायर्सिफाइड कोर्स शुरू हो जाते हैं । उसी के बाद बच्चा बहुत तेजी से बढ़ता है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी को भी नहीं मालूम कि संकेतक क्या होता है, यातायात का नियम क्या होता है । आप पढ़ा दो ना बच्चों को, यह कोई आतंकवादी पाठ थोड़े ही पढ़ा रहे हो ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- मैं थोड़ी कह रहा हूं कि आतंकवाद की बात हो रही है । मैं कह रहा हूं कि यह पहली, तीसरी, पांचवीं, सातवीं क्लास में है । यदि फिर भी कोई सुझाव होगा तो सुझाव लेकर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

इसमें शामिल कर लिया जाएगा । लेकिन किताबों में है । मैं यह कह रहा हूं कि किताबों में संकेतक दिये गये हैं । यदि कोई और सुझाव हो सकता है तो इसमें शामिल कर लेंगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सीबीएसई कोर्स चलता है, आईसीएसई कोर्स चलता है, क्या यह सभी कोर्स में है । यदि इसको प्रदेश में करेंगे तो सबकी मजबूरी होगी कि सभी स्कूलों को इसको पढ़ाना पड़ेगा, यह सबकी मजबूरी होगी । इसके लिए पूरे देश स्तर पर इसके कोर्स पर उपलब्ध है, उस कोर्स को लेकर हमारी एससीईआरटी में छत्तीसगढ़ के लिए क्या जरूरी है, उस कोर्स को छांट लेगी । उसकी एक पुस्तिका बनाकर सप्ताह में एक बार, सप्ताह में दो बार, सप्ताह में तीन बार आखिरी पीरियड में, पहले पीरियड में पढ़ाने की व्यवस्था करेगी, जैसा कि सामान्य ज्ञान पढ़ाया जाता है ।

श्री मोहन मरकाम :- अध्यक्ष महोदय, जीवन अनमोल होता है, सचमुच में माननीय सदस्य ने जो संकल्प लाया है । पाठ्यक्रम में अनिवार्य होना चाहिए । जो घटनाएं घटती हैं वे जानकारी के अभाव में होती हैं । इसलिए यह अनिवार्य शिक्षा में होना चाहिए । इस महत्वपूर्ण संकल्प को पारित करना चाहिए ऐसा मेरा मानना है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अब मंत्री जी को समझ लेना चाहिए । संगठन का आदेश है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अब मरकाम जी ने बोल दिया है । अध्यक्ष जी, यातायात पार्क बनाया जाता है । इस प्रदेश में पचासों ब्लैक स्पॉट हैं, जिनको आपकी सरकार हटा भी नहीं पा रही है । वहां पर एक्सीडेंट होता है। सड़कों में ब्लैक स्पॉट है, वहां पर एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है और हो भी रही है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मौतें रोड के एक्सीडेंट में हो रही हैं। मैं कल ही अखबार में पढ़ रहा था। 4 हजार या कितने लोग गिरे, उसमें से साढ़े तीन हजार लोग सिर में चोट लगने के कारण मर गये। अगर बच्चों को सिखाने के लिए कोई सलाह बहुत पढ़े-लिखे आई.ए.एस. अफसर रहे हैं, वे दे रहे हैं तो आपको इसे मानने में क्या तकलीफ है? मान लीजिए। वे 10वीं तक बोले तो 10वीं तक कर दो। वे कॉलेज तक बोले तो कॉलेज तक बढ़ा दो। लड़के लोगों को तो आज कल समझ में आ नहीं रहा है। बायीं तरफ से गाड़ी घुसाकर निकलते हैं। डरते हुए गाड़ी में बैठना पड़ता है। तो भैया, आप थोड़ा ज्ञान दे दो। इसी के कारण तो सब दुर्घटनाएं हो रही हैं। इससे आप छोटे नहीं हो जाओगे। अगर नहीं देना है तो आप स्वतंत्र हो।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- यह सब तो ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, धर्मजीत भैया बोल रहे हैं कि सभी को उसमें कर दीजिए। मैं स्कूल के कोर्स में तो रख लेता हूं, लेकिन आप बोले कि कॉलेज में भी रखवा लीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां, तो स्कूल में तो बोल रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगर आप संकल्प पारित करेंगे तो हमारे उमेश पटेल जी भी बैठे हैं, वे भी अपने कोर्स में रखेंगे। आप इसका संकल्प पारित करें न।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- शायद, हम जितने भी सदस्य बैठे हैं, हमें भी यातायात के संकेतकों, नियमों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। अगर आप कोई किताब प्रकाशित करेंगे तो वह हम लोग भी पढ़ेंगे। हमें भी जानकारी मिलेगी। जब हम यहां से दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास जाते हैं तो वहां गाड़ियां कैसे चलती हैं, इसकी हमें भी बहुत जानकारी नहीं है। आप पारित करेंगे तो हमें भी जानकारी होगी।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यातायात सप्ताह के दौरान इन सब विषयों में पुलिस विभाग द्वारा जानकारी दी जाती है। बेहतर होगा कि उसी सब चीज को पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया जाये। एक सप्ताह तक यातायात विभाग वाले स्कूलों में जा जाकर बच्चों को गाइड करते हैं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- जैसा सबका प्रस्ताव आया है और स्कूल के कोर्स में इसे लागू किया जाये। सी.बी.एस.ई. हो, आई.सी.आई.सी. हो सभी में इसे लागू किया जाये। इस संकल्प को सर्वसम्मति से पारित किया जाये। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- इसमें इन्होंने मांग किया है कि प्रदेश के शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाये। आप इसे संशोधित कर रहे हैं या ..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने इस संकल्प को पारित करने की बात की है। यहां क्यों संशोधित कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय :- एन.सी.ई.आर.टी. और सी.बी.एस.ई. के कोर्सेस हैं, उनके लिए भी आपको लिखना पड़ेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ऐसा नहीं है। प्रदेश के शिक्षा पाठ्यक्रमों में।

अध्यक्ष महोदय :- प्रदेश के शिक्षा पाठ्यक्रमों में जो सी.बी.एस.ई. का कोर्स है, उसकी किताब अलग बनती है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- प्रदेश के सभी शिक्षा पाठ्यक्रमों में। बस एक शब्द जोड़ दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं। आप समझ नहीं रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि..।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभी स्कूलों में कर दीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभी स्कूलों में कर दें।

अध्यक्ष महोदय :- सभी स्कूलों में। इसमें संशोधन देना पड़ेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वह तो आप यही करवा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- यहीं से हो जायेगा, मैं यह नहीं कह रहा हूं। यह प्रदेश के लिए है। अगर राज्य के लिए और केन्द्र के लिए लिखना है तो हमें इसमें संशोधन करके वहां भेजना पड़ेगा और यहां के लिए

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है तो इन्हीं को देना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इसे संशोधित रूप में कहिए कि आप इसे पास करिए। हम भी केन्द्र सरकार का नाम इसमें लिखते हैं, तब हो जायेगा।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- अध्यक्ष महोदय, ऐसे में कठिन हो जायेगा। एक नि:शुल्क पुस्तिका छपवाकर के स्कूलों में भेज दिया जाये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मेरा यह अनुमोदन प्रस्ताव है। सदन का यह मत है कि यातायात नियमों से संबंधित विषय को प्रदेश की सभी स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- संशोधन स्वीकार्य नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को संशोधन के साथ पारित किया जाये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हमें संशोधन स्वीकार्य नहीं है न। हमें संशोधन स्वीकार्य कहां है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- हो गया।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- सभी स्कूलों के पाठ्यक्रम में।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि सदन का यह मत है कि यातायात नियमों से संबंधित विषय को सभी स्कूलों के शिक्षा पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाये।

यथा-संशोधित संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- शोरी जी, आपको बहुत-बहुत बधाई।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 02 मार्च, 2020 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(सायं 05 बजकर 10 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 02 मार्च, 2020 (फाल्गुन 12, शक संवत 1941) के पूर्वाह्न 11.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित की गई।)

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छत्तीसगढ़)
दिनांक : 28 फरवरी, 2020

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं